खण्ड १—अंक १

शनिवार, ६ मई, १९६१
१६ वैशाख, १८८३ (शक)

संसद के सदनों की संयुक्त बैठक

वाद-विवाद

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

पृष्ठ

स्वागत भाषण १

पंडित मोतीलाल नेहरू को श्रद्धांजलि १–२

दहेज निषेध विधेयक—

दोनों सदनों द्वारा पारित एवं अनुमोदित संशोधनों सहित सभा पटल पर रखा गया २

प्रक्रिया सम्बन्धी औचित्य प्रश्न २–३

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ३–४

दहेज निषेध विधेयक—

संशोधनों सहित दोनों सदनों द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ५—४४

श्री अ० कु० सेन . . . . . ५—९

श्री भूपेश गुप्त ९

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ९–१०

श्रीमती रेणुका राय १०–११

श्री जवाहरलाल नेहरू . . . . . ११—१४

श्री प्रकाश नारायन सप्रू १४–१५

श्री मुल्क गोविन्द रेड्डी १५

श्री जे० एन० कौशल १५–१६

श्रीमती मंजुला देवी १६

श्री त्यागी १६–१७

श्रीमती उमा नेहरू . . . . . १७—१९

डा० श्रीमती सीता परमानन्द १९–२०

श्रीमती इला पालचौधरी २०–२१

श्रीमती यशोदा रेड्डी २१–२२

श्री वाजपेयी . . . . . २२—२५

श्रीमती सीता युद्धवीर . . . . . २५—२७

पंडित ठाकुर दास भार्गव . . . . . २७—३२

श्री जगन्नाथ राव ३३

श्री जुगल किशोर . . . . . ३३—३५

डा० सुशीला नायर . . . . . ३५—३९

श्री ए० डी० मणि ३९–४०

श्री राम सेवक यादव . . . . . ४०—४२

श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल ४३–४४

श्री जयपाल सिंह ४४

संसद् के सदनों की संयुक्त बैठक

सदस्यों की वर्णानुक्रम-सूची

अ

अंजनप्पा, श्री ब० (नेल्लोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अख्तर हुसैन, (उत्तर प्रदेश)

अग्रवाल, श्री आर० जी० (बिहार)

अगाड़ी, श्री स० अ० (कोप्पल)

अग्रवाला, श्री जगन्नाथ प्रसाद (उत्तर प्रदेश)

अग्रवाल, श्री मानकभाई (मन्दसौर)

अचमम्बा, डा० को० (विजयवाडा)

अचल सिंह, सेठ (आगरा)

अचित राम, लाला (पटियाला)

अजित सिंह, श्री (भण्डिटा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अणे, डा० माधव श्री हरि (नागपुर)

अनवर, श्री एन० एम० (मद्रास)

अनिरुद्ध सिंह, श्री (मधुबनी)

अनीस किदवई, श्रीमती (उत्तर प्रदेश)

अन्नपूर्णा देवी थिम्मो रेड्डी, श्रीमती (मैसूर)

अन्सारी, श्री फरीदुल हक (उत्तर प्रदेश)

अन्दुर रहमान, मौलवी (जम्मू तथा काश्मीर)

अब्दुल रशीद, बख्शी (जम्मू तथा काश्मीर)

अब्दुल रहीम, श्री (मद्रास)

अब्दुल लतीफ, श्री (त्रिपुरा)

अब्दुल लतीफ, श्री (बिजनौर)

अब्दुल सलाम, श्री (त्रिरूचिरापल्ली)

अब्दुल शकूर, मौलाना (राजस्थान)

अमजद अली, श्री (धुबरी)

अमृत कौर, राज कुमारी (पंजाब)

अम्बलम्, श्री सुब्बया (रामनाथपुरम)

क

(अ--क्रमशः)

अय्यंगार, श्री म० अनन्तशयनम (चित्तूर)

अय्यर, श्री ईश्वर (त्रिवेन्द्रम)

अय्यर, श्री एन० राम कृष्ण (मद्रास)

अय्याकण्णु, श्री (नागपट्टिनम--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

अरुमगम, श्री रा० सी० (श्री बिल्लीपुतुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

अरूमगम, श्री स० र० (नामक्कल--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

अरोड़ा, श्री अर्जुन (उत्तर प्रदेश)

अवस्थी, श्री जगदीश (बिल्लौर)

अशण्णा, श्री (आदिलाबाद)

अष्ठाना, श्री लीलाधर (उन्नाव)

अहमद, श्री अनसारुद्दीन (पश्चिमी बंगाल)

अहमद, डा० जैड० ए० (उत्तर प्रदेश)

अहमद अली, मिर्जा (दिल्ली)

अहमद हुसैन, काज़ी (बिहार)

आ

आचार, श्री क० र० (मंगलौर)

आनन्द चंद, श्री (हिमाचल प्रदेश)

आबिद अली, श्री (श्रम उपमंत्री)

आभा मैती, श्रीमती (पश्चिमी बंगाल)

आल्वा, श्री जोकीम (कनारा)

आसर, श्री प्रेम जी र० (रत्नागिरी)

इ

इकबाल सिंह, सरदार (फीरोजपुर)

इलयापेरुमाल, श्री ल० (चिदाम्बरम्--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

इलियास, श्री मुहम्मद (हावड़ा)

ई

ईयाचरण, श्री व० (पालघाट)

उ

उइके, श्री मं० गा० (मंडला--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

उपाध्याय, पंडित मुनीश्वर दत्त (प्रतापगढ़)

(उ--क्रमशः)

उपाध्याय, श्री शिवदत्त (रीवा)

उमराव सिंह, श्री (घोसी)

उमेर, शाह मुहम्मद (बिहार)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित--आंग्ल भारतीय)

ओ

ओंकार लाल, श्री (कोटा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

ओझा, श्री घनश्याम लाल (झालावाड़)

क

कटकी, श्री लीलाधर, (नौगांव)

कट्टी, श्री द० अ० (चिकोडी)

कनकसबै, श्री (चिदाम्बरम)

कपूर, श्री जस्पत राय (उत्तर प्रदेश)

कबिर, श्री हुमायून (वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री)

कमल सिंह, श्री (बक्सर)

कयाल, श्री परेश नाथ (बसिरहाट--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

करमरकर, श्री द० प० (स्वास्थ्य मंत्री)

करयालर, श्री एस० सी० (मद्रास)

कर्णी सिंह जी, श्री (बीकानेर)

कानूनगो, श्री नित्यानन्द (वाणिज्य मंत्री)

कामले, डा० देवराज नामदेवराव (नांदेड--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

कामले श्री बा० चं० (कोपरगांव)

कार, श्री प्रभात (हुगली)

कालिका सिंह, श्री (आजमगढ़)

कालेलकर, काका साहेदब, (नाम-निर्देशित)

काशीराम, श्री व० (नलगोंडा)--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

कासलीवाल, श्री नेमीचन्द्र (कोटा)

किलेदार, श्री रघुनाथ सिंह (होशंगाबाद)

किस्तैया, श्री सुरती (बस्तर--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

किशोरी राम, श्री (बिहार)

कुंजरू, डा० एन० एन० (उत्तर प्रदेश)

(क—क्रमशः)

कुन्हन, श्री (पालघाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कुमारन्, श्री मेलकुलन्जरा कन्नन (चिरयिन्कील)
कुम्भार, श्री वनमाली (सम्बलपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कुम्भाराम, श्री (राजस्थान)
कुरील 'तालिब', श्री प्यारे लाल (उत्तर प्रदेश)
कुरील, श्री बैजनाथ (रायबरेली—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कुर्रे, श्री दयाल दास (मध्य प्रदेश)
कुलकर्णी, श्री जी० आर० (महाराष्ट्र)
कृपालानी, आचार्य (सीतामढ़ी)
कृष्ण, श्री मं० रं० (करीमनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कृष्ण चन्द्र, श्री (जलेसर)
कृष्णप्पा, श्री मो० वें० (कृषि उपमंत्री)
कृष्णमाचारी, श्री ति० त० (मद्रास दक्षिण)
कृष्णराव, श्री मं० वें० (मसुलीपट्टनम)
कृष्णस्वामी, डा० (चिंगलपट)
कृष्णप्पा, श्री दु० बलराम (गुडिवाडा)
कृष्णा कुमारी, श्रीमती (मध्य प्रदेश)
केदरिया, श्री छगनलाल म० (मांडवी—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
केशव, श्री न० (बंगलौर नगर)
केसकर, डा० बा० बि० (सूचना और प्रसारण मंत्री)
केसर कुमारी देवी, श्रीमती (रायपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
केशवानंद, स्वामी (राजस्थान)
कोडियान, श्री (क्विलोन—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कोरटकर, श्री विनायकराव (हैदराबाद)
कोट्टुकप्पल्ली, श्री जार्ज थामस (मवात्तु पुजा)
कौशल, श्री जे० एन० (पंजाब)

ख

खन्ना, श्री मेहर चन्द (पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री)
खां, श्री उस्मान अली (कुरनूल)
खां, श्री शाहनवाज (रेलवे उपमंत्री)
खां, श्री सादत अली (वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव)

(ख—क्रमश)

खाडिलकर, श्री र० के० (अहमदनगर)

खादीवाला, श्री कन्हैयालाल (इन्दौर)

खान, श्री अकबर अली (आंध्र प्रदेश)

खान, श्री पीर मुहम्मद (जम्मू और काश्मीर)

खीमजी, श्री भेवनजी अ० (कच्छ)

खुदाबख्श, श्री मुहम्मद (मुर्शिदाबाद)

ख्वाजा, श्री जमाल (अलीगढ़)

खोबरागड़े, श्री बी० डी० (महाराष्ट्र)

ग

गंगा देवी, श्रीमती (उन्नाव—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गणपति, श्री (तिरूचिन्दूर)

गणपति राम, श्री (जौनपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गांधी, श्री माणिकलाल मगनलाल (पंच महल)

गायकवाड़, श्री भाऊराव कृष्णराव (नासिक)

गायकवाड़, श्री फतेहसिंह राव प्रताप सिंह राव (प्रतिरक्षा मंत्री के सभा-सचिव)

गिल्बर्ट, श्री ए० सी (उत्तर प्रदेश)

गुप्त, श्री इन्द्रजीत (कलकत्ता—दक्षिण पश्चिम)

गुप्त, श्री छेदालाल (हरदोई)

गुप्त, श्री भूपेश (पश्चिमी बंगाल)

गुप्त, श्री मैथिलीशरण (नाम निर्देशित)

गुप्त, श्री राम कृष्ण (महेन्द्रगढ़)

गुप्त, श्री साधन (कलकत्ता—पूर्व)

गुप्ता, श्री रामगोपाल (उत्तर प्रदेश)

गुरूदेव, श्री (मध्य प्रदेश)

गुरुपाद स्वामी, श्री एम० एस० (मैसूर)

गुह, श्री अरूण चन्द्र (बारसाट)

गोडसोरा, श्री शम्भु चरण (सिंहभूम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गोपालकृष्णन्, श्री आर० (मद्रास)

गोपालन, श्री अ० क० (कासरगोड)

गोरे, श्री नारायण गणेश (पूना)

गोविन्द दास, सेठ (जबलपुर)

गोहोकर, डा० देवराव यशवन्तराव (यवतमाल)

गौंडर, श्री षनमुघ (तिंडीवनम)

(ग—क्रमशः)

गौंडर, श्री दुरायस्वामी (तिरूपत्तर)

गौंडर, श्री क० पेरियास्वामी (करूर)

गौड़, डा० राज बहादुर (आंध्र प्रदेश)

गौतम, श्री (दबालाघाट)

(घ)

घोडासर, श्री फतेहसिंह जी (कैरा)

घोष, श्री अतुल्य (आसनसोल)

घोष, श्री विमल कुमार (बैरकपुर)

घोष, श्री नलिनी रंजन (कूच बिहार)

घोष, श्री महेन्द्रकुमार (जमशेदपुर)

घोष, श्री सुधीर (पश्चिमी बंगाल)

घोष, श्री सुबिमन, (बर्दवान)

घोष, श्री सुरेन्द्र मोहन (पश्चिमी बंगाल)

घोषाल, श्री अरविन्द (उलुबेरिया)

च

चक्रधर, श्री ए० (आंध्र प्रदेश)

चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बसिरहाट)

चटर्जी, श्री योगेश चन्द्र (उत्तर प्रदेश)

चतुर्वेदी, श्री बनारसी दास (मध्य प्रदेश)

चतुर्वेदी, श्री रोहनलाल (एटा)

चन्दा श्री, अनिल कु० (निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री)

चन्द्रशंकर, श्री (भड़ौच)

चन्द्रामणि कालो, श्री (सुन्दरगढ़–अरक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

चन्द्रावती लखनपाल, श्रीमती (उत्तर प्रदेश)

चमन लाल, दिवान (पंजाब)

चावन, श्री दा० रा० (कराड़)

चांडक, श्री बी० ल० (चिन्दवाड़ा)

चावडा, श्री के० एस० (गुजरात)

चावदा, श्री अकबर भाई (बनस्कंठा)

चिनाई, श्री बाबूभाई (महाराष्ट्र)

चुनीलाल, श्री (अम्बाला–रक्षित—अनुसूचित जातियां)

चेट्टियार, श्री टि० एस० अविनाशिलिंगम (मद्रास)

चेट्टियार, श्री रामनाथन् (पुदुकोटै)

चौधरी, श्री चन्द्रामणि लाल (हाजीपुर–रक्षित—अनुसूचित जातिया)

चौधरी, श्री त्रिदिब कुमार (वरहामपुर)

चौधरी, श्री मु० चं० (दुमका)

चौहान, श्री नवाब सिंह (उत्तर प्रदेश)

ज

जगजीवन राम, श्री (रेलवे मंत्री)

जयपाल सिंह, श्री (रांची पश्चिम–रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

जसवन्त सिंह, श्री (राजस्थान)

जहानारा जयपाल सिंह, श्रीमती (बिहार)

जांगड़े, श्री रेशम लाल (बिलासपुर)

जाधव, श्री यादव नारायण (मालेगांव)

जान, श्री माइकल (बिहार)

जीनचन्द्रन, श्री (टेल्लीचेरी)

जी० पार्थसारथी, श्रीमती (मद्रास)

जुगल किशोर, श्री (पंजाब)

जैधे, श्री गुलाब राव केशव राव (बारामती)

जेना, श्री कान्हूचरण (बालासोर–रक्षित—अनुसूचित जातियां)

जैन, श्री अजित प्रसाद (सहारनपुर)

जैन, श्री मूल चन्द (कैथल)

जैरामदास दौलतराम, श्री (नाम-निर्देशित)

जोगेन्द्रसिंह, सरदार (बहराइच)

जोगन्द्र सेन, श्री (मंडी)

जोशी, श्री आनन्द चन्द्र (सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा -सचिव)

जोशी, श्री जेठा लाल हरिकृष्ण (गुजरात)

जोशी, श्री लीलाधर (शाजापुर)

जोशी, श्रीमती सुभद्रा (अम्बाला)

ज्योतिषी, पंडित ज्वाला प्रसाद (सागर)

झ

झुनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर)

झूनन सिंह, श्री (सीवन)

ट

टांटिया, श्री रामेश्वर (सीकर)

ठ

ठाकुर, श्री मोतीसिंह बहादुर सिंह (पाटन)

ड

डांगे, श्रीपाद अमृत (बम्बई नगर--मध्य)

डामर, श्री अमर सिंह (झाबुआ--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

डिन्डोड, श्री जाल्जीभाई कोयाभाई (दोहद--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

डे, श्री सुरेन्द्र कुमार (सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री)

त

तंगामणि, श्री (मदुरै)

तजम्मुल हुसैन, श्री (बिहार)

तन्खा, पंडित श्याम सुन्दर नारायण (उत्तर प्रदेश)

तारा चन्द, डा० (नाम निर्देशित)

तारिक, श्री अली मोहम्मद (जम्मू तथा काश्मीर)

ताहिर, श्री मुहम्मद (किशनगंज)

तिम्मय्या, श्री डोडा (कोलार--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

तिवारी, पंडित द्वारिका नाथ (केसरिया)

तिवारी, पंडित बाबूलाल (निमाड--खंड़वा)

तिवारी, श्री द्वारिका नाथ (कचार)

तिवारी, श्री राम सहाय (खजुराहो)

तुम्पलीवार, श्री मा० दा० (महाराष्ट्र)

तुलाराम, श्री (इटावा--रक्षित--अनुचित जातियां

तेवर, श्री उ० मथुरमलिंग (श्री विल्लीपुत्तूर)

तैयबुल्ला, मौलाना एम० (आसाम)

त्यागी, श्री महाबीर (देहरादून)

त्रिपाठी, श्री हीरा वल्लभ (उत्तर प्रदेश)

थ

थामस, श्री अ० म० (खाद्य तथा कृषि उपमंत्री)

थामस, डा० पी० जे० (केरल)

दत्त, श्री कृष्ण (जम्मू और काश्मीर)

दवे, श्री रोहित (गुजरात)

दलजीत सिंह, श्री (कांगडा–रक्षित––अनुसूचित जातियां)

दातार, श्री ब० र० (गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री)

दामानी, श्री सू० र० (जालोर)

दास, श्री एन० के० (उड़ीसा)

दास, श्री कमल कृष्ण (वीरभूम–रक्षित––अनुसूचित जातियां)

दास, श्री नयन तारा (मुंगेर–रक्षित––अनुसूचित जातियां)

दास, डा० मन मोहन (वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री)

दास, श्री विश्वनाथ (उड़ीसा)

दासगुप्त, श्री विभूति भूषण (पुरुलिया)

दासप्पा, श्री (बगलौर)

दिगे, श्री शंकरराव खंडेराव (कोल्हापुर–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

दिनेश सिंह श्री (बांदा)

द्विवेदी, श्री बैरागी (उड़ीसा)

दुगड़, श्री राजपत सिंह (पश्चिमी बंगाल)

दुबे, श्री मूलचन्द (फर्रुखाबाद)

दुबलिश, श्री विष्णुशरण (सरधना)

देब, श्री एस० सी० (आसाम)

देब, श्री दशरथ (त्रिपुरा)

देव, श्री नरसिंह मल्ल (मिदनापुर)

देव, श्री प्र० गं० देब (अंगुल)

देव, श्री प्रताप केसरी (कालाहांडी)

देवकीनन्दन नारायण, श्री (महाराष्ट्र)

देवगिरीकर, श्री त्र्यं० र० (महाराष्ट्र)

देशमुख, डा० पंजाबराव शा० (कृषि मंत्री)

देशमुख, श्री रामाराव माधवराव (महाराष्ट्र)

देशमुख, श्री कृ० गु० (रामटेक)

देसाई, श्री खंडूभाई कसनजी (गुजरात)

देसाई, श्री जनार्दन राव (मैसूर)

(द---क्रमशः)

देसाई, श्री दाजीवा बलवन्तराव (महाराष्ट्र)
देसाई, श्री मोरारजी (वित्त मंत्री)
देसाई, श्री सुरेश ग० (गुजरात)
दोरा, श्री दि० स० (पार्वतीपुरम)
दोहड़, श्री शिवदीन (हरदोई–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
दौलता, श्री प्रताप सिंह (झज्जर)
द्विवेदी, श्री म० ला० (हमीरपुर)
द्विवेदी, श्री सुरेन्द्र नाथ (केन्द्रपाड़ा)

ध

धनगर, श्री बन्शी दास (मैनपुरी)
धर्मप्रकाश, डा० (उत्तर प्रदेश)
धर्मलिंगम, , श्री (थिरुवन्नामलाई)

न

नंजप्प, श्री (नीलगिरी)
नंजुंदय्या, श्री बी० सी० (मैसूर)
नफ़ीसुल हसन, श्री (उत्तर प्रदेश)
नथवानी, श्री नरेन्द्रभाई (सोरठ)
नन्दा, श्री गुलजारी लाल (श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री)
नरसिंहन्, श्री च० र० (कृष्णगिरि)
नरसिम्हम, श्री के० एल० (आंध्र प्रदेश)
नरेन्द्र कुमार, श्री (नागौर)
नलदुर्गकर, , श्री वैंकटराव श्रीनिवास राव (उस्मानाबाद)
नल्लाकोया, श्री कोविलाट (नामनिर्देशित–लक्कादीव, मिनिकाय और अमीन दीवी द्वीप)
नल्लामुत्तु रामामूर्त्ती, श्रीमती टी० (मद्रास)
नागपुरे, श्री वी० टी० (महाराष्ट्र)
नाथपाई, श्री (राजापुर)
नादर, श्री थानुलिंगम्, (नागरकोईल)
नायक, श्री महेश्वर (उड़ीसा)
नायक, श्री मोहन (गंजम–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

(न---क्रमशः)

नायडू, श्री गोविन्द राजुलू (तिरुवल्लूर)
नायडू, श्री मुत्तुकुमारसामी (कडलूर)
नायर, श्री कुट्टिकृष्णन् (कोजीकोडे)
नायर, श्री के० पी० माधवन (केरल)
नायर, श्री गोविन्दन (केरल)
नायर, श्री च० कृष्णन् (बाह्य दिल्ली)
नायर, श्री वें० प० (क्विलोन)
नायर, श्री वासुदेवन (तिरुवल्ला)
नायर, डा० सुशीला (झांसी)
नारल, श्री वैंकटेश्वर राव (आंध्र प्रदेश)
नारायणदीन, श्री (शाहजहांपुर-रक्षित---अनुसूचित जातियां)
नारायणस्वामी, श्री (परियाकुलम्)
नास्कर, श्री पूर्णेन्दु शेखर (पुनर्वास उप मंत्री)
नेकी राम, श्री (पंजाब)
नेगी, श्री नेकराम (महासू---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
नेसवी, श्री ति० रु० (धारवाड़-रक्षिण)
नेहरू, श्री जवाहरलाल (प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री)
नेहरू, श्रीमती उमा (सीतापुर)

प

पंजहज़ारी, सरदार रघुवीर सिंह (पंजाब)
पटनायक, श्री उमाचरण (गंजम)
पटेल, श्री डाह्या भाई व० (गुजरात)
पटेल, श्री नानूभाई निच्छाभाई (बलसार---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
पटेल, श्री पुरुषोत्तम दास र० (मेहसाना)
पटेल, श्री मगन भाई एस० (गुजरात)
पटेल, श्री राजेश्वर (हाजीपुर)
पटेल, सुश्री मणिबेन बल्लभभाई (आनन्द)
पटेल, श्री हरिहर (उड़ीसा)
पट्टनायक, श्री दिवाकर (उड़ीसा)
पट्टाभिरामन्, श्री चें० रा० (कुम्बकोणम्)
पट्टाभिरामन्, श्री टी० एस० (मद्रास)
पणिक्कर, श्री के० एम० (नाम निर्देशित)

(प--क्रमशः)

पद्मदेव, श्री (चम्बा)

पन्नालाल, श्री (फ़ैजाबाद--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

परमार, श्री करसन दास उ० (अहमदाबाद--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

परमार, श्री दीनबन्धु, (उदयपुर--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

परमेश्वरन्, श्री बी० (मद्रास)

परूलकर, श्री शामराव विष्णु (थाना)

पलनियाण्डी, श्री (पैराम्बूर)

पवार, श्री धर्मशील राव (महाराष्ट्र)

पहाड़िया,, श्री जगन्नाथ प्रसाद (सवाई माधोपुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

पांगरकर, श्री नागराव क० (परभणी)

पांडे, श्री काशीनाथ (हात)

पांडे, श्री च० द० (नैनीताल)

पांडे, श्री तारकेश्वर (उत्तर प्रदेश)

पाटिल, श्री उत्तम राव ल० (धूलिया)

पाटिल, श्री तु० शं० (आकोला)

पाटिल, श्री नान (सतारा)

पाटिल, श्री बाला साहेब (मिराज)

पाटिल, श्री र० ढो० (भीर)

पाटिल, श्री विनायक राव पांडुरंग (महाराष्ट्र)

पाटिल, श्री स० का० (खाद्य तथा कृषि मंत्री)

पाटिल, श्री सोनूसिंह, धनसिंह (महाराष्ट्र)

पाठक, श्री जी० एस० (उत्तर प्रदेश)

पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (पुरी)

पाण्डेय, श्री सरजू (रसरा)

पार्वती कृष्णन्, श्रीमती (कोयम्बटूर)

पालचौधरी, श्रीमती इला (नवद्वीप)

पालीवाल, श्री टीकाराम (राजस्थान)

पिल्ले, श्री एन्थनी (मद्रास उत्तर)

पिल्ले, श्री पे० ति० थानु (तिरुनेलवेली)

पुन्नस, श्री (अम्बल पुजा)

पुन्नैया, श्री कोटा (आंध्र प्रदेश)

पुष्पलता दास, श्रीमती (आसाम)

पेंडसे, श्री लाल जी (महाराष्ट्र)

(प—क्रमशः)

पोकर साहेब, श्री (मंजेरी)

प्रधान, श्री विजय चन्द्रसिंह (कालाहांडी—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

फ

फेरूमन सरदार दर्शन सिंह (पंजाब)

ब

बंशीलाल, श्री (पंजाब)

बजाज, श्री कमलनयन (वर्धा)

बदन सिंह, चौ० (बिसौली)

बनर्जी, डा० रामगोति (बांकुरा)

बनर्जी, श्री ताराशंकर (नाम-निर्देशित)

बनर्जी, श्री पुनिल बिहारी (लखनऊ)

बनर्जी, श्री प्रमथ नाथ (कण्टाई)

बनर्जी, श्री सत्येन्द्र मोहन (कानपुर)

बरुआ, श्री प्रफुल चन्द्र (शिवसागर)

बरुआ, श्री लीलाधर (आसाम)

बरुआ, श्री हेम (गोहाटी)

बर्मन श्री उपेन्द्र नाथ (कूच बिहार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बलदेव सिंह, सरदार (होशियारपुर)

बसवपुनैया, , श्री एम० (आंध्र प्रदेश)

बसु, श्री सन्तोष कुमार (पश्चिमी बंगाल)

बसुमतारी, श्री धरनीधर (ग्वालपाड़ा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

बहादुर सिंह, श्री (लुधियाना—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बांगशी ठाकुर, श्री (त्रिपुरा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बाकलीवाल, श्री मोहनलाल (दुर्ग)

बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बारुपाल, श्री पन्ना लाल (बीकानेर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बलिगे, डा० डब्ल्यू० एस० (महाराष्ट्र)

बालकृष्णन्, श्री स० चि० (डिंडीगल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बाल्मीकि, श्री कन्हैयालाल (बुलन्दशहर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बासप्पा, श्री चि० र० (तिपतुर)

बिदरी, श्री रामप्पा बालप्पा (बीजापुर—दक्षिण)

(ब--क्रमशः)

बिष्ट, श्री जंगबहादुर सिंह (अल्मोड़ा)
बिष्ट, श्री जशौद सिंह (उत्तर प्रदेश)
बीरबल सिंह, श्री (जौनपुर)
बेक, श्री इगनेस (लोहरदगा--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
बेदवती बरगोहाई, श्रीमती (आसाम)
बेरो, श्री (नामनिर्देशित--आंग्ल-भारतीय)
ब्रजराज सिंह, श्री (फिरोजाबाद)
'ब्रजेश', पंडित ब्रज नारायण (शिवपुरी)
ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया)
ब्रह्म प्रकाश, चौ० (दिल्ली सदर)

भ

भंजदेव, श्री लक्ष्मी नारायण (क्योंझर)
भक्त दर्शन, श्री (गढ़वाल)
भगत, श्री ब० रा० (वित्त उपमंत्री)
भगवती, श्री बि० (दरांग)
भटकर, श्री लक्ष्मण रावजी श्रवन जी (अकोला--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
भट्टाचार्य, श्री चपलकांत (पश्चिम दीनाजपुर)
भदौरिया, श्री अर्जुन सिंह (इटावा)
भरूचा, श्री नौशीर (पूर्व खानदेश)
भवानी प्रसाद, श्री (सीतापुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
भार्गव, पंडित ठाकुर दास (हिसार)
भार्गव, पंडित मुकुट बिहारी लाल (अजमेर)
भार्गव, श्री भगवत नारायण (उत्तर प्रदेश)
भार्गव, श्री महाबीर प्रशाद (उत्तर प्रदेश)
भारती, श्रीमती के० (केरल)
भोगजी भाई, श्री (बांसवाड़ा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

म

मंजुला देवी, श्रीमती (ग्वालपाड़ा)
मंडल, डा० पशुपति (बांकुरा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

मंडल, श्री जियालाल (खगरिया)

मजहर इमाम, सैयद (बिहार)

मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (प्रतिरक्षा उप मंत्री)

मणि, श्री ए० डी० (मध्य प्रदेश)

मणियंगाडन, श्री मैत्यू (कोट्टयम)

मतीन, काजी (गिरडीह)

मतरा, श्री लक्ष्मण महादु (थाना--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

मनावन, श्री (दार्लिंजिग)

मफीदा अहमद, श्रीमती (जोरहाट)

मलिक, श्री धीरेन्द्र चन्द्र (धनबाद)

मलिक, श्री वैष्णव चरण (केन्द्रपाड़ा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

मल्कानी, श्री ना० र० (नाम निर्देशित)

मल्लय्या, श्री उ० श्रीनिवास (उदीपी)

मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत लाल (जम्मू तथा काश्मीर)

मसानी, श्री मी० रु० (रांची--पूर्व)

मसुरिया दीन, श्री (अफूलपुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

महन्ती, श्री सुरेन्द्र (ढेंकानाल)

महागांवकर, श्री भाऊसाहेब रावसाहेब (कोल्हापुर)

महादेव प्रसाद, श्री (गोरखपुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

महापात्र, श्री भागीरथी (उड़ीसा)

महेन्द्र प्रताप, राजा (मथुरा)

महेश शरण, श्री (बिहार)

माईति, श्री नि० वि० (घाटल)

माझी, श्री रामचन्द्र (मयूरभंज--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

माथुर, श्री हरिश्चन्द्र (पाली)

माने, श्री गो० का० (बम्बई नगर मध्य--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

मायादेवी छेत्री, श्रीमती (पश्चिमी बंगाल)

मालवीय, पंडित गोबिन्द (सुल्तानपुर)

मालवीय, श्री कन्हैयालाल भेरूलाल (शाजापुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

मालवीय, श्री केशव देव (खान और तेल मंत्री)

मालवीय, श्री मोतीलाल (खजुराहों--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

मालवीय, श्री रतनलाल किशोरीलाल (मध्य प्रदेश)

मित्र श्री प्रतुल चन्द्र (बिहार)

म—(क्रमशः)

मिनिमाता अगमदास गुरु, श्रीमती (बलोदा बाजार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मिश्र, श्री एस० डी० (सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री के सभासचिव)

मिश्र, श्री भगवानदीन (केसरगंज)

मिश्र, श्री बिबुधेन्द्र (उड़ीसा)

मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (बेगुसराय)

मिश्र, श्री रघुबर दयाल (बुलन्दशहर)

मिश्र, श्री राजा राम (फैजाबाद)

मिश्र, श्री ललित नारायण (श्रम और रोजगार तथा योजना उप-मंत्री)

मिश्र, श्री लोक नाथ (उड़ीसा)

मिश्र, श्री विभूति (बगहा)

मिश्र, श्री श्याम नन्दन (योजना उप-मंत्री)

मुकर्जी, श्री हीरेन्द्र नाथ (कलकत्ता—मध्य)

मुत्तुकृष्णन्, श्री म० (बल्लोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मुदलियार, डा० ए० आर० (मद्रास)

मुनिस्वामी, श्री न० रा० (बैल्लोर)

मुरमू, श्री पाइका (राजमहल—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (झुंझनू)

मुसाफिर, ज्ञानी गुरमुख सिंह (अमृतसर)

मुहम्मद अकबर, शेख (जम्मू तथा काश्मीर)

मुहम्मद इब्राहीम, हाफिज (सिंचाई और विद्युत मंत्री)

मुहम्मद इमाम, श्री (चितलदुर्ग)

मुहीउद्दीन, श्री (असैनिक उड्डयन उप-मंत्री)

मुर्त्ति, श्री ब० सू० (सामुदायिक विकास तथा संस्कार उप-मंत्री)

मूर्ति, श्री म्रि० सू० (गोलुगोंडा)

मेनन, डा० क० ब० (बडागरा)

मेनन, श्री के० माधव (केरल)

मेनन, श्री नारायणन् कुट्टि (मुकुन्दपुरम)

मेनन, श्री वें० कृ० कृष्ण (प्रतिरक्षा मंत्री)

मेलकोटे, डा० (रायचूर)

मेहता, श्री अशोक (मुजफ्फरपुर)

मेहता, श्री एम० एम० (गुजरात)

मेहता, श्रीमती कृष्णा, (जम्मू तथा काश्मीर)

मेहता, श्री जसवन्त राज (जोधपुर)

(म—क्रमशः)

मेहता, श्री बलवन्त राय गोपालजी (गोहिलवाड़)
मेहदी, श्री सै० अहमद (रामपुर)
मैथेन, श्री जोजफ (केरल)
मोदी, श्री जे० के० (गुजरात)
मोरे, श्री ज० घ० (शोलापुर)
मोहनस्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहम्मद अली, श्री (मध्य प्रदेश)
मोहीदीन, श्री गुलाम (डिंडीगल)

य

यशोदा, रेड्डी, श्रीमती (आंध्र प्रदेश)
याजी, श्री शीलभद्र (बिहार)
याज्ञिक, श्री इन्दुलाल कन्हैयालाल (अहमदाबाद)
यादव, श्री राम सेवक (बाराबंकी)

र

रंगा, श्री (तेनाली)
रंगाराव, श्री (करीम नगर)
रघुनाथ सिंह जी, श्री (बाड़मेर)
रघुनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
रघुवीर सहाय, श्री (बदायूं)
रघुरामैया, श्री कोता (प्रतिरक्षा उप-मंत्री)
रघुवीर, आचार्य (गुजरात)
रणवीर सिंह, चौ० (रोहतक)
रथ, श्री अभिमन्यु (उड़ीसा)
रहमान, श्री मु० हिफजुर (अमरोहा)
राउत, श्री भोला (चम्पारन—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राउत, श्री राजा राम बाल कृष्ण (कोलाबा)
राजगोपालन, श्री जी० (मद्रास)
राज बहादुर, श्री (परिवहन तथा संचार मंत्रालय के राज्य-मंत्री)
राजभोज, श्री पां० ना० (महाराष्ट्र)
राजू, श्री द० स० (राजामुंद्री)
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री (राय बरेली)

(र---क्रमशः)

राजेन्द्र सिंह, श्री (छपरा)
राज्य लक्ष्मी, श्रीमती ललिता (हजारीबाग)
राधा मोहन सिंह, श्री (बलिया)
राधा रमण, श्री (चांदनी चौक)
राने, श्री शिवराम रंगो (बुलडाना)
रामकृष्णन्, श्री पी० रा० (पोल्लाची)
रामगरीब, श्री (बस्ती---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
रामधनीदास, श्री (नवादा---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
रामपुरे, श्री महादेवप्पा (गुलबर्गा)
रामम, श्री उद्दाराजू (नरसापुर)
राम सहाय, श्री (मध्य प्रदेश)
राम सुभग सिंह, डा० (सहसराम)
रामस्वामी, श्री क० स० (गोबी चट्टिपलयम्)
रामस्वामी, श्री पु० (महबूबनगर--रक्षित---अनुसूचित जातियां)
रामस्वामी, श्री सें० वें० (रेलवे उपमंत्री)
रामशंकर लाल, श्री (डुलरियागंज)
राम शरण, श्री (मुरादाबाद)
रामानन्द तीर्थ, स्वामी (औरंगाबाद)
रामामर्त्ती, श्री पी० (मद्रास)
रामौल, श्री शिवानन्द (महासू)
राय, डा० नीहार रंजन (पश्चिमी बंगाल)
राय, श्री खुशवक्त (खेरी)
राय, श्री बीरेन (पश्चिमी बंगाल)
राय, श्रीमती रेणुका (मालदा)
राय, श्री विश्वनाथ (सलेमपुर)
राय, श्री सतेन्द्रो प्रसाद (पश्चिमी बंगाल)
राय, श्रीमती सहोदरा बाई (सागर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
राव, श्री इ० मधुसूदन (महबूबाबाद)
राव, श्री एस० वी० कृष्णमूर्ति (मैसूर)
राव, डा० के० एल० नरसिम्ह (आंध्र प्रदेश)
राव, श्री डी० रामानुज (आंध्र प्रदेश)
राव, श्री त० ब० विट्ठल (खम्मम)

र--(क्रमशः)

राव, श्री तिरुमल (काकिनाडा)

राव, श्री देवुलपल्ली वेंकटेश्वर (नलगोंडा)

राव, श्री रा० जगन्नाथ (कोरापट)

राव, श्री बी० राजगोपाल (श्रीकाकुलम्)

राव, श्री रामेश्वर (महबूबनगर)

राव, श्री वी० सी० केशव (आन्ध्र प्रदेश)

राव, श्री हनुमन्त (मेदक)

रुंगसुंग सुइसा, श्री (बाह्य मनीपुर--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

रुक्मणीबाई, श्रीमती (मध्य प्रदेश)

रुक्मिणी अरुंडेल, श्रीमती (नाम-निर्देशित)

रूप नारायण, श्री (मिर्जापुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

रेड्डी, श्री ए० बलरामि (आंध्र प्रदेश)

रेड्डी, श्री एन० श्रीराम (मैसूर)

रेड्डी, श्री एस० चन्ना (आंध्र प्रदेश)

रेड्डी, श्री क० च० (वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री)

रेड्डी, श्री जे० सी० नागी (आंध्र प्रदेश)

रेड्डी, श्री नागी (अनन्तपुर)

रेड्डी, श्री बाली (मरकापुर)

रेड्डी, डा० वी० गोपाला (निर्माण, आवास और संभरण मंत्री)

रेड्डी, श्री मुल्क गोविन्द (मैसूर)

रेड्डी, श्री मुल्लंगि गोविन्द (मैसूर)

रेड्डी, श्री राम कृष्ण (हिन्दूपुर)

रेड्डी, श्री रामी (कड़पा)

रेड्डी, श्री रे० लक्ष्मी नरसा (नेल्लोर)

रेड्डी, श्री रो० नरपा (ओंगोल)

रेड्डी, श्री विश्वनाथ (राजमपेट)

ल

लक्ष्मण सिंह, श्री (नामनिर्देशित--अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)

लक्ष्मी एन० मेनन, श्रीमती (वैदेशिक-कार्य उप-मंत्री)

लक्ष्मीबाई, श्रीमती (विकाराबाद)

लच्छीराम, श्री (हमीरपुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

लाल, प्रो० मुकुट बिहारी (उत्तर प्रदेश)

ल--(क्रमशः)

लास्कर, श्री निवारण चन्द्र (कचार--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
लाहिरी, श्री जितेन्द्र नाथ (श्रीरामपुर)
लिंगम, श्री एन० एम० (मद्रास)
लिमये, श्री श्रीपाद कृष्ण (महाराष्ट्र)
लीला देवी, श्रीमती (हिमाचल प्रदेश)
लोनीकट, श्री रा० ना० यादव (जालना)
लोहानी, श्री आई० टी० (गुजरात)

व

वरेरकर, श्री भार्गवराम विट्ठल (मामा) (नाम-निर्देशित)
वर्मा, श्री बि० बि० (चम्बारन)
वर्मा, श्री माणिक्यलाल (उदयपुर)
वर्मा, श्री रामजी (देवरिया)
वर्मा, श्री राम सिंह भाई (निमाड़)
वसु, डा० अतीन्द्रनाथ (पश्चिमी बंगाल)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (बलरामपुर)
वाडिया, प्रो० ए० आर० (नाम-निर्देशित)
वाडीवा, श्री ना० (छिन्दवाड़ा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
वायलेट अल्वा, श्रीमती (गृह-कार्य उपमंत्री)
वारियर, श्री कृ० कि० (त्रिचूर)
वाल्वी, श्री लक्ष्मण वेडू (पश्चिमी खानदेश--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
वासनिक, श्री बालकृष्ण (भंडारा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
विजय आनन्द, डा० (विशाखापटनम्)
विजय राजे, कुंवरानी (छतरा)
विजयवर्गीय, श्री गोपीकृष्ण (मध्य प्रदेश)
विल्सन, श्री जान० न० (मिर्जापुर)
विश्वनाथ प्रसाद, श्री (आजमगढ़--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
विश्वास, श्री भोलानाथ (कटिहार)
वीरेन्द्र बहादुर सिंह जी, श्री (रायपुर)
वेंकटा सुब्बैया, श्री पेन्देकान्ति (अडोनी)
वेद कुमारी, कुमारी मो० (एलूरू)
वेंकटरमण, श्री वी० (आंध्र प्रदेश)
वेंकटरामन्, श्री एस० (मद्रास)

व—(क्रमशः)

वैरावन, श्री अ० (तंजौर)
वोडयार, श्री क० गु० (शिमोगा)
व्यास, श्री जयनारायण (राजस्थान)
व्यास, श्री रमेश चन्द्र (भीलवाड़ा)
व्यास, श्री राधेलाल (उज्जैन)

श

शंकर देव, श्री (गुलबर्गा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शंकर पांडियन, श्री (टंकासी)
शंकरय्या, श्री (मैसूर)
शकुन्तला देवी, श्रीमती (बंका)
शर्मा, श्री एल० ललित माधव (मनीपुर)
शर्मा, पंडित कृष्ण चन्द्र (हापुड़)
शर्मा, श्री दीवान चन्द्र (गुरदासपुर)
शर्मा, श्री पूर्ण चन्द्र (आसाम)
शर्मा, श्री माधोराम (पंजाब)
शर्मा, श्री राधा चरण (ग्वालियर)
शर्मा, श्री हरिश्चन्द्र (जयपुर)
शांता वशिष्ठ, कुमारी (पंजाब)
शारदा भार्गव, श्रीमती (राजस्थान)
शास्त्री, श्री प्रकाशवीर (गुड़गांव)
शास्त्री, श्री लाल बहादुर (गृह-कार्य मंत्री)
शास्त्री, पंडित ही० (सवाई माधोपुर)
शास्त्री, स्वामी रामानन्द (बाराबांकी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शाह, श्री के० के० (महाराष्ट्र)
शाह, श्री मनुभाई (उद्योग मंत्री)
शाह, श्री मान्वेन्द्र (टेहरी गढ़वाल)
शाह, श्रीमती जयाबेन बजुभाई (गिरनार)
शिव, डा० गंगाधर (चित्तूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शिवनंजप्पा, श्री (मंडया)
शिवराज, श्री (चिंगलपट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (बलोद बाजार)

श—(क्रमशः)

शेट्टी, श्री बासप्पा (मैसूर)
शेरखाँ, श्री (मैसूर)
शेरवानी, श्री एम० आर० (उत्तर प्रदेश)
शोभाराम, श्री (अलवर)
श्रीनारायण दास, श्री (दरभंगा)
श्रीनिवासन्, श्री टी० (मद्रास)
श्रीमाली, डा० कालू लाल (शिक्षा मंत्री)

स

संगण्णा, श्री तो० (कोरापट—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
संतानम्, श्री के० (मद्रास)
सवंदम्, श्री (नागपट्टिनम)
सक्सेना, श्री मोहन लाल (नाम-निर्देशित)
सक्सेना, श्री शिब्बन लाल (महाराजगंज—उत्तर प्रदेश)
सक्सेना, श्री हर प्रसाद (उत्तर प्रदेश)
सतीश चन्द्र, श्री (वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री)
सत्यनारायण, श्री एम० (नाम-निर्देशित)
सत्य नारायण, श्री बिट्टिका (पार्वतीपुरम्—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
सत्यभामा देवी, श्रीमती (नवादा)
सत्याचरण, प्रो० (उत्तर प्रदेश)
सप्रू, श्री प्रकाश नारायन (उत्तर प्रदेश)
सम्पत्, श्री (नामक्कल)
सरदार, श्री भोली (सहरसा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सरवटे, श्री विष्णु विनायक (मध्य प्रदेश)
सरहदी, श्री अजित सिंह (लुधियाना)
सहगल, सरदार अमरसिंह (जंजगीर)
सादिक अली, श्री (राजस्थान)
साधूराम, श्री (जालन्धर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तामलुक)
सामन्त-सिंहार, डा० न० चं० (भुवनेश्वर)
साम्युवेल, श्री मुडुमाला हेनरी (आंध्र प्रदेश)
सालक, श्री बालासाहेब (खेड़)

सावनेकर, श्री बाबा साहेब (महाराष्ट्र)
सावित्री निगम, श्रीमती (उत्तर प्रदेश)
साहू, श्री भगवत (बालासोर)
साहू, श्री रामेश्वर (दरभंगा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
सिंह, राजा अजित प्रताप (उत्तर प्रदेश)
सिंह, श्री अवधेश्वर प्रसाद (बिहार)
सिंह, श्री क० ना० (शहडोल--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
सिंह, श्री कामता (बिहार)
सिंह, श्री कामेश्वर (बिहार)
सिंह, श्री गंगाशरण (बिहार)
सिंह, श्री चण्डिकेश्वर शरण (सरगूजा)
सिंह, ज्ञानी जैल (पंजाब)
सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (पपरी)
सिंह, श्री दिनेश प्रताप (गोंडा)
सिंह, श्री देवेन्द्र प्रसाद (बिहार)
सिंह, श्री निरंजन (मध्य प्रदेश)
सिंह, श्री प्रभु नारायण (चन्दौली)
सिंह, श्री बनारसी प्रसाद (मुंगेर)
सिंह, सरदार बुध (जम्मू और काश्मीर)
सिंह, श्री ब्रजकिशोर प्रसाद (बिहार)
सिंह, ठाकुर भानु प्रताप (मध्य प्रदेश)
सिंह, श्री महेन्द्रनाथ (महाराजगंज--बिहार)
सिंह, श्री मोहन (पंजाब)
सिंह, डा० रघुबीर (मध्य प्रदेश)
सिंह, श्री राजेन्द्र प्रताप (बिहार)
सिंह, श्री राजेश्वर प्रसाद नारायण (बिहार)
सिंह, श्री राम बहादुर (बिहार)
सिंह, श्री लैसराम अचौ (आन्तरिक मनीपुर)
सिंह, श्री विजय (राजस्थान)
सिंह, श्री सत्यनारायण (संसद्-कार्य मंत्री)
सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद--बिहार)
सिंह, श्री हर प्रसाद (गाजीपुर)

सिंह दिनकर, प्रो० रामधारी (बिहार)
सिंहासन सिंह, श्री (गोरखपुर)
सिदय्या, श्री (मैसूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सिद्धनंजप्पा, श्री (हसन)
सिन्धिया, श्रीमती विजय राजे (गुना)
सिन्हा, श्री कैलाशपति (नालन्दा)
सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रसाद (इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव)
सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (वित्त उपमंत्री)
सिन्हा, श्री सारंगधर (पटना)
सीता परमानन्द, डा० श्रीमती (मध्य प्रदेश)
सीता युद्धवीर, श्रीमती (आंध्र प्रदेश)
सुगन्धि, श्री मु० सु० (बीजापुर—उत्तर)
सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सुब्बरायन, डा० प० (परिवहन तथा संचार मंत्री)
सुब्बाराव, डा० ए० (केरल)
सुब्रह्मण्यम्, श्री टेकुर (बेल्लारी)
सुमत प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
सुल्तान, श्रीमती मैमूना (भोपाल)
सुपकार, श्री श्रद्धाकर (सम्बलपुर)
सूर, श्री एम० एम० (पश्चिमी बंगाल)
सूर्य प्रसाद, श्री (ग्वालियर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सेठ, श्री इब्राहीम सुलेमान (केरल)
सेठ, श्री बिशन चन्द (शाहजहांपुर)
सेठी, श्री पी० सी० (मध्य प्रदेश)
सेन, श्री अशोक कु० (विधि मंत्री)
सेन, श्री फणि गोपाल (पूर्निया)
सैलकू, श्री मारदी (पश्चिमी दीनाजपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
सैयद महमूद, उ० (गोपाल गंज)
सोनावने, श्री तय्यप्पा (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सोनुल, श्री हरिहर राव (नांदेड़)
सोमानी, श्री ग० ध० (दौसा)

स—(क्रमशः)

सोरेन, श्री देवी (दुमका—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
सोलमन, श्री पि० ए० (केरल)
स्नातक, श्री नरदेव (अलीगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
स्वर्ण सिंह, सरदार (इस्पात, खान और ईंधन मंत्री)
स्वामी, श्री (चांदा)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
हगजेर, श्री जे० बी० (आसाम)
हजरनवीस, श्री रा० म० (विधि उपमंत्री)
हजारिका, श्री जोगेन्द्र नाथ (वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव)
हरवानी, श्री अन्सार (फतेहपुर)
हर्डीकर, डा० एन० एस० (मैसूर)
हाथी, श्री जयसुखलाल लालशंकर (सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री)
हाल्दर, श्री कन्सारी (डायमण्ड हार्बर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
हिनिटा, श्री हूवर (स्वायत्त जिले—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
हिम्मतसिंहका, श्री प्रभुदयाल (पश्चिमी बंगाल)
हुक्म सिंह, सरदार (भटिंडा)
हेडा, श्री ह० चं० (निजामाबाद)
हेमराज, श्री (कांगड़ा)

संसद् के सदनों की संयुक्त बैठक

अध्यक्ष

श्री अनन्तशयनम् अय्यंगार

उपाध्यक्ष

सरदार हुक्म सिंह

उप-सभापति

श्री एस० वि० कृष्णमूर्ति राव

सचिव

श्री महेश्वर नाथ कौल, बैरिस्टर-एट-ला

भारत सरकार

मंत्रि-मंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति विभाग के भारसाधक मंत्री—श्री जवाहरलाल नेहरू

वित्त मंत्री—श्री मोरारजी देसाई

रेलवे मंत्री—श्री जगजीवन राम

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री—श्री गुलजारी लाल नन्दा

गृह-कार्य मंत्री—श्री लाल बहादुर शास्त्री

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री—श्री क० च० रेड्डी

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री—सरदार स्वर्ण सिंह

प्रतिरक्षा मंत्री—श्री वे० कृ० कृष्ण मेनन

खाद्य तथा कृषि मंत्री—श्री स० का० पाटिल

सिंचाई और विद्युत् मंत्री—हाफिज मुहम्मद इब्राहीम

विधि मंत्री—श्री अ० कु० सेन

परिवहन तथा संचार मंत्री—डा० प० सुब्बरायन

राज्य-मंत्री

संसद्-कार्य मंत्री—श्री सत्य नारायण सिंह

सूचना और प्रसारण मंत्री—डा० बा० वि० केसकर

स्वास्थ्य मंत्री—श्री द० प० करमरकर

कृषि मंत्री—डा० पंजाबराव शा० देशमुख

खान और तेल मंत्री—श्री केशव देव मालवीय

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री—श्री मेहर चन्द खन्ना

वाणिज्य मंत्री—श्री नित्यानन्द कानूनगो

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री राज बहादुर

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री —श्री ब० ना० दातार

उद्योग मंत्री—श्री मनुभाई शाह

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री—श्री सुरेन्द्र कुमार डे

शिक्षा मंत्री—डा० का० ला० श्रीमाली

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री—श्री हुमायून् कबिर

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री—डा० बे० गोपाल रेड्डी

उपमंत्री

प्रतिरक्षा उपमंत्री--सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया
श्रम उपमंत्री--श्री आबिद अली
निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री--श्री अनिल कु० चन्दा
कृषि उपमंत्री--श्री मौं० वें० कृष्णप्पा
सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री--श्री जयसुखलाल लालशंकर हाथी
वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री--श्री सतीश चन्द्र
योजना उपमंत्री--श्री श्याम नन्दन मिश्र
वित्त उपमंत्री--श्री ब० रा० भगत
वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री--डा० मनमोहन दास
रेलवे उपमंत्री--श्री शाहनवाज़ खां
वैदेशिक-कार्य उपमंत्री--श्री लक्ष्मी मेनन
गृह-कार्य उपमंत्री--श्रीमती वायलेट आल्वा
प्रतिरक्षा उपमंत्री--श्री कोत्ता रघुरमैय्या
खाद्य तथा कृषि उपमंत्री--श्री अ० म० थामस
विधि उपमंत्री--श्री हुजरतवीस
रेलवे उपमंत्री--श्री सें० वें० रामस्वामी
असैनिक उड्डयन उपमंत्री--श्री मुहीउद्दीन
वित्त उपमंत्री--श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा
पुनर्वास उपमंत्री--श्री पू० शे० नास्कर
सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री--श्री ब० सु० मूर्ति
श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री--श्री ललित नारायण मिश्र

सभा-सचिव

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव--श्री सादत अली खां
वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव--श्री जो० ना० हजारिका
प्रतिरक्षा मंत्री के सभा-सचिव--श्री फतेहसिंहराव प्रतापसिंहराव गायकवाड़
सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा-सचिव--श्री आ० चं० जोशी
इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव--श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा
सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री के सभा-सचिव--श्री श्यामधर मिश्र

संसद् के सदनों की संयुक्त बैठक

शनिवार, ६ मई, १९६१/१६ वैशाख, १८८३ (शक)

संसद् भवन के केन्द्रीय हाल में संसद् के सदनों की संयुक्त बैठक ११ बजे सनवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

स्वागत भाषण

†श्री म० ला० द्विवेदी (हमीरपुर) : एक औचित्य प्रश्न है

†अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति, सभा की कार्यवाही शुरू होने से पूर्व कोई औचित्य प्रश्न नहीं उठाया जा सकता ।

संसद सदस्यों, संसद की दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक में आपकी उपस्थिति के लिये मैं आपका स्वागत करता हूं । आज का अवसर हमारी संसद् के आरम्भ से अब तक के इतिहास में एक अभूतपूर्व अवसर है । आशा है कि विचार-विमर्श के दौरान सभी लोग सद्भावना से काम लेंगे और किसी ऐसे हल पर पहुंचने के लिये प्रयत्न किया जायेगा, जिससे सभी लोग सहमत हों ।

पंडित मोतीलाल नेहरू को श्रद्धांजलि

†अध्यक्ष महोदय : आज का काम शुरू करने से पूर्व मैं देश के महान पुत्र पंडित मोतीलाल नेहरू को अपनी तथा आपकी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । आज सारे देश में उनकी जन्म-शताब्दी मनाई जा रही है । वह हमारे देश के एक-गौरवयुक्त सपूत थे जिनकी अमिट छाप इस सभा में सदैव विद्यमान रहेगी । वह एक महान राजनीतिज्ञ तथा एक साहसी सैनिक थे । शुरू में वह एक सफल वकील थे लेकिन बाद में चल कर एक क्रान्तिकारी बन गये । जलियांवाला बाग की घटना ने उनके जीवन में एक मोड़ ला दिया । बाद में चलकर वह महात्मा गांधी के भक्त बन गये । कभी भी जेल जाने में उन्होंने हिचकिचाहट प्रकट नहीं की । उन्होंने हमारे सामने एक उच्चादर्श रखा । स्वराज्य दल के नेता के रूप में उन्होंने लोकतंत्रीय परम्परा एवं प्रथाओं का ऐसा रूप हमारे सामने रखा जिसका अनुकरण आज किया जा सकता है । आज वह हमारे सामने उपस्थित तो नहीं हैं लेकिन उन्होंने हमारे सामने ऐसा आदर्श रखा है जिसका अनुकरण अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिये

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

किया जा सकता है। वह एक महान राजनीतिज्ञ तथा एक साहसी सैनिक थे। उन्होंने कभी भी विरोध करते समय क्रोध प्रदर्शित नहीं किया और बिना किसी कटुता के अपनी पराजय को स्वीकार किया। हमें उनका अनुकरण करना चाहिये।

दहेज निषेध विधेयक

दोनों सदनों द्वारा पारित एवं अनुमोदित संशोधनों सहित विधेयक सभा पटल पर रखा गया

†श्री म० ला० द्विवेदी (हमीरपुर) : मेरा एक औचित्य प्रश्न है . . . .

†अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। वही बात मैं अब ले रहा हूं।

संसद की दोनों सभाओं के सदस्यों के नाम जारी किये गये समनों के अनुसरण में हम लोग यहां एकत्रित हुए हैं और उन मतभेदों पर विचार करने के लिये एकत्रित हुए हैं जो दोनों सभाओं में उत्पन्न हुए हैं। सब से पहले मैं सचिव को आदेश दूंगा कि वह उस विधेयक को सभा पटल पर रखे जिस पर चर्चा करने के लिये हम यहां एकत्रित हुए हैं तथा उन संशोधनों को भी सभा पटल पर रखे जिनके बारे में कि मतभेद हैं। उस विधेयक को औपचारिक रूप से सभा पटल पर रखने दीजिये।

†सचिव : मैं दहेज देने अथवा लेने पर प्रतिबन्ध लगाने वाले विधेयक को, लोक सभा तथा राज्य सभा द्वारा पारित रूप में तथा उन संशोधनों सहित जिनके बारे में दोनों सभा सहमत हैं, सभा पटल पर रखता हूं।

प्रक्रिया सम्बन्धी औचित्य प्रश्न

श्री म० ला० द्विवेदी (हमीरपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज जो यह दोनों सदनों का मिला जुला सत्र बुलाया गया है उस के लिये प्रक्रिया में, प्रोसीजर में, जो लिखा हुआ है वह इस प्रकार है : "कि सचिव संयुक्त बैठक के समय एवं स्थान के बारे में प्रत्येक सदस्य को सूचना देगा।" इस में यह नहीं बतलाया गया कि कितने समय की सूचना दी जानी चाहिये। लेकिन साथ ही साथ ७वें रूल में लिखा हुआ है : "कि किसी भी संयुक्त बैठक उन संशोधित एवं परिवर्तित प्रक्रिया के अनुसार होगी जिन्हें अध्यक्ष महोदय आवश्यक अथवा ठीक समझें।" जहां तक मेरा खयाल है, इस सत्र का बुलाया जाना परम्पराओं के अनुकूल नहीं है। इस कारण या तो इस कार्रवाई को स्थगित कर देना चाहिये या अध्यक्ष महोदय इस पर अपना मोडिफिकेशन जारी करें। इस सम्बन्ध में मैं यह प्रकाश डालना चाहता हूं कि जो संसद् के सदनों की मिली जुली बैठक के लिये नियम बनाये गये हैं, उन में कोई समय निर्धारित नहीं किया गया कि कितने दिन पूर्व सूचना देनी चाहिये बैठक को बुलाने के लिये। लेकिन साथ ही साथ ७वें रूल में लिखा हुआ है कि यदि अध्यक्ष महोदय उचित समझें तो वे इस में तरमीम कर के अपनी आज्ञा जारी कर सकते हैं। अभी तक अध्यक्ष महोदय ने कोई तरमीम जारी नहीं की। लेकिन साथ ही साथ लोक सभा के जितने नियम, धारायें और परम्परायें हैं वे इस बैठक के लिये लागू होती हैं। लोक सभा की जो चैप्टर २ में प्रक्रिया धारा ३

---

†मूल अंग्रेजी में

है, उस में लिखा हुआ है "बशर्ते कि बैठक अल्पकालीन सूचना अथवा आपातकाल में हो तो प्रत्येक सदस्य को अलग अलग से समन जारी नहीं किये जा सकते और बैठक के समय एवं स्थान की सूचना गजट तथा समाचार पत्रों में छापी जा सकती है तथा सदस्यों को तार द्वारा सूचना दी जा सकती है।" मेरा कहना यह है कि यह बैठक शार्ट नोटिस पर नहीं बुलाई गई, न किसी इमर्जेन्सी पर बुलाई गई है, क्योंकि बैठक बुलाये जाने के जो कारण हैं वे छः महीने पूर्व से मालूम हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य कृपा करके अपना स्थान ग्रहण करें मैंने उनकी बात सुन ली है। औचित्य प्रश्न के बारे में केवल निवेदन किया जाता है न कि तर्क। औचित्य प्रश्न यह है कि माननीय सदस्यों को अलग-अलग से समन नहीं भेजे गये हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि समन भेज दिये गये हैं।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : समन समय पर जारी नहीं किये गये हैं। संसदीय प्रथा के अ सार एक महीने पहले नोटिस जारी किया जाना चाहिये था और अब तक जो भी संयुक्त बैठक हुई है उनके बारे में यही प्रथा अपनाई गई थी। अब की बार यह प्रथा नहीं अपनाई गई है।

†**श्री भूपेश गुप्त** (पश्चिमी बंगाल) : नोटिस की कोई आवश्यकता नहीं है। संविधान के अनुच्छेद के अनुसार आपको काफ़ी अधिकार है कि आप सभा की कार्यवाही कर सक। अतः मैं इस औचित्य प्रश्न का विरोध करता हूं। संविधान के अनुच्छेद १०८ में इस बात का उल्लेख मिलता है कि किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं और अनुच्छेद १०८ की शर्तों की पूर्ति कर दी गई है। प्रक्रिया नियमों के अनुसार भी आपको यह अधिकार है। चूंकि आप यहां अध्यक्ष हैं अतः अपने अपने कार्य से प्रक्रिया नियम में भी संशोधन कर दिया है। अतः यह औचित्य प्रश्न ठीक नहीं है, इसलिये इसे अस्वीकृत कर दिया जाये।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : विधि मंत्री को इसका उत्तर देना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को उत्तर पाने का कोई अधिकार नहीं है।

यह बैठक हम राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार में कर रहे हैं। नियमानुसार सचिव को अधिकार दिया जाता है कि वह बैठक की तिथि और उसके समय के बारे में माननीय सदस्यों को सूचना दे दें और ऐसा किया जा चुका है। अगर आप लोग चाहें तो इस कार्य को आज ही समाप्त किया जा सकता है बशर्ते कि आप लोग अधिक देर तक बैठें। इस बारे में कोई नियम नहीं है।

जहां तक कि ३० दिन पहले सूचना देने की बात है। वह कोई सामान्य बैठक नहीं है। इसलिये ३० दिन पहले आमंत्रण देना आवश्यक नहीं है। जहां तक आज की बैठक का प्रश्न है केवल संशोधनों के लिये नोटिस की आवश्यकता है। इसके लिये दो दिन से भी अधिक समय दिया गया है जो काफी है। इसलिये इस बारे में भी कोई विवाद की आवश्यकता नहीं है।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं ने एक कामरोको प्रस्ताव की सूचना दी थी। यह पार्लियामेंट का सम्मिलित अधिवेशन चल रहा है। जैसा कि आपने कहा, हिन्दुस्तान

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब्रजराज सिंह]

आजाद होने के बाद अपने तरीके का यह पहला अधिवेशन है । इसलिए मैं उसूल का एक प्रश्न उठाना चाहता हूं, और वह यह है कि जब सम्मिलित अधिवेशन संसद का चल रहा हो तो संसद के किसी सदस्य को यह अधिकार है या नहीं कि सरकार की किसी विफलता के लिए वह सदन के स्थगन का प्रस्ताव पेश कर सके । यह अपनी तरह का नया अधिवेशन हो रहा है और हमें भविष्य के लिए परम्पराएं बनानी हैं, इसलिए मैं इस समय आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मैं ने जो कामरोको प्रस्ताव दिया है वह इसलिए कि दिल्ली में बिजली की सप्लाई बन्द होने की सम्भावना पैदा हो गयी है । यह कहा गया है कि आज भी कुछ समय के लिए बिजली की सप्लाई खत्म हो जाएगी ।

†विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : एक औचित्य प्रश्न है । संविधान के अनुसार मैं उन सभी बातों पर वाद विवाद करने का विरोध करता हूं जो इस विषय के अन्तर्गत नहीं आते जिनके लिये कि यह बैठक बुलाई गई है ।

†अध्यक्ष महोदय : श्री ब्रजराज सिंह ने एक स्थगन प्रस्ताव के बारे में सूचना दी थी । मैंने उसकी अनुमति इस आधार पर नहीं दी कि हम एक विशेष कार्य के लिये यहां एकत्रित हुए हैं जिसका उल्लेख राष्ट्रपति ने किया है । इसके बावजूद भी वह यह प्रश्न उठाना चाहते हैं । उनका प्रश्न क्षेत्राधिकार के बाहर की बात है ।

श्री ब्रजराज सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी जो कानून मंत्री महोदय कह रहे थे, उससे मैं अपनी असहमति प्रकट करता हूं । लोक सभा और राज्य सभा का अधिवेशन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है, लेकिन आपको और राज्य सभा के अध्यक्ष को यह अधिकार प्राप्त है कि अगर बीच में कोई महत्वपूर्ण प्रश्न पैदा हो जाए तो दोनों सदनों की बैठक बुला सकते हैं । किन्तु यह दोनों सदनों का सम्मिलित अधिवेशन हो रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सदन में किसी सदस्य को अधिकार है कि अगर मुल्क में कोई विषम स्थिति पैदा हो जाए या सरकार की कोई विफलता हो तो उसके सम्बन्ध में कामरोको प्रस्ताव पेश कर सकता है । आपकी इस प्रश्न पर रूलिंग से भविष्य के लिए परम्परा बनेगी । इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सरकार के इस दृष्टिकोण को रिजेक्ट करते हुए व्यवस्था दें जिससे कि भविष्य में जब भी कोई ऐसा अधिवेशन हो तो पार्लियामेंट के किसी सदस्य को सरकार की किसी विफलता की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सदन को स्थगित करने का प्रस्ताव पेश करने का अधिकार हो ।

†श्री अ० कु० सेन : आज की बैठक का एक मात्र उद्देश्य उस विधेयक पर विचार करना तथा उस पर मतदान करना है जिसके लिये राष्ट्रपति ने यह बैठक बुलाई है । जो बात पूछी गई है उसमें कोई सार नहीं है ।

†अध्यक्ष महोदय : मैं बिल्कुल सहमत हूं । चूंकि यह बैठक एक विशेष कार्य के लिये है अतः किसी भी स्थगन प्रस्ताव या इस विषय से असम्बद्ध अन्य किसी भी प्रस्ताव या चर्चा करना संगत नहीं है । अगर माननीय सदस्य इसे अत्यावश्यक समझते हैं तो वह इसके लिये अलग से सूचना दें । सभा इस पर विचार कर सकती है । यह बैठक तो एक विशेष कार्य के लिये ही बुलाई गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दहेज निषेध विधेयक

†विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि दहेज देने अथवा लेने को निषिद्ध करने वाले विधेयक पर, लोक सभा तथा राज्य सभा द्वारा पारित रूप में तथा दोनों सभाओं द्वारा सहमति प्राप्त संशोधनों पर, और जिन मामलों में दोनों सभाएं सहमत नहीं हैं, उन पर विचार विमर्श करने के प्रयोजन से विचार किया जाये।"

इस विधेयक के बारे में दोनों सभाओं में जो विचार प्रकट हुए हैं उनसे प्रकट है कि दोनों सभाएं तथा सम्पूर्ण देश दहेज के विरुद्ध हैं। दोनों सभाओं की हुई चर्चाओं से यह प्रकट है कि दोनों सभाओं के दृष्टिकोणों में इस विधेयक को ऐसा स्वरूप देने के मामले में मतभेद है जो कि बहुत अधिक कठोरता अथवा प्रभाव हीनता की त्रुटि से मुक्त हो। यह बात निश्चित रूप से सही है कि जहां हम इस सामाजिक कुप्रथा को समाप्त करने के लिये आतुर हैं वहां हम इस बात के प्रति भी जागरूक हैं कि कोई भी ऐसा कानून पास नहीं किया जाना चाहिये जिसके द्वारा किसी को उत्पीड़ित किया जा सके। वास्तव में इन दोनों महत्वपूर्ण उद्देश्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के प्रयत्नों के फलस्वरूप ही दोनों सभाओं में मतभेद पैदा हुआ।

दहेज एक सामाजिक बुराई है और यह बुराई उस समय और भी वीभत्स रूप धारण कर लेती है जब कि अच्छा वर अथवा वधू पाने के लिये सौदाबाजी होने लगती हैं। यह दहेज प्रथा प्राचीनकाल से चली आ रही है और हिन्दू तथा मुस्लिम दोनों ही विधियों में इसका उल्लेख मिलता है लेकिन इसका उद्देश्य वहां अच्छा ही बताया गया है। हिन्दू शास्त्रों के अनुसार पिता का यह कर्त्तव्य है कि वह अपनी पुत्री को कुछ उपहार दे। और वह वधू की सम्पत्ति मानी जाती है। पहले जब स्त्रियों को उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था तो यही सम्पत्ति ऐसी थी जिन्हें स्त्रियां अपने पास रखा करती थी। इसलिये यह एक अच्छी प्रथा थी।

लेकिन धीरे धीरे इस प्रथा ने बुरा रूप धारण कर लिया और आज स्थिति यह आ गई है कि लोग यह चाहते हैं कि जितनी जल्दी समाप्त हो जाये उतना ही अच्छा है। इस दहेज के कारण बहुत सी मृत्यु भी हुई हैं।

अतः यह प्रश्न उठता है कि किस प्रकार के दहेज पर प्रतिबंध लगाया जाये। क्या उस दहेज पर प्रतिबंध लगाया जाये जो माता पिता प्रेम के वशीभूत होकर अपनी पुत्री को उपहार देते हैं? अतः सबसे पहले यह सवाल उठता है कि 'दहेज' शब्द की परिभाषा क्या है? और वह दहेज क्या है जिस पर हम वास्तव में प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। इसके लिये हमें मूल विधेयक के खंड २ में दहेज की जो परिभाषा दी गई है उसे देखना होगा। हमें इस पर विचार करना होगा कि इस खंड में प्रयुक्त प्रत्यक्षरूप से या अप्रत्यक्षरूप से दिये गये या देने के लिये राजी हो जाने" शब्दों को रखने के लिये आग्रह करें या न करें। इन शब्दों का प्रस्ताव प्रवर समिति ने किया था और लोक सभा ने इसे अस्वीकार कर दिया पर राज्य सभा ने इसे स्वीकार कर लिया है। सामाजिक शिक्षा की दृष्टि से कि सम्पूर्ण देश के लोग हमारी विधियों के प्रभाव को माते इन शब्दों को रखा जाना आवश्यक है।

वाद विवाद के दौरान में मैं यह उल्लेख कर चुका हूं कि माता पिता की ओर से प्रेम के वशीभूत होकर जो उपहार दिये जाते हैं उन पर प्रतिबंध लगाना बहुत बुरा होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० कु० सेन]

लेकिन जो कुछ अप्रत्यक्ष रूप से दिया जाता है वह एक सामाजिक है बुराई है और उस पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है।

प्रवर समिति ने जो सुझाव दिया है मैं उसके पक्ष में हूं और उसका समर्थन भी करता हूं। राज्य सभा ने भी प्रवर समिनिकी राय का समर्थन किया है। अतः मेरा निवेदन है कि खंड २ में "प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष" दोनों ही शब्द रख दिये जायें। इस बात से सभी सहमत हैं कि स्वाभाविक प्रेम के कारण जो उपहार लड़की को दिया जाता है उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिये। साथ ही मैंने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि जो उपहार या दहेज बुरी भावना से अथवा वर या वधू को क्रय करने की भावना से दिया जायेगा उस पर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता है। लोक सभा ने इस बात का समर्थन भी किया। राज्य सभा तथा लोक सभा के कुछ सदस्यों ने और विशेषरूप से महिला सदस्यों ने यह आपत्ति उठाई थी कि यह सिद्ध करना बड़ा कठिन हो जायेगा कि विवाह के अवसर पर जो उपहार दिये गये हैं वे स्वाभाविक प्रेम के कारण ही दिये गये हैं। अन्यथा रूप से दिये गये उपहारों को भी इसी श्रेणी में लिया जायेगा। और जनता इसका लाभ उठायेगी तथा दंड से बचने का प्रयत्न करेगी। मैं जानता हूं कि इस तर्क में कुछ सार भी है।

व्याख्या संख्या १ को सम्मिलित करने या न करने का निर्णय करने से पहले हमें इसके इन दोनों पहलुओं पर विचार कर लेना चाहिये। आवश्यक है कि पहले दोनों दृष्टिकोण समझ लिएें जाय और उसके बाद ही कोई निर्णय किया जाये सदाशयपूर्ण उपहारों और लोगों को परेशानी से बचाने की गुंजाइश रहनी चाहिए।

जहां तक विधि के उल्लंघन की तरकीब निकालने का सवाल है, वह तो होगा। लोग अपवंचना करेंगे ही, विधि आप चाहे जैसी बना द। इसलिये हमें यह नहीं समझना चाहिये कि व्याख्या संख्या १ को न रखने से अपवंचना बन्द हो जायेगी। हमें ऐसी कोई ग़लतफ़हमी नहीं रहनी चाहिये कि अपवंचना बिल्कुल बन्द की जा सकती है या कानून बनाकर दहेज प्रथा मिटाई जा सकती है। फिर भी हम यह विधि पारित कर रहे हैं इसी दृष्टि से कि सामाजिक विचार-प्रक्रिया की धारा बदली जा सके और दहेज लेने वाले यह न समझें कि उन पर कोई सामाजिक कलंक नहीं आ सकता और विधि भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस विधि का यही लाभ होगा।

वह बुराई हमारे समाज के हर स्तर में समा चुकी है। इसलिये इसे केवल विधि द्वारा दूर नहीं किया जा सकता। इतनी बात हमारे तईं साफ रहनी चाहिये। लोग दहेज लेने वालों के खिलाफ़ खुद ही शिकायत करने अभागे नहीं आयेंगे।

इतनी बात हमारे दिमाग में स्पष्ट रहनी चाहिये। केवल कानून से यह बुराई दूर नहीं हो सकेगी। इसका मंशा केवल इतना है कि दहेज लेने वाले डरते रहें कि कानून की व्यवस्थायें उनके खिलाफ़ मौजूद हैं और उनका प्रयोग किया जा सकता है। जो लोग इस विधि की अपवंचना करना चाहेंगे, वे उसकी नयी-नयी तरकीब निकालेंगे ही। मैंने निष्पक्षता से दोनों दृष्टिकोण आपके सामने रखने का प्रयास किया है।

दूसरा मतभेद खण्ड ४ के सम्बन्ध में है। लोक-सभा ने इस व्यवस्था को रखना जरूरी समझा था। बहुमत का यही विचार था कि दहेज मांगने वाले को भी दण्डित करने की व्यवस्था होनी चाहिये। हालांकि लोक-सभा के कई माननीय सदस्य इस पक्ष में नहीं थे। उनका विचार था कि दहेज मांगने के लिये दण्ड की व्यवस्था करने से मामला बड़ा पेचीदा हो जायेगा और बड़ी मुकदमेबाजी

होगी । जो भी पक्ष असंतुष्ट होगा, वही मुकदमेबाजी शुरू करने लगेगा । यदि किसी वर पक्ष को कन्या पसन्द न आये, तो भी कन्या पक्ष के लोग शिकायत करने लगेंगे कि दहेज की मांग की गई थी । सभी जानते हैं कि गांवों में दलब दी चलती है । उसके लिये भी इसका फायदा उठाया जायेगा । इसलिये कि शिकायत करने वालों को किसी ठोस चीज़ का सबूत तो देना नहीं पड़ेगा । यदि वास्तव में दहेज लेने की बात होती, तो उसे साबित करना जरा कठिन होता । शिकायत करने वाले को तो सिर्फ इतना कहना पड़ेगा कि मुझ से दहेज मांगा गया था । लिखित रूप से तो कोई मांग करेगा नहीं ।

खण्ड ४ के विरुद्ध दूसरी दलील यह रखी गई थी कि यदि दहेज लेने और दहेज देने के लिये दण्ड की व्यवस्था की जाती है, तो फिर उसकी मांग करने के लिये दण्ड की व्यवस्था करना निरर्थक है । इसलिये कि जब दहेज लेना गैर-कानूनी है, तो फिर कोई दहेज मांगेगा क्यों ?

झूठमूठ की शिकायत बढ़ने की संभावना है । लेकिन साथ ही, यदि हम दहेज की मांग के लिये दण्ड की व्यवस्था नहीं करेंगे तो इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य विफल हो जायेगा । हमारी आलोचना होगी कि हम दहेज प्रथा मिटाने के बारे में गम्भीर नहीं हैं । इसलिये मांग के लिये दण्ड की व्यवस्था भी रखनी चाहिये, लेकिन इस ढंग से कि झूठमूठ की शिकायत भी न बढ़ पाय ।

इसी दृष्टि से सरकार ने एक संशोधन रखा है, जिसकी पूर्व-सूचना आज सुबह दी गई थी । मैं जानता हूं कि पूर्व-सूचना निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नहीं है । वह और पहले दी जानी चाहिये थी । पर आशा है कि सभा उस पर आपत्ति नहीं करेगी । वह संशोधन विभिन्न दृष्टिकोणों के बीच का एक मार्ग पेश करता है । उसके अनुसार खण्ड ४ का वर्तमान रूप तो बनाये रखा जायेगा, लेकिन बाद में एक परन्तुक जोड़ दिया जायेगा कि दहेज की मांग के खिलाफ़ शिकायत करने के लिये राज्य सरकार के सम्बन्धित अधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक होगा । इसका नतीजा यही होगा कि झूठमूठ की शिकायत नहीं हो पायगी ।

राज्य सरकारें सामान्य या विशेष आदेश निकाल कर इसके लिये अधिकारी नियुक्त करेंगी । सामान्य या विशेष आदेश की व्यवस्था इसलिये रखी गई है कि सामान्य आदेश के जरिये राज्य सरकारें प्रथम श्रेणी के न्यायाधीशों या एडवोकेट जनरल आदि की ही नियुक्ति कर सकेंगी और गांवों की सामान्य जनता को उनके पास जाना आसान नहीं रहेगा । और यदि राज्य सरकारें चाहें तो किसी क्षेत्र-विशेष के लिये विशेष आदेश द्वारा भी अधिकारी नियुक्त कर सकेंगी । यह राज्य सरकारें स्वयं ही निर्णय करेंगी, क्षेत्रों की स्थानीय अपेक्षाओं को देखते हुए ।

मैं समझता हूं कि इस संशोधन के बाद राज्य-सभा को वह आपत्ति नहीं रहेगी, जिसके कारण खण्ड ४ को हटाने की उसने सिफारिश की थी । खण्ड ४ में परन्तुक जोड़ देने से, राज्य-सभा की झूठ-मूठ शिकायत वाली आपत्ति भी खतम हो जायेगी । आशा है इसे दोनों सभायें स्वीकार कर लेंगी ।

इन्हीं तीन मतभेदों के कारण, यह विधेयक संयुक्त बैठक के सामने रखा गया है । इसमें कुछ छोटे-मोटे संशोधन और भी किये गये हैं, इसे अयतन बनाने के लिये । पहले इसका नाम दहेज अधिनियम, १९६० था । अब उसे १९६१ करना पड़ेगा । पहले अधिनियमन सूत्र में "गणतंत्र के ग्यारहवें वर्ष" रखा गया था, अब उसके स्थान पर बारहवां वर्ष रखना पड़ेगा । ये केवल औपचारिक संशोधन हैं ।

अब मैं, फिर से तीनों मतभेद संक्षिप्त रूप में आपके सामने रखता हूं । सब से पहला मतभेद तो इस पर था कि खण्ड २ में "प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिये गये या देने के लिये राज़ी"—इन

[श्री अ० कु० सेन]

शब्दों को रखा जाये या नहीं। यह प्रवर समिति का सुझाव था कि इन शब्दों को रखा जाये। लोक-सभा ने इसे स्वीकार कर लिया था, पर राज्य-सभा ने अस्वीकार कर दिया है। मेरा विचार है कि सामाजिक शिक्षा की दृष्टि से इनको रखना जरूरी है।

दूसरा मतभेद व्याख्या १ के सम्बन्ध में था। मैंने उसके बारे में पूरी निष्पक्षता के साथ दोनों दृष्टिकोण आपके सामने रख दिये हैं। खण्ड ४ के सम्बन्ध में, मैं बता ही चुका हूं कि सरकार का प्रस्ताव है कि उसे रखा जाये और उसमें एक परन्तुक जोड़ दिया जाये। अब संयुक्त बैठक को इन तीनों के बारे में अपनी राय प्रकट करनी है। यह विधेयक नारी-स्वतंत्रता और सामाजिक प्रगति के इतिहास में एक नया अध्याय आरम्भ करेगा।

नारी-स्वतंत्रता से इसका सीधा सम्बन्ध नहीं है, फिर भी उसके लिये इसका बड़ा महत्व है। इसलिये इसका पारण एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना होगी।

लेकिन यह कहना ग़लत है कि केवल महिलायें ही इस संघर्ष में भाग ले रही हैं। दहेज प्रथा के विरुद्ध संघर्ष में वे अकेली नहीं हैं। सभा में और सभा से बाहर भी हमारी कुछ बहनें ऐसे ही उदगार प्रकट करती हैं। वे भूल जाती हैं कि दहेज पिताओं को ही देना पड़ता है, माताओं को नहीं।

इसलिये पुरुष भी इस प्रथा का क्रिया-कर्म करने के लिये उतने ही कृत-संकल्प हैं। इसमें पुरुषों और नारियों में विभेद नहीं किया जाना चाहिये। यह नहीं समझना चाहिये कि नारियां दहेज के विरुद्ध हैं और पुरुष उसके पक्ष में। यह ग़लत है। यह पूरे समाज और उसकी प्रगति से सम्बन्धित प्रश्न है।

इसके बारे में संसद को देश का नेतृत्व करना चाहिये। सवाल नेतृत्व देने का ही है, क्योंकि केवल कानून बना कर इस सामाजिक बुराई को दूर नहीं किया जा सकता। नेतृत्व देना सामाजिक शिक्षा की प्रक्रिया का ही एक अंग है।

सब से अधिक भरोसा हमें इस विधेयक की उस व्यवस्था पर है, जिसके अनुसार दहेज की सम्पत्ति केवल वधू की सम्पत्ति रहेगी। वधू को यह अधिकार पहली बार दिया जा रहा है। इसे लागू करने से फायदा होगा। मैं मानता हूं कि उनमें से कुछ अपने सम्बन्धियों के खिलाफ़ मुकदमा करने आगे नहीं आयेंगी, लेकिन उनका वैधानिक अधिकार तो रहेगा और उस अधिकार को वे लागू कराने के लिये प्रयत्नशील रहेंगी। और समय की प्रगति के साथ-साथ उनके इस वैधानिक अधिकार को अधिकाधिक मान्यता मिलती जायेगी।

इसलिये यह विधेयक दहेज लेने वालों को दण्डित करने के साथ ही, नारी अधिकारों को भी प्रतिष्ठित करेगा। यह लोकमत को एक ऐसी दिशा दे देगा कि दहेज लेने या देने वाले भय खाने लगेंगे।

आशा है कि हम अपने ही जीवन में दहेज-प्रथा की कपाल-क्रिया कर सकेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

वक्ताओं की संख्या काफी है, और समय कम। इसलिये माननीय सदस्यों को ध्यान रखना चाहिये कि अभी केवल उन तीन मतभेदों के सम्बन्ध में चर्चा करनी है। विधेयक पर तो दोनों सभाओं में काफी विस्तृत चर्चा हो चुकी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

माननीय सदस्यों को समय का ध्यान रखना चाहिये। आज पूरे दिन और ९ मई को १२ बजे तक विधेयक पर सामान्य चर्चा होगी। उसके बाद संशोधन लिये जायेंगे। फिर तृतीय वाचन होगा। दोपहर के भोजन के लिये बैठक स्थगित नहीं की जायगी।

†**श्री भूपेश गुप्त** (पश्चिमी बंगाल) : हमें अभी-अभी एक संशोधन की प्रति दी गई है, जिस पर श्री हजरनवीस का नाम है। मैं माने लेता हूं कि वह इस सभा के सदस्य हैं। पर सरकार की ओर से रखे गये संशोधन में इसका पूरा उल्लेख होना चाहिये कि वह हैं कौन। क्या यह संशोधन उन्होंने व्यक्तिगत रूप से रखा है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : गैर-सरकारी सदस्यों को भी संशोधन पेश करने का समान अधिकार है। इसलिये इस में कोई औचित्य प्रश्न नहीं है। लोक-सभा में यही प्रथा रही है कि संशोधन सरकार भी प्रस्तुत कर सकती है और व्यक्ति भी।

यदि श्री भूपेश गुप्त विधेयक के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहें, तो मैं उनको बाद में उसका अवसर दूंगा।

†**श्री भूपेश गुप्त** : हमारी राज्य-सभा में यह प्रथा रही है कि यदि माननीय मंत्री भाषण करें और कोई बिल्कुल ही नयी बात कहें, तो हम उसका स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। मैं केवल स्पष्टीकरण ही चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसके लिये स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं। माननीय मंत्री इसकी व्याख्या करेंगे ही।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : यह संयुक्त बैठक इस बात का प्रमाण है कि हमारे देश में सामाजिक सुधारों के प्रश्न पर बड़े गहरे मतभेद उठ खड़े होते हैं। माननीय मंत्री ने यह बिलकुल ठीक कहा है कि यह विधेयक केवल महिलाओं के नहीं, समूचे देश के हित में है, और हर भारतीय दहेज-प्रथा को मिटाने के लिये कृत-संकल्प है।

श्री हजरनवीस ने संशोधन संख्या २३ द्वारा यह प्रस्ताव किया है कि खण्ड ४ में एक परन्तुक जोड़ दिया जाये। परन्तुक में व्यवस्था की जा रही है कि दहेज की मांग के खिलाफ़ तभी शिकायत की जा सकेगी जब पहले राज्य-सरकार या उसके सम्बन्धित अधिकारी से उस के लिये अनुमति ले ली जाये। यदि यह व्यवस्था की गई, तो गांव के लोग कभी भी इसका लाभ नहीं उठा पायेंगे। उससे तो विधेयक का सारा उद्देश्य विफल हो जायेगा।

माननीय मंत्री ने कहा है कि वह विधेयक को एक ऐसा रूप देना चाहते हैं जिससे कि लोग अनुचित लाभ उठा कर दूसरों को तंग न कर पायें। उनका मतलब है कि यदि सदस्याओं का संशोधन मान लिया जाये तो दूसरों को तंग करने की गुंजाइश बनी रहेगी। क्या वह परेशानी आज की परेशानी से ज्यादा होगी जो मध्य वर्ग और निम्न वर्ग की लड़कियों को दहेज प्रथा के कारण उठानी पड़ती है ?

आज पर्याप्त मात्रा में दहेज न दे पाने के कारण अनेकों स्त्रियों के जीवन में विष घुलता रहता है। ऐसे सैंकड़ों उदाहरण मेरे पास हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

माननीय मंत्री ने कहा है कि दहेज की मांग करना सिद्ध करना मुश्किल होगा। उसके लिये साक्ष्य चाहिये। कई तरह का साक्ष्य जुटाया जा सकता है। और सिद्ध हो जाने पर ही तो किसी को दण्डित किया जा सकेगा।

हम अपने देश में कई सामाजिक विधान पारित कर चुके हैं। उनका अनुचित लाभ उठा कर तो किसी को भी परेशान नहीं किया गया। शारदा एक्ट के अधीन निर्दोष व्यक्तियों को परेशान नहीं किया गया। फिर इसके अनुचित लाभ की दलील कहां तक ठीक है?

आज दहेज प्रथा के कारण मध्य वर्ग को जितनी परेशानी उठानी पड़ रही है वह कहीं ज्यादा है। इस विधान के कारण केवल कुछ सिद्धान्तहीन लोगों को परेशानी हो सकती है।

इसलिये इसका कोई कानूनी महत्व नहीं। यदि परेशान करने के लिये कुछ निर्दोष व्यक्तियों को मुकदमों में फंसाया भी जायेगा तो न्यायालय उनकी सहायता के लिये मौजूद हैं।

इसलिये प्रश्न परेशानी से बचने का नहीं, बल्कि विधि की अपवंचना रोकने का है।

मुख्य प्रश्न यह है कि विधि के उल्लंघन को कैसे रोका जाये। यदि दहेज को एक दंडनीय अपराध बनाना है तो इस अपराध को करने के प्रयत्न को क्यों दण्डनीय नहीं बनाया जाना चाहिये।

इस अपराध के मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार राज्य सरकार या विशेष पदाधिकारियों को नहीं दिया जाना चाहिये। उचित होगा कि प्रथम श्रेणी के किसी मजिस्ट्रेट के न्यायालय को यह अधिकार दिया जाये। यदि सरकार चाहे तो ऐसी व्यवस्था कर सकती है कि मजिस्ट्रेट प्रारम्भिक छानबीन कर ले या राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश निकाले जाने सम्बन्धी उपबंध को रख कर सम्पूर्ण कार्यवाही को असंभव नहीं बनाया जाना चाहिये।

मेरा एक निवेदन है कि खंड २ के स्पष्टीकरण को निकाल देना चाहिये। हमारे देश में मध्यम वर्ग तथा निम्न मध्यम वर्ग को संरक्षण दिये जाने की आवश्यकता है। स्पष्टीकरण में "इसके होते हुए" शब्दों पर विशेष रूप से ध्यान देने की बात है।

अंत में मेरा एक सुझाव है कि पिता की सम्पत्ति में पुत्री को कुछ भाग मिलना चाहिये। लड़की को भी उसी प्रकार मिलना चाहिये जिस प्रकार कि लड़कों को मिलता है। इस दहेज के कारण बहुत सी हत्यायें हुई हैं। यह विधेयक इस समस्या का समाधान बहुत कुछ अंशों में करता नहीं है। इस समस्या का एक समाधान यह भी है कि जो लोग दहेज लेते अथवा देते हैं उनके विवाहों में लोगों को सम्मिलित नहीं होना चाहिये तथा उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिये। इसी प्रकार हम इस बुराई को दूर कर सकते हैं।

†**श्रीमती रेणुका राय** (मालदा) : मेरा निवेदन है कि जब तक लोगों की भावनाओं में परिवर्तन नहीं होगा तब तक यह कुप्रथा दूर नहीं हो सकती। खाली विधि इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। यह बड़े दुख की बात है कि विवाह सम्बन्धी कानून में परिवर्तन हो जाने के बाद सम्पत्ति सम्बन्धी कानून में परिवर्तन हो जाने के बाद और अनेक प्रकार से महिलाओं के अग्रसर होने के बाद भी दहेज की कुप्रथा अब भी विद्यमान है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दोनों सभा इस बात से सहमत हो गई हैं दहेज प्रथा समाप्त होनी चाहिये लेकिन अब प्रश्न यह है कि इसे किस प्रकार प्रभावी बनाया जाये। हमें इस उपबन्ध को यथासंभव प्रभावी बनाना चाहिये। स्पष्टीकरण संख्या १ बिल्कुल अनावश्यक है इसे हटा देना चाहिये।

दहेज भारत में कई प्रकार से दिया जाता है लेकिन जो दहेज किसी दबाव में आकर दिया जाता है वह कुप्रथा है। उसे समाप्त करना चाहिये।

खंड ४ का बड़ा महत्व है। चूंकि दहेज की मांग के समय ही विवाह की बातचीत भंग होती है और इसी समय अन्य प्रकार की सामाजिक अड़चनें पैदा होती हैं अतः आवश्यकता इस बात की है इसी समय (दहेज की मांग के समय) दहेज मांगने वालों के विरुद्ध कुछ रोक लगाई जानी चाहिये। इस खंड को रहने दिया जाना चाहिये।

अतः यह मांग पेश किये जाने की अवस्था में ही किया जा सकता है। मांग पूरी न हो सकने के कारण ही दुर्घटनायें होती हैं। इसलिए बातचीत की अवस्था में ही दहेज की मांग पर कोई प्रतिबन्ध होना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए इस खण्ड का बना रहना आवश्यक है।

विधि मंत्री ने इस खण्ड में एक परन्तुक का सुझाव दिया है जिसमें यह कहा गया है कि इस धारा के अन्तर्गत किसी अपराध पर राज्य सरकार अथवा उसके द्वारा निर्दिष्ट अधिकारियों की पूर्व मंजूरी पर ही न्यायालय द्वारा विचार किया जायेगा। मेरा सुझाव है कि इसमें इतना और जोड़ दिया जाये कि वह अधिकारी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से ऊंचे वर्ग का नहीं होना चाहिए। यह इसलिए आवश्यक है कि लोग आसानी से उसके पास तक पहुंच सकें क्योंकि दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में तो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के पास पहुंचना भी कठिन होता है। मैं आशा करती हूं कि इस प्रकार के परिवर्तन सहित विधि मंत्री का संशोधन सभा द्वारा स्वीकार कर लिया जायेगा।

यह बड़े आश्चर्य की बात है कि आजकल के प्रगतिशील युग में भी भारत में स्त्रियों को इस प्रकार बेचा जाता है। इसे रोकने के लिए इस विधेयक को अधिकाधिक प्रभावपूर्ण बनाना अत्यन्त आवश्यक है।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का जो मौका दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इस विधेयक के बारे में बहुत कुछ कहा गया है परन्तु जहां तक उसके मुख्य प्रयोजन का प्रश्न है उसके सम्बन्ध में तनिक भी मतभेद नहीं है। अतः मुझे इस विधेयक के पक्ष में कोई खास बात नहीं कहनी है। फिर भी मैं कुछ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि मेरे अन्दर इस प्रकार के सामाजिक विधान में सहभागी बनने की भावना उत्पन्न हुई।

इस संसद् ने गत दस या बारह वर्षों में जितने विधान बनाये हैं उनमें मैं विवाह, तलाक आदि सम्बन्धी कानूनों को बहुत महत्व देता हूं। ये बातें हमारे सामाजिक जीवन और रूढ़ियों से सम्बन्धित हैं और वैसा करना बहुत कठिन था। फिर भी इस संसद् ने उनके लिए प्रयत्न किया। यह ठीक है कि उनका भली प्रकार पालन न होता हो परन्तु इससे उनका महत्व कम नहीं होता है। मेरे विचार से इस संसद का सब से अधिक महत्वपूर्ण कार्य समाज-सुधार के क्षेत्र में ही रहा है और विशेष रूप से स्त्रियों के सम्बन्ध में। हमारे आदर्श कुछ भी रहे हों और इतिहास में उन्हें कितना

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

भी ऊंचा स्थान दिया गया हो तथ्य यही है कि हमारे सामाजिक जीवन में स्त्रियां इतनी दबाकर रखी गई हैं कि उनका विकास नहीं हो सका है । अब हम उनकी मुक्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और इसमें शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण योग रहा है । इन सब प्रयत्नों को हमें विधान बना कर आगे बढ़ाना चाहिए ।

यह ठीक है कि केवल कानून बना देने से गहरी जड़ों वाली सामाजिक समस्यायें हल नहीं हो सकती उस के लिये अन्य प्रकार से भी प्रयत्न करने पड़ते हैं । परन्तु फिर भी विधान बनाना आवश्यक है क्योंकि उस से न केवल प्रचार होता है वरन् लोकमत के निर्माण के लिये कानूनी मान्यता भी मिल जाती है । इसलिये यह कानून, जिसे प्रायः सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं, बहुत आवश्यक है ।जहां तक दहेज का प्रश्न है, मैं उसे स्त्रियों की स्वतन्त्रता की दृष्टि से ही देखता हूं । जब हिन्दू कोड विधेयक पर चर्चा के दौरान मुझे यह ज्ञात हुआ था कि सौराष्ट्र में प्रति दिन एक लड़की आत्म हत्या करती है तो मुझे बहुत धक्का पहुंचा । यह धक्का इसलिये और भी अधिक लगा कि सौराष्ट्र शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से एक प्रगतिशील राज्य है । मैंने सोचा कि जब वहां यह हाल है तो अन्य राज्यों का क्या हाल होगा । यही नहीं, बहुत से मामले ऐसे भी होते हैं कि वे आत्म हत्या तो नहीं करतीं परन्तु जीवन पर्यन्त यातनायें सहती रहती हैं । ऐसा जीवन मृत्यु से भी बुरा है । यदि कोई व्यक्ति इन बातों को रुढ़ि के आधार पर उचित बताने का प्रयत्न करता है तो वह समाज के प्रति अन्याय करता है । यदि ऐसी चीज़ किसी आधार पर न्यायोचित बताई जाती है तो वह आधार सर्वथा गलत है तथा उसे उखाड़ फेंकना चाहिये ।

वैसे तो यह समस्या बहुत बड़ी है और अन्ततः शिक्षा तथा आर्थिक प्रगति से ही हल होगी परन्तु इस विधेयक से भी उस में कुछ सहायता मिलेगी आज शिक्षा के प्रसार से हमारे देश की लड़कियों और स्त्रियों में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है । मैं इस परिवर्तन का स्वागत करता हूं । इस प्रकार के परिवर्तन से कुछ कठिनाइयां भी उत्पन्न होती हैं परन्तु उन का सामना किया जाना चाहियें । इस प्रकार की कठिनाइयों के डर से हम किसी बुराई को कायम नहीं रख सकते । अतः हमें तनिक व्यापक दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए ।

जहां तक इस दहेज निषेध विधेयक का संबंध है, मेरा निवेदन है कि यह सही दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जिस से अनेक परिवारों का कुछ भार हल्का हो जायेगा । हम सब जानते हैं कि जब विवाह का प्रश्न आता है तो मध्यम वर्ग के लोगों से अनेक प्रकार की मांगें की जाती हैं । मैं यह नहीं कहता कि यह विधेयक इसे बिल्कुल खत्म कर देगा परन्तु इस से मदद काफी मिलेगी । लोग इस प्रकार की मांग करने में हिचक करेंगे गुप्त रूप से वे ऐसा भले ही करें अतः मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और जब यह संयुक्त बैठक द्वारा पारित हो जायेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी ।

जिन बातों के सम्बन्ध में मतभेद है वे बहुत थोड़ी सी हैं । खण्ड २ में "प्रत्यक्षत अथवा अप्रत्यक्षत रूप से" शब्द जोड़ने का प्रश्न है । मैं समझता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार कर लेना वांछनीय है और खण्ड २ में "प्रत्यक्षत अथवा अप्रत्यक्ष रूप से" शब्द जोड़ दिये जाने चाहियें । एक प्रकार से यह व्यर्थ भी है क्योंकि इस प्रकार की चीज़ें वैसे ही स्वीकार कर ली जाती हैं । परन्तु फिर भी उसे स्पष्ट कर देना ही अधिक अच्छा होगा । इसलिये मेरा निवेदन है कि हमें उस संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये ।

फिर व्याख्या आती है । यहां भी संदेह दूर करने के लिये इन शब्दों को रख देना ठीक होगा । जाहिर है कि लड़की अथवा दूसरे पक्ष को दिये गये व्यक्तिगत उपहार दहेज नहीं माने जा सकते हैं । इस में केवल इतना ही कहा गया है । यदि आप चाहें तो व्याख्या रखें अथवा न रखें क्योंकि उस का सार तो खण्ड में अन्तर्ग्रस्त है । हां, उस को रख देने में वह अधिक स्पष्ट हो जायेगा ।

खंड ४ के बारे में मेरे माननीय सहयोगी श्री हजरनवीस ने एक परन्तुक प्रस्तुत किया है जिस की एक माननीय सदस्या ने आलोचना की है। मेरा ख्याल है कि उन्हों ने शायद इसे समझने में गलती की है। उन का विचार है कि यह परन्तुक इस विधेयक को क्रियान्वित करने के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है। यदि हर बात की स्वीकृति राज्य सरकार से लेनी पड़े तो सचमुच ही यह एक बड़ी कठिन प्रक्रिया होगी और कोई भी इस का लाभ नहीं उठा सकेगा। एक निर्धन किसान अनुमति लेने के लिये राज्य सरकार अथवा महाधिवक्ता के पास किस प्रकार जा सकता है ? यदि ऐसी बात होती तो मैं इस का कड़ा विरोध करता। सारी बात यह है कि हमें दोनों चीजों के बारे में सन्तुलन रखना है। हम नहीं चाहते कि इस विधेयक को किसी को तंग करने का साधन बना दिया जाये। इस के ऊपर किसी प्रकार की रोक होनी चाहिये किन्तु यह रोक ऐसी न हो कि इस की क्रियान्विति पर ही रोक लग जाये। यह एक सरल तरीका होना चाहिये, केवल एक मामूली सी रोक। इस परन्तुक के अनुसार राज्य सरकार अथवा इस कार्य के लिये इस की ओर से नियुक्त पदाधिकारी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा यह कार्य कर सकता है। हम कह सकते हैं कि प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट यह कार्य कर सकता है। उद्देश्य यह है कि इसे सरल बनाया जाये किन्तु फिर भी इस पर कुछ रोक हो। मैं समझता हूं खंड ४ के साथ यह परन्तुक भी वांछनीय है और हमें इसे स्वीकार कर लेना चाहिये। इस बात में जोर है कि यदि इस खंड को छोड़ दिया जाये तो इस विधेयक का मुख्य आधार अथवा इस की रीढ़ ही टूट जायेगी।

†श्री गोरे (पूना) : क्या सरकार को इस बात पर कोई आपत्ति है कि विधेयक में इस बात को स्पष्ट कर दिया जाये कि प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को इस सम्बन्ध में अधिकार होगा, बजाय इस के कि इस बात का उल्लेख अस्पष्ट रूप से किया जाये ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : केवल प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट का उल्लेख कैसे किया जा सकता है ? हो सकता है कि इस के लिये दूसरी और तीसरी श्रेणी के मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाये।

†श्री गोरे : कई अधिनियमों में इस बात का उल्लेख होता है 'प्रथम श्रेणी' और 'दूसरी श्रेणी' के मजिस्ट्रेट। यह कोई नई बात नहीं है।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं नहीं समझता कि हम ऐसा कर सकते हैं।

†श्री अकबर अली खान (आन्ध्र प्रदेश) : हम कह सकते हैं 'न्यायिक अधिकारी' :

†श्री जवाहरलाल नेहरू : हम इसे केवल इन लोगों तक ही सीमित क्यों रखें ? इस का क्षेत्र विस्तृत क्यों न करें। उदाहरण के लिये हम यह कह दें पंचायत का प्रधान अथवा सरपंच यह कर सकता है। मैं समझता हूं कि यदि गांव की पंचायत के मुखिया को इस का अधिकार दिया जाये तो यह एक अच्छी बात होगी।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : हम यह बात सरपंच के ऊपर नहीं छोड़ना चाहते हैं। किन्तु हम चाहते हैं कि यह बात प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के ऊपर के किसी न्यायालय पर न छोड़ी जाये।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं समझता हूं कि इस बात को सीमित कर के हम इस विधेयक का सुधार नहीं कर सकते।

जहां तक परन्तुक का सम्बन्ध है कुछ लोगों का विचार है कि राज्य सरकारें इस मामले में देरी से काम करेंगी या बाधायें उपस्थित करेंगी। किन्तु मैं ऐसा नहीं समझता।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

इस विधेयक का प्रारूप इस प्रकार बनाने का अभिप्राय केवल इतना ही है कि जो लोग राहत चाहते हैं उन्हें अधिक से अधिक राहत पहुंचायी जाये और उनका काम आसान हो जाये।

यह अच्छा होगा कि इसके अन्दर कोई ऐसा उपबन्ध हो जिस से कुछ रोक लगे वरना हो सकता है कि शरारती लोग इस का दुरुपयोग करें। मुझे इस में सन्देह नहीं कि इस विधेयक के पारित होने के बाद भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस का दुरुपयोग करेंगे और इस से बचने का यत्न करेंगे। किन्तु यह बात हर कानून के साथ होती है। फिर भी मैं समझता हूं कि इस संशोधन के साथ इस विधेयक को पास करना एक ऐसा प्रगतिशील कदम होगा जिस पर यह सभा गर्व कर सकती है।

†श्री प्रकाश नारायण सप्रू (उत्तर प्रदेश) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री की इस उद्घोषणा के पश्चात् कि यह एक अच्छा विधेयक है, इस विधेयक की आलोचना करना कुछ कठिन सा हो जाता है। मैं समझता हूं कि यदि मैं इस विधेयक की कुछ बातों के बारे में प्रधान मंत्री के साथ असहमति प्रगट करने का साहस करूं तो इसे हमारे महान प्रधान मंत्री के प्रति असम्मान नहीं समझा जायेगा।

सब से पहले मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं स्त्रियों के हित वाली सभी बातों का पक्का समर्थक हूं। मैं चाहता हूं कि स्त्रियां जीवन के प्रति एक क्रान्तिकारी दृष्टिकोण अपनायें। किन्तु मैं समझता हूं कि यह विधेयक हमारे सामने एक गलत आदर्श प्रस्तुत करता है।

इस में सन्देह नहीं कि दहेज की प्रथा एक बहुत बड़ी बुराई है किन्तु प्रश्न यह है कि क्या कानून के द्वारा इस समस्या को यथोचित रूप से हल किया जा सकता है।

हमारे देश में दहेज की प्रथा इस लिये है कि विवाह अभिभावकों द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। यदि हमारे समाज में युवक और युवतियां बिना किसी रोक टोक के एक दूसरे से मिल सकें और उन्हें अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार हो तो दहेज की समस्या इतनी भीषण नहीं रहेगी जितनी कि वह आजकल है।

दूसरी बात यह है कि हमें विवाह को एक अवश्यंभावी बात मान कर नहीं चलना चाहिये। हमारी मुख्य कठिनाई यह है कि हम समझते हैं कि हर स्त्री के लिये विवाह करना अनिवार्य है। इस बात को युवक और युवतियों पर छोड़ देना चाहिये कि वे विवाह करायें या न करायें और करना चाहें तो किस से और कब करना चाहिये।

अब मैं दोनों सभाओं में मतभेद की मुख्य बातों का उल्लेख करना चाहता हूं। पहला मतभेद खंड २ के बारे में है। खंड २ में "प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष" जोड़ने की मांग की गयी है। मैं समझता हूं कि इन शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं है। खंड २ में इन का भावार्थ विद्यमान है।

इस के बाद स्पष्टीकरण की बात आती है। मेरा अपना विचार यह है कि इसे चाहे रखा जाये अथवा न रखा जाये, इस से कोई फर्क नहीं पड़ता। किन्तु कुछ सन्देह दूर करने के लिये उसे विधेयक में रखा जा सकता है।

जहां तक खंड ४ का सम्बन्ध है, यह समझ में नहीं आता कि दहेज की मांग को न्यायालय में किस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है। इस से हमारे न्यायालयों में झूठी गवाहियों की बाढ़ सी आ जायेगी। दहेज की मांग को अपराध घोषित करना ठीक न होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

खंड ४ में जो रूपभेद किया जा रहा है कि शिकायत करने से पहले राज्य सरकार अथवा उस के द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्वानुमति ली जानी चाहिये, अच्छा है। इस से इस खंड की सख्ती तो कम हो जायेगी ।

मैं इस विधेयक के बारे में इतना उत्साहपूर्ण और आशावादी क्यों नहीं हूं, इस का एक कारण यह है कि मेरे विचार में कानून ऐसे होने चाहियें जिन्हें सरलता से लागू किया जा सकता हो। मेरा विचार है कि इस विधेयक से यह मार्ग प्रशस्त नहीं होगा जिस पर चल कर हम अपने देश में बड़ी तेजी से सामाजिक सुधार करना चाहते हैं ।

†श्री मुल्क गोविन्द रेड्डी (मैसूर) : श्रीमन्, मैं जानता हूं कि दहेज निरोध विधेयक के पास हो जाने से भारत में दहेज की कुप्रथा का उन्मूलन नहीं हो जायेगा। हमारे समाज से इस बुराई का निवारण करने के लिये इस से कहीं अधिक क्रान्तिकारी उपाय की आवश्यकता है। समाज की वर्तमान व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करने के लिये शिक्षा, आर्थिक प्रगति और जन जागरण की आवश्यकता है ।

दोनों सदनों के बीच इस विधेयक पर सब से पहला मतभेद दहेज की परिभाषा के बारे में है। मैं समझता हूं कि परिभाषा में 'प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में' शब्द रखे जाने के संशोधन को स्वीकार किया जाना चाहिये। खंड ४ में इसी प्रकार के शब्दों का उल्लेख है और इस संशोधन को स्वीकार न किये जाने का कोई कारण नहीं है ।

स्पष्टीकरण के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूंगा। अगर हम चाहते हैं कि समाज से इस बुराई का अन्त हो तो हमें इस स्पष्टीकरण को विधेयक में से निकाल देना चाहिये। स्पष्टीकरण को शामिल करने से तो इस विधेयक का उद्देश्य ही नष्ट हो जायेगा और यह विधेयक प्रभाव शून्य बन जायेगा ।

खंड ४ में जो उपबन्ध है, वह बहुत कड़ा है। उस से निरपराध व्यक्तियों को परेशानी हो सकती है। यद्यपि यह ठीक है कि दहेज की मांग पर रोक लगायी जानी चाहिये। किन्तु यह भी जरूरी है कि विधेयक के उपबन्धों से निर्दोष व्यक्तियों को किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचे।

माननीय विधि उपमंत्री, श्री हजरनवीस ने परन्तुक के रूप में जो संशोधन पेश किया है, उसे स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते कि इस परन्तुक में संशोधन कर के उसे स्पष्ट कर दिया जाये। अधिकारी का दर्जा सन्दिग्ध रखने की बजाय उस का उल्लेख परन्तुक में ही कर दिया जाना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

†श्री जे० एन० कौशल (पंजाब) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि दोनों सदस्यों के मतभेद, जिन को सुलझाने के लिये संयुक्त सभा बुलायी गयी है, विधि मंत्री और प्रधान मंत्री की प्रभावशाली आवाज के पश्चात् काफी कम हो गये हैं। मुख्य मतभेद, जिस की ओर उन दोनों वक्ताओं ने ध्यान नहीं दिया, दहेज की परिभाषा के बारे में है। यदि इस के साथ प्रस्तावित स्पष्टीकरण रहने दिया गया तो विधेयक का सारा उद्देश्य ही विफल हो जायेगा और लोग उपहार आदि के रुप में दहेज देने लगेंगे : यदि हम वास्तव में इस बुराई को दूर करना चाहते हैं तो हम में यह कहने का साहस होना चाहिये कि दहेज नगद हो अथवा गहनों के रूप में हो या किसी अन्य रूप में हो, हम इसे नहीं चलने देंगे।

विवाह के अवसर पर यदि कोई व्यक्ति उपहार दे तो यह कहना मुश्किल होगा कि उपहार विवाह करने के लियें दिये गये हैं अथवा आत्मीयता के कारण। अब लड़कों के साथ लड़कियों को भी पैतृक सम्पत्ति का उत्तराधिकार दिया गया है इस लिये इस तर्क में कोई सार नहीं कि ये उपहार स्त्री-धन है।

मूल अंग्रेजी में

[श्री जे० एन० कौशल]

यदि ऐसा ख्याल है कि उपहार देने के लिये कुछ उपबन्ध होना चाहिये तो सरकार द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक के मूल खंड में उपहारों के मूल्य के बारे में उपयुक्त संशोधन किया जाना बेहतर होगा।

आज की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विधेयक के खंड ४ में परन्तुक के रूप में जो संशोधन किया जा रहा है, उस की कोई आवश्यकता नहीं है।

दहेज की केवल मांग को ही दण्डनीय अपराध नहीं बनाया जाना चाहिये। किन्तु यदि इस बात को दण्डनीय अपराध घोषित करना ही है तो इस में और मीन मेख नहीं निकालनी चाहिये।

दहेज की परिभाषा में 'प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से' का होना अत्यावश्यक है। इस से बात स्पष्ट हो जाती है।

अन्त में मेरा यह निवेदन है कि राज्य सभा द्वारा दिये गये सुझावों को सामान्य रूप से स्वीकार कर लेना चाहिये। सरकार ने केवल एक संशोधन प्रस्तुत किया है उस के बारे में मेरी व्यक्तिगत राय यही है कि दहेज की मांग को दंडनीय अपराध नहीं ठहराना चाहिये।

†**श्रीमती मंजुला देवी** (ग्वालपाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विचार बिल्कुल संक्षेप में सभा के समक्ष रखूंगी।

विधेयक में "प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से" शब्द रखने के लिये जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है, उसे स्वीकार किया जाये।

खंड २ में जो स्पष्टीकरण है उस से उस खंड का अर्थ स्पष्ट होने के स्थान पर सन्दिग्ध हो जायेगा। उस से दहेज लेने अथवा देने के रास्ते निकल आयेंगे। स्पष्टीकरण को निकाल देने के बारे में कोई मतभेद प्रतीत नहीं होता।

विधेयक में खण्ड ४ का होना बहुत जरूरी है। यह आवश्यक है कि दहेज की मांग के लिये दंड दिया जाये। स्वेच्छा से सदैव उपहार दिये जा सकते हैं किन्तु लड़की के माता पिता लड़की के विवाह के अवसर पर ही उपहार देने की बात क्यों सोचें? इस सामाजिक बुराई को समाप्त किया जाना चाहिये।

खंड ४ में जो परन्तुक प्रस्तुत किया गया है उस का स्वागत किया जाना चाहिये। किसी को यह आशंका नहीं होनी चाहिये कि इस का दुरुपयोग होगा।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : श्रीमन्, मुझे खेद है कि मैं इस बिल से पूर्णतया सहमत नहीं हूं। मेरा हमेशा से यह विचार रहा है और मैं अब भी यह अनुभव करता हूं कि जहां तक हो सके इस किस्म के कानून नहीं बनाये जाने चाहियें। इन से हमारे समाज के घरेलू क्षेत्र में हस्तक्षेप होता है।

यदि हम इस बुराई को दूर करना चाहते हैं तो हमें इस के लिये जनमत तैयार करना होगा। कानून बनाने से पहले हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उस का उल्लंघन न हो और यदि उल्लंघन होता ही है तो उसे प्रभावशाली रूप से रोका जा सके।

खण्ड २ में जो स्पष्टीकरण है वह बहुत आवश्यक है। शादी-विवाह में उपहार देने की प्रथा है और हर कोई व्यक्ति उपहार देता है। इस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिये और ऐसा कोई उपबन्ध नहीं किया जाना चाहिये जिस से निरपराध व्यक्तियों को परेशान किया जा सके। समाज के रीति-रिवाज में इस प्रकार परिवर्तन न किया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस सुझाव पर विचार किया जाये कि दहेज लेने देने में सहायता करने के लिये दंड न दिया जाये। जहां तक मांग का सम्बन्ध है, उस पर प्रतिबन्ध होना चाहिये क्योंकि विवाह के बदले में किये जाने वाले किसी भी लेन देन को कानून के जरिये रोका जाना चाहिये ।

ऐसे कई अवसर आयेंगे जब कि शिकायत यह होगी कि चूंकि लड़के वाले इतना दहेज चाहते थे इसलिए विवाह का प्रस्ताव नामंजूर कर दिया और फिर मुकदमेवाजी चलेगी । ऐसी बात नहीं होनी चाहिये । फिर दंड भी काफी अधिक है । खंड २ में दहेज की परिभाषा में वे "प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से" शब्द जोड़ना चाहते हैं । मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है । इन शब्दों को रखने या निकाल देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा ।

लेकिन "विवाह में एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को" ये शब्द दोषपूर्ण हैं क्योंकि उससे पति द्वारा पत्नी को कोई भेंट या उपहार भी निषिद्ध हो जायगा । विवाह के बाद वे भिन्न पक्ष नहीं रहते और कानून ने इसको मान लिया है । पति-पत्नी द्वारा एक दूसरे को उपहार दिया जाना आपसी बात है । इसलिए ये शब्द आपत्तिजनक हैं और मेरा सुझाव है कि उस पर और आगे विचार किया जाये । आगे मेरी यह भी अपील है कि इस विधि को यथासंभव सरल बनाया जाये ताकि समाज पर बोझ बहुत अधिक न पड़े ।

श्रीमती उमा नेहरू (सीतापुर) : श्रीमान् जी, आज तेरह बरस के बाद यह मुबारिक दिन आया है जबकि हम यहां जमा हुए हैं इस पर विचार करने के लिए कि डावरी की प्रथा को खत्म किया जाना चाहिये या नहीं किया जाना चाहिये । हम ने सब से ज्यादा मेहनत आज़ादी हासिल करने में की थी और आज़ादी हासिल करने के बाद हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं जब तक कि चारों तरफ से हम सामाजिक उन्नति नहीं करते हैं ।

सामाजिक क्षेत्र में सब से पहले उन्नति यूं हो सकती है कि समाज में जो त्रुटियां हैं, उनको दूर किया जाये, समाज में जितने कंसिस हैं, या जितनी तंगखयालियां हैं, उनको दूर किया जाये । जब तक उनको दूर नहीं किया जाता है, कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता है । हमें यह भी याद रखना है कि संसार में बराबर परिवर्तन होते जाते हैं और परिवर्तन के विचार से डरना और पीछे हटना किसी भी कौम के लिए, किसी भी नेशन के लिए खतरनाक होता है और अगर वह ऐसा करती है तो वह खत्म भी हो सकती है ।

इन सब बातों को ध्यान में रख कर हमें इस डावरी बिल पर विचार करना होगा । जब मैं समाज के इस पहलू को देखती हूं तो मुझे बहुत शर्म आती है । यह डावरी वाला पहलू है और मैं समझती हूं कि यह स्त्री जाति के माथे पर एक कलंक का टीका है । डावरी का मतलब क्या ? इसका मतलब क्या यह है कि स्त्री को खरीदा जाय या इसका मतलब यह है कि जो लड़की बयाहने योग्य है, उसका बयाह तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि हज़ारों या लाखों रुपया न हो डावरी में देने के लिए ? अगर यही डावरी का मतलब है तो इसका अर्थ यह हुआ कि धन का ज्यादा खयाल है, लड़की का खयाल नहीं है । जब यह प्रश्न हमारे सामने आता है तो हम जो स्त्रियां हैं, हमें बड़ी शर्म आती है । मैं समझती हूं कि दहेज को, डावरी को बिल्कुल हट जाना चाहिये, डावरी का नाम तक नहीं लिया जाना चाहिये और लड़की की उसके मेरिट्स को देख कर शादी होनी चाहिये ।

अब मैं यहां देख रही हूं कि हमारे बहुत सारे जो भाई हैं वे इस विषय पर बहस कर रहे हैं कि साहब, लड़की को हम क्या देवें, क्या न देवें । २००० रु० देवें, ५०० रु० देवें, ५० रु० देवें,

[श्रीमती उमा नेहरू]

यह चीजें यहां हो रही हैं । गले के लिये कंठी देवें या न देवें, यह सब चोजें हमारे सामने कही जा रही हैं, जिन को सुन कर तकलीफ होती है । मैं समझती हूं कि आप कुछ न दें । जब हम ने यह ला पास किया है कि लड़की को मां, बाप की जायदाद के ऊपर पूरा अधिकार है, तो कोई वजह नहीं है कि लड़कियों के लिये यहां पर इस तरह से चर्चा हो कि गले की कंठी हो, ऊंगली के लिये अंगूठी हो या यह कि कौन सी चीज डावरी और कौन सी चोज डावरी नहीं है । डावरी को डेफिनिशन यहां हो रही है और कहा जाता है कि डावरी यह चीज है और यह चीज नहीं है । दरअस्ल डावरी के माने यह हैं कि हम और आप मिल कर एक कंट्रेक्ट करें और जो तय हो देने के लिये वह डावरी है । लोगों को यह भी डर है कि आज भी बहुत से लोग हैं जो गिफ्ट के नाम से देने की कोशिश करेंगे और डावरी पहुंचायेंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि गिफ्ट्स जो हम अपने प्रेम के कारण, अपनी मोहब्बत के कारण देंगे उसको आप कैसे रोक सकते हैं, जब तक कि छोटे-छोटे गिफ्ट्स होते हैं, यह नहीं कि वह हजारों और लाखों के हों ।

इन सब बातों के बाद मुझे यह कहना है कि सभी स्त्रियां स्त्रियां हैं चाहे वे कम्यूनिस्ट हों या सोशलिस्ट हों या कांग्रेसी हों और वे सभी चाहती हैं कि यह डावरी की प्रथा बिल्कुल खत्म हो जाये । हम नहीं चाहते कि आज हम से कहा जाय कि अगर उस घर का लड़का लोगे तो तुम को इतना रुपया देना होगा, अगर आई० ए० एस० या आई० एफ ० एस० लड़का लोगे तो उस की कीमत इतनी होगी । मैं यह सब सुनने के लिये तैयार नहीं हूं । मैं यह भी कहना चाहती हूं कि अगर कोई आई० ए० एस० या आई० एफ० एस० लड़का लेता है तो वह लड़की को नहीं देखता है, वह हमारी लड़की को नहीं लेता है, हमारा धन लेता है, उस के दिल में लड़की के लिये जरा भी इज्जत नहीं है । इसलिये इस चीज को मैं बिल्कुल हटा देना चाहती हूं । आप कहेंगे कि आखिर इसको हटाने के लिये तरकीब क्या होनी चाहिये । यह बिल हमारे सामने आया है, इस बिल को मैंने देखा । हम इस को जल्दी पास करना चाहती हैं, हालांकि इस बिल में कुछ ऐसी बात नहीं रक्खी है, फिर भी हमारे लिये यह एक मुफीद चीज है ।

इस बिल में तीन चीजों पर लोगों की राय एक नहीं है । मैं कहना चाहती हूं कि इस में डाइरेक्ट और इनडाइरेक्ट को रखना बहुत जरूरी है । बिना उस के तो यह बिल चल ही नहीं सकेगा । दूसरी बड़ी चीज जो है वह एक्स्प्लेनेशन के बारे में है । इसके लिये राय यह हो रही है कि यह रहे या न रहे । मेरी राय में इस को रहना चाहिये । मैं आप को बतलाऊं कि इस को क्यों रहना चाहिये क्योंकि इसके अन्दर एक ही खयाल है कि शादी के समय हैरेसमेन्ट न होने पाये, लेकिन जो भी प्रेम से मोहब्बत से कोई छोटी मोटी चीज देना चाहता है, अगर उस को भी आप डावरी में शामिल कर लेते हैं जो कि डावरी के माने नहीं, जो कि डावरी के अन्दर नहीं आतीं, तो यह गलत बात होगी । इसलिये एक्स्प्लेनेशन का रखना यहां बहुत जरूरी है । हम शादी करने के लिये खड़े होते हैं, बरबादी करने के लिये नहीं खड़े होते हैं । हैरेसमेन्ट के लिये नहीं खड़े होते हैं । शादी के माने होते हैं खुशी के । अगर हम खुशी के लिये खड़े होते हैं और बीच बीच में हैरेसमेंट होता रहता है तो यह चीज तकलीफदेह हो जाती है । इसलिये हम ने शुरू में इस चीज को मान लिया है । हम अपनी पार्लियामेंट के जरिये अभी इतना ही बढ़ रहे हैं, जब हम अगली दफा इस के बारे में कोई विधेयक लायेंगे तो हम इस से और भी आगे जायेंगे । मैं बिल्कुल चाहती हूं कि यह एक्स्प्लेनेशन कायम रहे ।

अब रहा क्लाज ४ । क्लाज ४ जो है उस में सजा की जो बात है उस को लोग पसन्द नहीं करते । लेकिन जहां आप डिमान्ड रक्खेंगे वहां पर सजा तो होगी ही । डिमान्ड बगैर सजा के

नहीं हो सकती है । उस के बिना इस चीज की बिल्कुल जान सी निकल जाती है । इस लिये क्लाज ४ के बारे में ला मिनिस्टर साहब ने अभी जो प्राविजन बतलाया है वह, मैं समझती हूं, ठीक है, और उस के रखने के बाद यह चीज बिल्कुल दुरुस्त हो जायेगी । मैं उन से इस बारे में बिल्कुल सहमत हूं ।

अभी श्री त्यागी ने बोलते हुए बहुत सी बातें कहीं । उन में से बहुत सी बातें ऐसी कही गई जो कि मेरी समझ में नहीं आतीं । अगर कुछ बातें मेरी समझ में नहीं आतीं तो इस में त्यागी जी का कुसूर नहीं है । यह हमारी समझ का फेर है कि उन की बहुत सी बातें हमारी समझ में नहीं आईं । उन्होंने कहा कि सोसायटी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिये । समाज को शांतिपूर्वक रहना चाहिये । लेकिन आजकल के जमाने में हम कोई भी पहलू कहीं नहीं देखते जहां पर कि लोग हर तरह से डिस्टर्ब न हो रहे हों । तो यह कैसे हो सकता है कि बिना समाज को डिस्टर्ब किये हुए हम समाज की शक्ल बदल दें । त्यागी जी बिल्कुल बेफिक्र रहें, समाज की कोई खराबी इस कानून से होने वाली नहीं है ।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूं वह यह है कि असल में कानून से समाज की उन्नति नहीं हो सकती । समाज की उन्नति हमेशा तब होती है जब हम सब एक मिशनरी के रूप में जा कर अपने मुल्क में घूम फिर कर सामाजिक नियमों को लोगों के सामने रक्खें, सोशल लाज को लोगों को बतलायें और खुद भी उन पर चलें । इसलिये यह सवाल अब हमारे सामने है । मैं ज्यादा कुछ न कह कर आप से इतना ही कहना चाहती हूं कि आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने और ला मिनिस्टर साहब ने जो चीजें पेश की हैं, मैं उन से बिल्कुल सहमत हूं और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग उन को पास करेंगे । बिल बहुत छोटा सा है । इस के लिये कोई बड़े बड़े कानूनदानों की जरूरत नहीं है । अगर आप इस को पास करेंगे तब वह देश आगे बढ़ेगा ।

†डा० श्रीमती सीता परमानन्द (मध्य प्रदेश) : इस विधेयक को औरतों का विधेयक कहा गया है और मेरी समझ से वह गलत है । मां अपनी लड़की के कुशल के लिए अधिक चिन्तित रहती है और इसीलिये दहेज के बारे में भी उसकी परेशानी समझ में आती है । लेकिन जब कि यह सामाजिक प्रथा एक अभिशाप बन गयी है तब यह समस्या अवश्य सुलझायी जानी चाहिये ।

अब मैं पहले कुछ संशोधनों का विवेचन करूंगी । कुछ लोगों ने कहा है कि खंड २ में "प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से" ये शब्द अनावश्यक हैं लेकिन कानून में अधिक स्पष्टता हमेशा अच्छी होती है और इन शब्दों को रखने से कोई हानि नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में, मैं यह बताना चाहती हूं कि यह कहना ठीक नहीं है कि इस स्पष्टीकरण के कारण लोग उपहार दे सकेंगे । श्री त्यागी ने अभी-अभी बताया कि यदि यह स्पष्टीकरण न हो तो एक भाई या मित्र अपनी बहन को शादी में उपहार नहीं दे सकेगा । मैं समझती हूं कि ऐसे उपहारों को शादी की कीमत कभी नहीं समझा जा सकता । यदि यह स्पष्टीकरण रखा जायेगा तो उन लोगों के लिए रास्ता निकल आयेगा जो उपहार के नाम पर दकद रुपये, बर्तन, कपड़े आदि देते हैं । यदि आप "नकद और इन चीजों" को निकाल देते हैं तो आपका उद्देश्य किस प्रकार पूरा होगा ?

आगे इस तर्क के सम्बन्ध में कि स्पष्टीकरण हटा देने पर गांव में रहने वाले लोगों को जो कानून नहीं जानते, कठिनाई होगी, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि वर्तमान दहेज प्रथा का नाजायज

†मूल अंग्रेजी में

[डा० श्रीमती सीता परमानन्द]

फायदा गांवों में नहीं, बल्कि सिर्फ शहरों में रहने वाले शिक्षित लोग ही उठाते हैं। इसलिए यह कहना गलत है कि इससे गांव वालों को कठिनाई होगी। हम एक स्पष्टीकरण रख सकते हैं जिसमें ५० रुपये तक के उपहार देने का उपबन्ध हो।

दहेज की मांग सम्बन्धी खंड के बारे में राज्य सभा में यह कहा गया था कि इससे लोगों की परेशानी बढ़ जायगी। मेरी समझ में यह कहना गलत होगा कि दहेज की मांग को दंडनीय बनाने से लोगों की परेशानी बढ़ जायगी। लोग बिना किसी आधार के या झूठे मुकदमे चलाने से पहले काफी सोच विचार लेंगे। राज्य सभा में यह बात कही गयी थी और कुछ सदस्यों से जो यह स्पष्टीकरण रद्द करना चाहते थे, हमें सहमत होना पड़ा था कि आरम्भ में दहेज की मांग को दंडनीय बनाने वाला खंड निकाल दिया जा सकता है। लेकिन इसमें कोई सन्देह नहीं कि दहेज की मांग के कारण शादी टूट जाने से काफी परेशानी होती है। इसलिए मेरे विचार में माननीय विधि मंत्री द्वारा रखे गये संशोधन का प्रस्ताव एक अच्छा मध्य मार्ग है इस बात की संभावना कम है कि लोगों को सिर्फ सताने के ख्याल से उन पर मुकदमे चलाये जायेंगे।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती कह रही थीं कि गांव के लोगों को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी के पास पहुंचना कठिन होगा। आशय यह नहीं है कि वह अधिकारी मजिस्ट्रेट की हैसियत का हो और लोगों को उसके पास जाना पड़े। यदि देश में विवाह सम्बन्धी न्यायालय या ऐसी संस्थाएं जैसी विवाह मार्गदर्शन परिषदों की स्थापना का प्रस्ताव सरकार मान ले तो कोई कठिनाई नहीं होगी। फिर स्थानीय क्षेत्रों में हैसियत और प्रतिष्ठा वाले सामाजिक कार्यकर्ता भी होते हैं जिन के पास लोग अनुमति प्राप्त करने के लिए जा सकते हैं। जब कभी दहेज की मांग के बारे में वास्तव में किसी को सताये जाने की बात हो तो वे भी अनुमति दे सकते हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहती हूं कि यह खंड स्वीकार कर लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्रीमती उमा नेहरू यह कह रही थीं कि चूंकि अब लड़कियों को सम्पत्ति में हिस्सा दिया जा रहा है तो अब दहेज का रिवाज जारी रखने का कोई कारण नहीं है। इस सम्बन्ध में अक्सर यह तर्क रखा जाता है कि मां बाप को लड़कियों की शादी पर काफी खर्च करना पड़ता है तब उसे सम्पत्ति में हिस्सा क्यों दिया जाये। इसलिए दहेज पर रोक लगा देने से यह तर्क समाप्त हो जायेगा।

श्री त्यागी ने यह कहा है कि यह विधान लागू नहीं किया जा सकता और इसलिए समाज सुधार होना चाहिये। इसी प्रकार श्री पी० एन० सप्रू ने भी राज्य सभा में इसी बात पर जोर दिया था कि विधान के जरिये समाज सुधार नहीं हो सकता। मेरा यह कहना है कि किसी हद तक यह कहना भी ठीक नहीं है कि केवल सामाजिक विधान से ही यह समस्या हल नहीं होगी। मेरी राय में विधान और समाज सुधार, ये दोनों ही एक गाड़ी के पहिये हैं और जब तक ये दोनों पहिये नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे और न ही हम इस बुराई को दूर कर सकेंगे। सरकार की मदद के बगैर लोग विधान से भी लाभ उठाने के लिए आगे नहीं आते।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** (नवद्वीप) : केवल तीन बातों के सम्बन्ध में दोनों सभाओं के बीच कुछ मतभेद और विवाद हुआ है। मेरी राय में खंड २ में "प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से" ये शब्द जोड़ दिये जाने चाहियें। इससे खण्ड का उपबन्ध और स्पष्ट हो जायगा और उसका अधिक अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरी बात यह कि खंड २ में स्पष्टीकरण बहुत आवश्यक है। मुझे श्रीमती रेणु चक्रवर्ती की इस बात पर आश्चर्य हुआ कि सामाजिक विधान की गति बहुत धीमी है। इस पर मेरा यह कहना है कि संसद् में, अधिक अच्छे सामाजिक सम्बन्ध स्थापित करने के आशय से, स्त्रियां, बच्चे, विवाह, अस्पृश्यता आदि विषयों पर हम ने बहुत तेजी से कानून बनाये हैं लेकिन जनमत को इतना सुशिक्षित नहीं किया गया है जो उस विधान के साथ कदम रख सके। इसलिए स्पष्टीकरण बहुत आवश्यक है ताकि लोगों को यह विधेयक समझने में गलतफहमी न हो। साथ ही हम ऐसा विधान नहीं चाहते जिससे लोगों का उत्पीड़न हो। इसका एक दूसरा कारण भी है। यद्यपि कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि अब लड़की को सम्पत्ति में हिस्सा देने वाला कानून बन गया है इसलिए दहेज नहीं दिया जाना चाहिये। वास्तव में शादी के समय जो कुछ दिया जाता है उस पर तो लड़की का ही अधिकार होता है। वह उसे स्त्रीधन के रूप में मिलता है। उस पर पूर्णतः अधिकार उसी का होता है। इसलिए प्यार और आत्मीयता से जो कुछ दिया जाता है उसमें किसी कानून को दखल नहीं देना चाहिये।

खंड ४ जिसमें दहेज मांगने पर दंड देने की व्यवस्था है, रद्द नहीं किया जाना चाहिये। यदि दहेज की मांग को दंडनीय नहीं बनाना है तो विधेयक के अन्तर्गत और किस बात को दंडनीय बनाया जा रहा है। यह खंड परन्तुक के साथ स्वीकार किया जाना चाहिये। ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकार कुछ पदाधिकारियों को नियुक्त कर सकती है या वहां जिलाधीश भी उपलब्ध होता है जो दहेज की मांग के मामलों के बारे में कार्यवाही कर सकता है। मेरी समझ से यह परन्तुक बहुत अच्छा है। यदि हम इस परन्तुक के सहित इस खंड को कायम रखें तब वास्तव में हमारा कुछ उद्देश्य पूरा होगा और हम दहेज की कुप्रथा को मिटा सकेंगे। आशा है कि सभा मुझ से सहमत होगी कि यह स्पष्टीकरण और दंड वाला खंड, दोनों ही कायम रखे जाने चाहियें।

†**श्रीमती यशोदा रेड्डी** (आन्ध्र प्रदेश) : मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विधयक को बड़े छिछले ढंग से लिया गया है। मुझे इस बात पर गहरी आपत्ति है कि माननीय सदस्य खुले तौर पर यह नहीं कहते कि हम इस विधेयक के अन्तर्गत सिद्धान्त से सहमत नहीं हैं लेकिन जब उसे कार्यान्वित करने का समय आता है तो वे यह कहते हैं कि यह गलत है, वह गलत है, उसे कार्यान्वित नहीं किया जा सकता और उससे परेशानी होगी इत्यादि।

दोनों सभाओं में मतभेद की तीन बातें हैं। पहली बात खंड ४ के सम्बन्ध में है। मेरा कहना यह है कि खंड ४ अवश्य रखा जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में तीन तर्क दिये गये हैं कि इस से लोगों को परेशान किया जायगा, धमकी दी जायगी और यह खंड अव्यावहारिक है। इन तर्कों के विरुद्ध मैं यह कहना चाहती हूं कि प्रत्येक विधान से, चाहे वह राजनैतिक, सामाजिक या और किसी ढंगका हो, कुछ न कुछ परेशानी होती ही है। यदि किसी की स्वतंत्रता छीन ली जाती है या किसी को आयकर देने के लिये कहा जाता है तो उससे कुछ न कुछ परेशानी अवश्य होती है। इसलिए इस खंड के विरुद्ध यह तर्क देना गलत है। दूसरा तर्क धमकियां देने का है। यदि हमारे न्यायालय और न्यायाधीश अनावश्यक धमकियां न रोक सकें तो उन पर इतना खर्च करने से क्या लाभ ! आखिर वे किस लिए हैं ? इसलिए यह तर्क देना भी निरर्थक है। तीसरा तर्क अव्यावहारिकता के बारे में है। उनका कहना है कि इस अधिनियम के अधीन दंड नहीं दिया जा सकेगा। जब कोई अपराध होगा तो उसकी साक्ष्य भी होगी और दंड भी दिया जा सकेगा। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि इस सामाजिक विधान को कार्यान्वित करना कठिन होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती यशोदा रेड्डी]

मेरी राय में यही एक खंड ऐसा है जो इस विधेयक का सार है । मेरी यह अपील है कि खंड ४ को निकाला न जाये और न ही सरकार द्वारा प्रस्तावित परन्तुक स्वीकार किया जाये क्योंकि उससे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलेगा और बहुत अधिक परेशानी होगी । इसलिए बगैर परन्तुक के यह खंड कायम रखा जाये ।

दूसरी बात यह है कि इस स्पष्टीकरण के कारण भी बड़ी दिक्कत हुई है । मेरी अपनी निजी राय यह है कि इस स्पष्टीकरण को निकाल देने की कोई आवश्यकता नहीं है । यदि स्पष्टीकरण निकाल भी दिया जाय तब भी उपहार या और किसी रूप में कुछ न कुछ दहेज दिया ही जायगा। खंड २ की तरह इस स्पष्टीकरण का मूल सिद्धान्त उसका ऐच्छिक पहलू है । वहां वह अपनी स्वेच्छा पर आधारित है, उससे किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । इसके अलावा, स्पष्टीकरण में यह साफ लिखा हुआ है "संदेह मिटाने के लिए" । वह केवल एक व्याख्यात्मक खंड है । यदि यह स्पष्टीकरण आपत्तिजनक हो तो सारा खंड ही आपत्तिजनक होना चाहिये क्योंकि स्पष्टीकरण में खंड से भिन्न कोई बात नहीं होगी । मुझे इस बात की खुशी है कि उसमें से चल या अचल सम्पत्ति निकाल दी गयी है और अब उस में केवल नकदी, गहने, कपड़े और दूसरी चीजों का उल्लेख है ।

श्री ए०डी० मणि ने "दो हजार रुपये से अधिक मूल्य का उचित ढंग का कोई पहार" के संशोधन की सूचना दी है । मैं "उचित ढंग" से तो सहमत हूं लेकिन "दो हजार रुपये से अधिक मूल्य" के बारे में नहीं क्योंकि जो एक के लिए उचित हो सकता है वह दूसरे के लिए दुखदायी हो सकता है ।

"प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से" ये शब्द रखने के बारे में जो संशोधन है, उसका, मेरी समझ से, अधिक विरोध नहीं होगा और सभी सदस्य उसे स्वीकार करेंगे ।

कई लोगों ने यह कहा है कि सामाजिक विधान द्वारा आप सभी बुराइयां दूर नहीं कर सकते । यह बिलकुल ठीक है । लेकिन हमें कहीं तो शुरुआत करनी ही होगी । मैं समझती हूं कि सामाजिक सुधार करने का सर्वोत्कृष्ट तरीका विधान ही है । अब वह समय आ गया है जब कि हम उन गरीब लड़कियों की, जो दहेज नहीं दे सकतीं, कठिनाइयां महसूस करें । दहेज की बुराई को समाप्त करने के लिए यह विधेयक बहुत आवश्यक है । मैं इस विधेयक का पूर्णतया समर्थन करती हूं ।

श्री वाजपेयी (बलरामपुर) : दहेज के प्रश्न पर संसद् के दोनों सदनों में मतभेद होना और उस मतभेद के निराकरण के लिये उन का संयुक्त सत्र बुलाया जाना इस बात का संकेत है कि दहेज के प्रश्न पर लोक मत का जितना जागरण और प्रशिक्षण होना चाहिये था, उतना नहीं हुआ है । दोनों सदनों में मतभेद बड़ा प्रामाणिक है और एक सदन अधिक प्रगतिशील है और दूसरा उस की तुलना में अधिक प्रतिक्रियावादी है, इस प्रकार के विशेषण दे कर हम इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते । समाज में जो बुराइयां और कुरीतियां आ गई हैं, उन का निर्मूलन होना चाहिये । किन्तु क्या कानून के द्वारा ही समाज का सुधार किया जा सकता है ? सभी इस बात को स्वीकार करेंगे कि कानून लोकमत के ऊपर मुहर के रूप में आना चाहिये, उसे लोकमत का स्थान लेने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये ।

एक बड़ी बुराई सामाजिक कुरीतियों को कानून द्वारा दूर करने के सम्बन्ध में यह पैदा होती है कि जो समाज सुधारक हैं, जिन्हों ने इन कुरीतियों को दूर करने का संकल्प किया है, एक बार जब कानून बन जाता है तो उन के प्रयत्न शिथिल हो जाते हैं । वे समझते हैं कि उन का उद्देश्य पूरा हो गया और इस का परिणाम यह होता है कि जन जागरण का काम पीछे पड़ जाता है ।

समाज के सुधार के लिये हम ने अनेक कानून बनाये हैं, लेकिन लोकमत के अभाव में उन का जितना लाभ होना चाहिये अभी तक नहीं हो रहा है। नाबालिग़ शादियां हम ने अवैध घोषित कर दी हैं। लेकिन देखने में आता है कि लाखों बच्चे प्रतिवर्ष विवाह के बंधन में बांधे जाते हैं।

एक माननीय सदस्य : लाखों ?

श्री वाजपेयी : हां लाखों। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात आप को बताना चाहता हूं। अभी विवाह का मौका था, शादियों का मुहूर्त था। दूध पीने वाले बच्चे और बच्चियां विवाह के बंधन में बांधे गये हैं और जो कानून है वह अलमारियों की शोभा बढ़ा रहा है। यही बात अस्पृश्यता निवारक कानून के सम्बन्ध में है। जब से कानून बना है गैर-सरकारी प्रयत्न रुक गये हैं। यहां तक कि कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम में भी उस का स्थान नहीं रहा। समाज के सुधार के लिये एक स्तर पर एक स्थिति में, कानून का निर्माण तो हम करें, लेकिन यह मान कर न चलें कि कानून सब रोगों का एक रामबाण उपचार है। हम यह न समझें कि हम ने कानून पास कर दिया तो बुराई दूर हो जाएगी और समाज सुधार करने का एक गर्व और उस गर्व के बदले जनता की प्रशंसा प्राप्त करने का अधिकार हमें मिल जायगा। आवश्यकता इस बात की है कि दहेज प्रथा के निराकरण के लिये लोकमत के जागरण के साथ साथ कानून को चलायें। आज जो इस कानून को अधिक कड़ा बनाने के पक्ष में हैं, उन के भाषणों को सुन कर मुझे लगता है कि शायद वे समझते हैं कि आगे चल कर इस कानून में संशोधन करने का मौका नहीं मिलेगा। आज हम पहला पग उठा रहे हैं, अगर आवश्यक होगा तो इस कानून में और भी संशोधन हो सकते हैं, आखिर इस को कड़ा बनाने का दरवाजा बन्द तो नहीं किया जा रहा है। लेकिन पहला कदम अन्तिम कदम तो नहीं होना चाहिये, इसलिये जहां इस कानून की आवश्यकता का प्रतिपादन किया जा सकता है वहां इस को और अधिक बनाने के प्रयत्नों से मैं सहमत नहीं हूं।

प्रश्न केवल महिलाओं का नहीं है, पुरुषों का भी है। मैं ऐसे पुरुषों को जानता हूं जो इसलिये अविवाहित हैं कि उन के पास देने के लिये दहेज नहीं है। समाज के तमाम वर्गों में ब्राह्मणों का एक वर्ग ऐसा है जिस में लड़कियां कम हैं। वहां पर अगर किसी पुरुष को विवाह करना होगा तो उस को कन्या के यहां जा कर दहेज देना होगा। आप कहेंगे कि यह भी बुरा है। बुरा तो है, मगर शादी न करने से दहेज दे कर शादी न करने की बुराई अच्छी है। जो शादी करना चाहते हैं वे इस का अवलम्बन करने के लिये मजबूर होते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि देश की आर्थिक प्रगति की जाय, शिक्षा का प्रसार किया जाय, जाति पांति के बन्धन तोड़े जायें, लड़के और लड़कियां उन्मुक्त भाव से विवाह करें और शादियां परमात्मा के यहां नहीं, आपस में तय हों, तभी यह दहेज खत्म हो सकता है। लेकिन आज स्थिति ऐसी नहीं है। स्पष्ट है कि शादियों की समस्या में जो बुराइयां घुस गई हैं उन्हें कानून तथा कलम की नोक से दूर नहीं किया जा सकता।

मैं ने कुछ संशोधन उपस्थित किये हैं। विधेयक की धारा २ में "डाइरेक्टली और इन्डाइरेक्टली" शब्द रक्खे जायें या न रक्खे जायें, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी अनेक वक्ताओं ने कहा कि यह रक्खा जाय या न रक्खा जाय, इस से कोई बड़ा अन्तर पड़ने वाला नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि जहां दहेज देने की बात है वहां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष का समावेश हो ही जाता है। लेकिन अप्रत्यक्ष देने की बात को अगर हम कानून के शब्दों में रख दें तो उस की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि "ऐसी कठिनाई खड़ी हो जाय जोकि हम खड़ी नहीं करना चाहते।"

जहां तक "एक्स्प्लेनेशन" (स्पष्टीकरण) का सवाल है, मैं ने उस के बारे में एक संशोधन दिया है। यह तो सभी स्वीकार करेंगे कि जो उपहार अथवा भेंट विवाहों के अवसर पर दिये जायेंगे,

[श्री वाजपेयी]

यदि वे विवाह के "कंसिडरेशन" के रूप में नहीं हैं, विवाह के कारण के रूप में नहीं हैं, तो इस विधेयक की परिधि के अन्तर्गत उन का समावेश नहीं होगा । लेकिन मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के उपहारों पर भी कुछ मर्यादा लगनी चाहिये । जब वैभव का प्रदर्शन किया जाता है चाहे वह कन्याओं के विवाह के अवसर पर हो या पुत्रों के अवसरों पर, विवाहों के हर आदमी अपनी कन्या को कुछ न कुछ देना चाहता है भले ही वह ठहरौनी के रूप में न हो, और उस का प्रदर्शन करता है तो समाज का वातावरण बिगड़ता है । जो नहीं दे सकते हैं उन पर भी उस का असर होता है । इसलिये २,००० रुपये की मर्यादा अधिक से अधिक देने वालों के ऊपर होनी चाहिये । इस प्रकार की सीमा रखना आवश्यक है ।

जहां तक धारा ४ का प्रश्न है, उस में यह व्यवस्था है कि दहेज का मांगना और वह भी "डाइरेक्टली आर इन्डाइरेक्टली", केवल दहेज का मांगना ही नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से मांगना भी, दंडनीय होना चाहिये । जो भी इस तरह से मांगेंगे उन को सजा देनी चाहिये । दहेज को मांगने पर सजा होनी चाहिये किन्तु उस में से "प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से" इस पदावली को निकाल देने के संबंध में मैं ने एक संशोधन रक्खा है । मांगने को न्यायालय में कैसे प्रमाणित किया जायेगा ? और प्रत्यक्ष मांगने को एक बार प्रमाणित भी कर दिया जाय, अप्रत्यक्ष रूप से मांगने को प्रमाणित नहीं किया जा सकता । कोई पिता कहे कि मेरा लड़का तो मेडिकल कालेज में पढ़ रहा है, मैं उस का बहुत खर्चा देता हूं, इसलिये मैं अभी उस की शादी नहीं करूंगा, पढ़ लिख जायेगा, कमाने लगेगा, तब मैं उस की शादी करूंगा । क्या इस के यह अर्थ नहीं निकाले जा सकते कि मेडिकल कालेज की पढ़ाई के लिये दहेज मांगा जा रहा है ? अगर यह अर्थ नहीं लगाये जायेंगे तो उस का निर्णय अदालतों के ऊपर छोड़ेंगे और इस तरह से लोगों के लिये अदालतों का दरवाजा खोल देंगे जिस से मुकदमेबाजी बढ़ेगी, लोगों में कटुता पैदा होगी । कौन शिकायत करने जायेगा और कौन गवाह लायेगा । श्रीमती रेणु चक्रवर्ती भी स्वीकार करती हैं कि जिसे अपनी बेटी का विवाह करना है उसे अदालतों में जाना मुश्किल होगा । एक जगह हो सकता है कि वह मुकदमा जीत जाये, लेकिन बेटी को घर में बिठला कर तो नहीं रख सकता । जब वह किसी दूसरे पिता का दरवाजा खटखटायेगा तो यह मुकदमेबाजी उस के लिये कलंक के रूप में बन जायेगी । मेरा निवेदन है कि धारा ४ रहनी चाहिये । किन्तु उस में से "डाइरेक्टली आर इन्डाइरेक्टली" शब्द निकाल देने चाहियें ।

सरकार की ओर से जो संशोधन आया है, उस से मैं सहमत नहीं हूं । प्रधान मंत्री जी ने उस की जो व्याख्या की है वह तो बड़ी विचित्र है । वे कहते हैं कि हम ग्राम प्रधानों को, ग्राम पंचायतों को यह अधिकार दे देंगे । क्या इसीलिये यह संशोधन रक्खा गया है ?

एक माननीय सदस्य : ऐसा नहीं कहा है ।

श्री वाजपेयी : उन का भाव यही था । आज की स्थिति में ग्राम प्रधानों को इस प्रकार के अधिकार देना हास्यास्पद है । मैं पूछता हूं उन का मंशा क्या है । इस धारा का दुरुपयोग न हो इसलिये यह संशोधन लाया गया है, या संशोधन के अन्तर्गत व्यापक अधिकार नीचे तक दे दिये जायें इस के लिये लाया गया है ? मेरा निवेदन है कि इस संशोधन के पीछे जो मन्तव्य है वह इस की परिधि को संकीर्ण करने के लिये है । हो सकता है कि वह दुरुपयोग से बचाने के लिये हो, मगर उसे व्यापक बनाने के लिये नहीं । यह ठीक है कि कानून में सभी अफसरों के नाम नहीं लिखे जाते हैं । लेकिन यदि आप दहेज का मांगना गलत समझते हैं और उसे दंडनीय बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार के प्रोवाइजो की आवश्यकता नहीं है । जिन्हें अधिकार दिया जाना है, जिन को अधिकारों से युक्त किया जाना है, अन्य विधेयकों की तरह से स्पष्ट रूप से उन का इस के सम्बन्ध में उल्लेख

किया जा सकता है । अगर हम समझते हैं कि यह धारा ठीक नहीं, दहेज को मांगना और वह भी अप्रत्यक्ष रूप से अदालत में साबित करना सम्भव नहीं होगा तो मेरा निवेदन है कि आप धारा ४ को इस विधेयक में से निकालने की बात कहें । किसी बीच के मार्ग का अवलम्बन नहीं हो सकता । यह कोई "कम्प्रोमाइज" की बात नहीं है । यह तो हम ऐसी चीज करना चाहते हैं जिस का करना शायद जरूरी नहीं है । कम से कम मैं इस से सहमत नहीं हूं । मेरा निवेदन है कि इस प्रकार जो इस विधेयक का उद्देश्य है वह पूरा नहीं होगा ।

अन्त में मैं इस बात को फिर दोहराना चाहता हूं कि यह सामाजिक कुरीतियां केवल कानून से दूर नहीं होंगी । जिन दलों के इस सदन में प्रतिनिधि हैं, जो भी संसद् के सदस्य हैं अलग अलग दलों के, उन दलों का काम कि वे अपने सदस्यों पर इस प्रकार का बन्धन लगायें कि वे इन कुरीतियों में भाग नहीं लेंगे । आज चर्चा हो रही है कि जो साम्प्रदायिकता का परिचय देगा उसे सन् १९६२ के चुनावों में खड़ा नहीं किया जायगा । क्या सामाजिक कुरीतियां इतना भी महत्व नहीं रखतीं । क्यों नहीं हर एक दल अपने अपने सदस्यों के लिये इस प्रकार की आचार संहिता बनाता, उन्हें बाधित करता कि वह समाज सुधार के आदर्श बन कर समाज के सामने आयें । लेकिन अगर हम समझते हैं कि केवल कानून पास करने से महिलाओं की वाहवाही मिल जायेगी, समाज सुधारक का बिल्ला लग जायगा, चुनाव में लाभ हो जायगा तो समाज का सुधार नहीं होगा । इन पेचीदा तथा अव्यावहारिक कानूनों से झगड़े बढ़ेंगे, वकीलों की बन आयेगी, अदालतों के दरवाजे खुल जायेंगे और जो समाज सुधार करने वाले लोग हैं वह यह समझेंगे कि काम पूरा हो गया, कानून बन गया । और इस कानून के कारण समाज सुधार के लिये जो गैर सरकारी प्रयत्न चलने चाहियें वे भी शिथिल पड़ जायेंगे। यह स्थिति किसी के लिये ठीक नहीं है । मेरा निवेदन है कि दहेज समस्या के सभी पहलुओं पर विचार कर के कोई समुचित निर्णय लिया जाय ।

श्रीमती सीता युद्धवीर (आन्ध्र प्रदेश): उपाध्यक्ष महोदय, आज जो बिल यहां पर पेश हो रहा है यह बिल दो वर्ष से भी कुछ अधिक समय हो गया जब कि लोक सभा में पास हुआ था, और यह अफसोस की बात है कि लोक-सभा और राज्य सभा में एक मत न होने से यह बिल पास न हो सका ।

हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट की हिस्ट्री में यह पहला अवसर है कि जो इस बिल के लिए यह ज्वाइंट सेशन बुलाया गया है । इस ज्वाइंट सेशन के कारण आज इस बिल की अहमियत बढ़ गयी है ऐसा मैं समझती हूं ।

यह डाउरी प्राहिबिशन बिल जो यहां पर पास होगा उससे मैं समझती हूं कि हमारे देश में जितनी सामाजिक बुराइयां हैं वे खत्म हो जायेंगी । यह कानून हमको प्रगति की ओर ले जाएगा और आज तक जो समाज सुधार के लिए कानून बने हैं जैसे शारदा ऐक्ट आदि उनकी गिनती में यह भी रखा जाएगा ।

आज की हमारी आर्थिक प्रगति में जो कमियां और खामियां रह गयी हैं वे केवल सामाजिक बुराइयों के कारण ही रह गयी हैं क्योंकि हमारी पोलीटिकल स्टेबिलिटी और इकानमिक प्राग्रेस दोनों ही हमारे सामाजिक विचारों पर निर्भर करती हैं ।

हमारे समाज में विवाह की गणना यानिकि फैमिली इंस्टीट्यूशन्स बड़े सम्मान के साथ की जाती रही है । लेकिन दुर्भाग्य से आज विवाह के लिए हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह केवल पैसों का लेन देन है । और समय आने पर खरीद फरोख्त को भी अपनाया जाता है । इस देश में हम पहले बेटी को लक्ष्मी के रूप में देखते थे । बेटी के घर में आते ही मां बाप शान्ति का अनुभव करते थे । लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज बेटी पैदा होते ही हम समझते हैं कि

[श्रीमती सीता युद्धवीर]

हमारे लिए वह एक प्राबलम के रूप में खड़ी हो गयी और इस कारण जो पहले बेटी के कारण घर में शान्ति आती थी वह खत्म हो गयी है। मैं हैरान हूं कि ऐसा क्यों है। जनसंख्या के फिगर देखने से मालूम होता है कि आज से दस साल पहले एक हजार मर्दों के पीछे देश में ९४४ स्त्रियां थीं और आज एक हजार मर्दों के पीछे औरतों की संख्या ९४० ही है। यानी औरतों की कमी हो रही है। हम देखते हैं कि जिस चीज की कमी होती है उसका भाव बढ़ता है लेकिन फिर औरतों के मामले में यह उलटा क्यों हो रहा है। औरतों का भाव क्यों गिर गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि आज हमारी मनोवृत्तियां किस प्रकार काम करती हैं। अगर हम इस कुरीति को नहीं रोकेंगे तो यह हमारे पतन का कारण बनेगी। यह तो अफसोस की बात है कि इस दोष को हम पब्लिक ओपीनियन के जरिये दूर नहीं कर सके और इस बिल को यहां पेश हुए भी इतना समय हो गया पर यह अभी तक पास नहीं हो पाया।

मुझसे पूर्व के वक्ता ने कहा कि अगर हम इस ढंग को अपनाएंगे और इस प्रथा को रोकने के लिए विधान बनाएंगे तो काम चलने वाला नहीं है। मैं उनसे कहना चाहती हूं कि जब हमने पबलिक ओपीनियन के द्वारा शराब पीने की बुराई को रोकना चाहा तो उसमें हमको कामयाबी नहीं मिली और कानून बनाने पर भी पूरी कामयाबी नहीं मिली, तो इसके लिए सरकार को तो दोष नहीं दिया जा सकता। इसमें तो जनता की मनोवृत्ति का दोष है। तो जब हमने शराब पीने के विरुद्ध कानून बनाया तो डाउरी को रोकने के लिए भी क्यों कानून न बनाएं। मैं समझती हूं कि अगर हम इस बिल को इस तरह पास करें कि इसमें ऐसी कोई गुंजाइश न रहने दें कि उसका कोई फायदा उठा सके, तो हमारे देश से ब्लैक मारकेट की बुराई ५० प्रतिशत तो दूर हो जाएगी जो कि किसी प्रकार से कम नहीं हो रही है। बच्चा मां बाप की एक कमजोरी होता है। आदमी अपनी लड़की को अच्छे घर में देना चाहता है ताकि वह सुखी रह सके। अगर ऐसा करने के लिए रुपए की आवश्यकता होगी तो बाप कहीं न कहीं से रुपया लाने की कोशिश करेगा। आज जिस तरह से एक बाप देखता है कि अपने लड़के का ऐसी जगह विवाह करूं जहां ज्यादा रुपया मिले उसी तरह लड़की का बाप भी समझता है कि मैं रुपए के जोर से अपनी लड़की की बुराइयों को ढक दूंगा और उसको अच्छे घर में दे दूंगा ताकि वह सुखी रह सके। लेकिन मैंने ऐसे कई केसेज देखे हैं कि जो विवाह इस प्रकार रुपए के बल से किए जाते हैं वे सफल नहीं होते। लड़की के विवाह के लिए जब रुपए की आवश्यकता होती है तो बाप को कहीं न कहीं से रुपया कमाना पड़ता है और वह गलत तरीके से भी रुपया पैदा करने की कोशिश करता है क्योंकि उसकी लड़की उसकी कमजोरी जो है। तो इस तरह रुपए के लिए मां बाप को गलत रास्ते पर चलना पड़ता है। अगर यह डाउरी की प्रथा बन्द हो जाए तो इस रास्ते पर लोगों को चलने के लिये विवश न होना पड़े।

इस बिल के जरिए हम समाज के दोष को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल में कोई नुक्स न रह जाए इसके लिए हमें तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई कहे कि तेजी से आगे बढ़ने से समाज में कुछ लोगों को नुकसान होगा, तो मेरा उनसे कहना है कि जब भी समाज में बड़े २ परिवर्तन किए जायेंगे तो कुछ लोगों को तो नुक्सान अवश्य होगा। लेकिन हमको लाखों करोड़ों लोगों के उस लाभ को भी तो देखना है जो कि उनको हजारो वर्ष तक इस बिल के कारण होगा। इस बिल की वजह से हमारी भावी पीढ़ियों को कितना फायदा पहुंचेगा। इस बिल के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए हमें रिवोल्यूशनरी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए।

इस समय जो मतभेद है वह एक प्रकार का अवरोध सा है । दोनों सभाओं में जो तरमीमें इस बिल में पास हुईं उनसे मालूम होता है कि राज्य सभा तेजी से आगे बढ़ना चाहती है और लोक सभा धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहती है । ज्यादातर तो यह देखा गया है कि लोक सभा तेजी से आगे बढ़ना चाहती है, मगर मुझे अफसोस है कि इस बिल के मामले में न जाने क्यों लोक सभा धीरे धीरे कदम उठाना चाहती है ।

इस बिल के क्लाज २ के मुताल्लिक चर्चा हुई है । उस क्लाज में डाउरी की परिभाषा दी गयी है । जब यह बिल सिलेक्ट कमेटी के सामने गया तो उसने डाउरी शब्द की परिभाषा को ब्राड कर दिया । उन्होंने क्लाज में कुछ शब्दों को जोड़ दिया, जिनको लोक सभा ने निकाल दिया और राज्य सभा ने उन शब्दों के वहां रखने का निर्णय किया है । वह शब्द हैं either directly or indirectly । अगर इन शब्दों को न जोड़ा जाए तो हम पिछले दरवाजे से डाउरी लेने का मौका देंगे । तो यह दरवाजा तो हमें बन्द करना ही पड़ेगा । मैं कहना चाहती हूं कि इन शब्दों को रख कर सिलेक्ट कमेटी ने सारे दरवाजों को बन्द कर दिया है इसलिए इन शब्दों को वहां पर रखा जाए ।

दूसरा मतभेद है उस एक्सप्लेनेशन के बारे में जो कि इस बिल में सन्देहों को दूर करने के लिए जोड़ा गया है । ओरिजिनल बिल में यह दिया गया है कि डाउरी गहने, कपड़े आदि उपहारों के रूप में दो हजार से ज्यादा न दी जाए । ओरिजिनल बिल में दो हजार तक की डाउरी की गुंजाइश रखी गई है । ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी ने इस चीज को निकाल कर इस बिल को एक अच्छा रूप दिया है मगर मुझे अफसोस है कि लोक सभा ने एक ऐक्सप्लेनेशन जोड़ कर बिल को कमजोर कर दिया है । २००० रुपये की लिमिट को भी निकाल दिया है । इससे प्रेजेंट्स के नाम से डाउरी देने और लेने की काफी गुंजाइश रहती है । इसलिए मैं चाहती हूं कि इस ऐक्सप्लेनेशन को निकाल दिया जाय और ज्वाएंट सेलेक्ट कमेटी ने जो तय किया है उसे रक्खा जाय ।

अन्त में मुझे यही कहना है और मेरा तो यह विश्वास है कि आज जो हम यहां पर एक महत्वपूर्ण बिल को पास करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जो एक तमाम हिन्दुस्तान की क्रीम के रूप में सदस्यगण यहां पर इकट्ठा हुए हैं, अगर हम सब लोग अपने सीने पर हाथ रख कर यहां से निकलते वक्त यह प्रण लेकर निकलें कि हम न तो दहेज देंगे न लेंगे तो हिन्दुस्तान में से यह दहेज की कुप्रथा समाप्त हो जायगी ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस बिल पर अपने ख्यालात के इजहार करने का मौका दिया है । अब वैसे देखने में तो यह डाउरी का सवाल छोटा सा मालूम होता है लेकिन दरअसल यह बड़ा ही पेचीदा सवाल है । इसलिए इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं होनी चाहिए अगर इस पेचीदा सवाल को समझने में दोनों हाउससेज में कुछ आपस में मतभेद पैदा हो गया हो और थोड़ी सी दिक्कत पैदा हो गई हो ।

सच बात तो यह है कि डाउरी बिल लोकसभा में हमारे सामने दो, तीन दफे आया । हमने बड़े गौर से उस के ऊपर बहस की और मुझे यह कहते हुए खुशी महसूस होती है कि असल मानों में किसी लोक सभा के मेम्बर में और दूसरे लोक सभा के मेम्बर में इसके बारे में एख्तलाफ नहीं है । अब मसलन् हमारी श्रीमती पार्वतीकृष्णन् और श्रीमती रेणु चक्रवर्ती एक स्कूल को रिप्रेजेंट करती हैं, दूसरे स्कूल को मैं रिप्रेजेंट तो नहीं करता लेकिन वह कहती हैं कि मैं रिप्रेजेंट करता हूं, मैं यह अर्ज कर सकता हूं कि मैंने उनकी स्पीचेज को सुना और जिस प्वाएंट आफ व्यु से मैं देखता हूं

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

उसमें और उनके प्वाएंट आफ व्यु में कोई फर्क नहीं है। मैं उनकी स्पीचेज में से कोट कर सकता हूं कि उन्होंने जो इस बारे में कहा है और मेरा जो उस बारे में कहना है, जहां तक बेसिक सवाल का ताल्लुक है उसमें कोई फर्क नहीं है। उसी तरह से जहां तक बेसिक सवाल का सम्बन्ध है दोनों हाउसेज के बीच में भी फर्क बहुत कम है।

हम लैंग्वेज जो सोचा करते हैं वह प्रेसाइस नहीं है। जिस दिन यह बिल हाउस में आया था और इस पर हाउस में बहस हुई थी तो हमारे ला मिनिस्टर साहब ने इस डाउरी की तारीफ की थी लेकिन दरअसल डाउरी को अभी तक हम डिफाइन नहीं कर सके हैं। डाउरी की तारीफ़ आज तक हम नहीं कर सके हैं और यह है भी एक जरा काफी मुश्किल चीज।"डाउरी" अंग्रेज़ी का लफ्ज है जो कंसिडिरेशन के सैंस में आता है। यह कंसिडिरेशन का लफ्ज आज तक किसी अंग्रेज़ ने डिफाइन नहीं किया, न ही कंट्रैक्ट ऐक्ट में उसको डिफाइन किया है और न किसी और जगह ही उसको डिफाइन किया गया है। अलबत्ता डाउरी से जो एक मामूली आदमी मतलब समझता है वह ऐक्सप्लेनेशन के अंदर मौजूद है। डाउरी की तारीफ़ उसके अंदर मौजूद है। अब चूंकि लैंग्वेज प्रेसाइज नहीं है इसलिए हर आदमी अपनी तरह से उसका मतलब लगाता है।

जहां तक हमारे देश का सवाल है हममें से हर एक शख्स भले ही जवान से चाहे वह कुछ ही कहे यह बेसिक चीज है कि हर एक शख्स मर्द और औरत और हर एक कुनबे वाला अपनी लड़की की शादी के मौके पर गिफ्ट देता है। लड़की के वालदैन शादी के मोके पर गिफ्ट देते हैं और आज से नहीं बल्कि हमेशा से यह गिफ्ट्स दिये जाते रहे हैं। अब यह कहना कि वालदैन अपनी लड़कियों को शादी के मौके पर गिफ्ट्स न दें या उनको गिफ्ट्स नहीं देने चाहिएं यह उसूलन सही नहीं होगा और कोई उसको मानने को तैयार नहीं होगा। इसके साथ ही कोई भी हिन्दुस्तानी ऐसा नहीं होगा जो शादी के मामले में लड़के और लड़की को कमर्शियल प्रोपोजीशन बनाने के वास्ते तैयार होगा और लड़के या लड़की की शादी के मौके पर वह इस तरह से दूसरी पार्टी से रुपया छीनेगा। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश में बहुत सी कुरीतियां चल रही हैं।

मैं आपको बतलाऊं कि गवर्नमेंट ने जो १९२८–२९ में ऐज औफ कंसैंट कमेटी कायम की थी उसका एक मेम्बर होने के नाते मुझे सारे देश का दौरा करने का मौका मिला था और मैं ने देखा था कि इस देश में शादी के मुताल्लिक क्या क्या कुरीतियां चल रही हैं। आप यह सुन कर हैरान होंगे और मुझे भी तब तक नहीं मालूम था कि यहां पर लड़की वाले लड़के वालों से ब्राइड प्राइस वसूल करते हैं। लड़की वाला लड़के वालों से कहता है कि अगर तुम्हें मेरी लड़की को शादी में लेना है तो तुम्हें उस के लिए इतनी ब्राइड प्राइस देनी होगी इतना शुल्क देना होगा। अगर इतना शुल्क अर्थात् ब्राइड प्राइस नहीं दोगे तो मैं शादी नहीं करूंगा। आज भी हिन्दुस्तान में यह ब्राइड प्राइस की कुरीति चल रही है। लड़की की कीमत वसूल की जाती है और यह चीज ऐसी है कि हम सब लोगों को शर्म से अपना मुंह छिपा लेना चाहिए। आज भी हमारे देश में लाखों की तादाद में छोटी उम्र में शादियां होती हैं, छोटे छोटे बच्चों की शादियां होती हैं और हालत यहां तक है कि बच्चा पैदा भी नहीं होता है कि उसकी सगाई हो जाती है। अब यह हकीकत हमारे देश में है। इसको छिपाने से क्या फायदा है?

डाउरी जिसको कि ब्राइड प्राइस कहते हैं मैंबतलाना चाहता हूं कि बिहार के ब्राह्मणों के अच्छे खानदानों में यह बुराई चलती है और जब मुझे बड़े बड़े लोगों ने उसकी बाबत बतलाया कि वहां पर यह ब्राइड प्राइस एक आम दस्तूर है तो मैं तो हैरान रह गया। हमें इन सब बुराइयों को दूर

करना है और उस के वास्ते प्रौपर ऐटमौसफ़ियर पैदा करना है। लेकिन यह सब चीजें और हकीकतें मैं आपको ही बतलाना चाहता हूं और अगर मुझ से कोई दूसरा मुल्क वाला इनकी बाबत पूछे तो मैं उसके सामने यह कहने वाला नहीं हूं कि हमारे मुल्क में ऐसी गंदी चीजें मौजूद हैं। हमें और आपको इन बुराइयों से लड़ना है और अपने देश व समाज को उन से पाक करना है।

इसी हाउस में पंडित जी ने कांस्टीटयूशन का प्रीऐम्बिल पास किया था जिस में यह कहा गया था कि हर एक आदमी को हम एकोनामिक जस्टिस देंगे और उस के बाद हम ने फंडामेंटल राइट के मुताल्लिक दफा १९ पास की। अब उस के मुताबिक हर एक आदमी को इस का पूरा हक है कि वह अपनी जायदाद जिसे चाहे दे दे और मैं तो अपने ला मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहूंगा कि अगर आप यह उसूल मानते हैं तब आपको इस में क्या ऐतराज है और इसको ऐक्सप्लेनेशन के साथ क्यों नहीं पास करते? मैं इस मौके पर गवर्नमेंट को मुबारकबाद देने के लिए तैयार हूं हालांकि मैं अक्सर गवर्नमेंट को मुबारकबाद नहीं दिया करता हूं लेकिन इस मौके पर मैं गवर्नमेंट को मुबारकबाद देना अपना फर्ज समझता हूं कि उस के कांस्टीटयूशन में हर एक शहरी को यह फंडामेंटल राइट दिया हुआ है। अब इंसाफ की बात तो यह है कि अगर आप उस उसूल को मानते हैं तो दफा १९ के मुताबिक जो गिफ्ट्स आप अपनी लड़की को शादी के मौके पर देना चाहें वह कंसिडिरेशन औफ मैरिज न समझा जाकर डाउरी न समझा जाय। जो बाप अपनी मर्जी से बगैर किसी जोर जबर्दस्ती के शादी के मौकें पर अपनी लड़की को चीजें देना चाहे वह डाउरी नहीं मानी जानी चाहिए। डाउरी वह उसी हालत में समझी जायगी जब उसके अन्दर कोई कोअर्शन या जबर्दस्ती की जायगी। डाउरी जब उसको माना जाय जब उसकी देने की मंशा न हो और दूसरा फरीक उस से जबर्दस्ती निकलवाये। वह चीज यकीनन बुरी है।

यह हर एक मां बाप का फर्ज है कि वह उस लड़की को जिसको कि वह पाल पोस कर बड़ा करता है, शादी के मौके पर जब कि वह उसका एक नया घर बसवाता है तो वह यह कोशिश करता है कि मेरी लड़की अपने नये घर में खुशहाल रहे और अगर वह उस मौके पर कुछ गिफ्टस वगैरह देता है तो उसको डाउरी नहीं माना जाना चाहिए। अलबत्ता जबर्दस्ती से कोई भी शख्स अगर लड़की या लड़के की शादी के सिलसिले में दूसरी पार्टी से पैसा ऐंठता है तो यकीनन वह चीज गलत है और उसको रोका जाना चाहिए।

डाउरी के बारे में जो ऐक्सप्लेनेशन ऐक्ट में रक्खा गया है वह बहुत ही मुनासिब है और मैं तो समझता हूं कि अगर वह ऐक्सप्लेनेशन न रहे और उसको आप ऐक्ट में से निकाल दें तो यह बिल ऐसा बन जायगा जिसको कि कोई छुऐगा तक नहीं। आप हिन्दुस्तान के अन्दर एक रेवोलूशनरी चीज करने जा रहे हैं। अब अगर यह ऐक्सप्लेनेशन नहीं रहता तो फिर तो हिन्दुस्तान में कोई मां बाप अपनी लड़की को कुछ नहीं दे सकेंगे क्योंकि वह डाउरी की डेफनीशन में आ जायेंगे। ऐक्सप्लेनेशन न रहने से तो जो बाराती लड़की वाले के घर आते हैं और उनको जिमाया जाता है खाना वगैरह दिया जाता है वह भी डाउरी की डिफनीशन में आ जायगा। इसी तरह से एक एक रुपया लड़की के भाई और अन्य रिश्तेदार तिलक में देते हैं वह भी डाउरी की डेफनीशन में आ जायगा। इसलिए मेरा कहना है कि ऐक्स्सप्लेनेशन तो इस बिल की जान है और उसको बिल में से नहीं हटाया जाना चाहिए।

अब मैं उस क्रिटिसिज्म के बारे में कहना चाहता हूं कि इस ऐक्सप्लेनेशन का मतलब यह है कि जो बाप अपनी लड़की को शादी के मौके पर कुछ देना चाहे वह दे दे। ला मिनिस्टर साहब ने यही एक क्रिटिसिज्म मानी है। मैं उन को और इस ऐवान को यह याद दिलाना चाहता हूं कि जिस वक्त यह बिल हमारे सामने आया, तो डिप्टी मिनिस्टर, श्री हजारनवीस, ने एक अमेंडमेंट दी, जिस में वही तारीफ़ भी शामिल थी, जो कि आज है। उस तारीफ़ से ला मिनिस्टर साहब मुतमईन नहीं हुए और उन्होंने

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

अपने डिप्टी मिनिस्टर की अमेंडमेंट पर एक अमेंडमेंट ठोकी और वह अमेंडमेंट निहायत माकूल थी। पहली अमेंडमेंट अव्वल दर्जे की माकूल थी और दूसरी अमेंडमेंट, यानी ला मिनिस्टर सहाब की अमेंडमेंट, उस से भी ज्यादा माकूल थी। उन दोनों अमेंडमेंटस से जो नतीजा निकला, वह मेरी दी हुई अमेंडमेंट के ऐन मुताबिक था और मैं उस से बहुत खुश था, क्योंकि वकीलों के दिमाग़ अक्सर एक तरह चलते हैं। मैं खुद जानता था कि हम ने कांस्टीच्यूशन का जो आर्टिकल १९ पास किया है, हम उस को टूटने नहीं देंगे और उस में हम ने जो कसम खाई है, उस को पूरा करने के लिये हम जान लड़ा देंगे।

जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि लड़के या लड़की से टके खरे किये जायें, हम उस के सख्त खिलाफ़ हैं। ला मिनिस्टर साहब और डिप्टी मिनिस्टर साहब ने जो अमेंडमेंट दिये थे, उन से वह एक्सप्लेनेशन बना था। वह उन के अपने दिमाग़ की इख्तरा है और उन दोनों की मुश्तर्का कोशिश का नतीजा है, जिस को हाउस ने ४० वोटस के मुकाबले में १८३ वोटस से मंजूर किया और बहुत राज़ी-खुशी मन्जूर किया। मैं दाद देता हूं कि जो कुछ उन्होंने किया, वह इतना माकूल और अच्छा किया, हिन्दुस्तान की स्पिरिट और हालत के मुताबिक किया, कि उस से सारे देश में बड़ा इत्मीनान हुआ। अगर वह यह कर देते कि कोई शख्स अपनी लड़की को एक रुपया भी नहीं दे सकता, मंगल-सूत्र नहीं दे सकता, कुछ खर्च नहीं कर सकता, शादी पर बारातियों की खातिर नहीं कर सकता, तो देश में बड़ा भारी डिस-सैटिसफ़ैक्शन होता। यह ठीक है कि कुछ लोगों को इस से भी डिस-सैटिसफ़ैक्शन होगा। मिसाल के तौर पर जब एक्सप्लेनेशन पास किया गया, तो श्रीमती रेणु चक्रवर्ती गुस्से में हाउस से उठकर चली गई। अभी मैं ने श्रीमती रेणु चक्रवर्ती और श्रीमती पार्वतीकृष्णन का हवाला दिया। जो कुछ मैं ने कहा वही उन्होंने कहा। हम दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मां-बाप कुछ देना चाहें, तो वे दे सकते हैं।

श्री त० ब० विट्ठल राव (खम्मम) : श्रीमती पार्वतीकृष्णन् कहती हैं कि फ़र्क है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह उन की उसमझ का फर्क है : जहां तक इस उसूल का ताल्लुक है कि लड़की को दान देना गलत है, मैं खुले तौर पर उस की तरदीद करना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि लड़की को देना एक मेरीटोरियस एक्ट है और हर एक मां बात को अपनी फिनान्शल काम्पीटेंस और अपने सब बच्चों का लिहाज कर के अपनी लड़की को देना चाहिए और यह उन का ऐन फर्ज है। यह कहना कि वे नहीं दे सकते, उसूलन गलत है। उन्होंने यही कहा था। अगर वे चाहें, तो मैं उन की स्पीच को क्वोट कर सकता हूं। यही दो उसूल इस बिल में कायम हुए हैं।

इस सिलसिले में यह कहा जा सकता है कि सब कुछ देने की इजाजत दे दी गई है, अब इस बिल में क्या रखा है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस बिल में यह रखा है कि अगर एक पैसा भी उस गर्ज से दिया जाता है, जिस को कनसिडरेशन आफ मेरिज कहते हैं, तो वह बिल्कुल नाजायज हो जाता है। आप जानते हैं कि शादी के मौके पर लड़की को मां-बाप भी गिफ्ट देते हैं और ससुर और खाविन्द की तरफ से भी गिफ्ट दिये जाते हैं और हजारों बरसों से ऐसा हो रहा है। वे जो कुछ देते हैं, वह लड़की का सारी उम्र के लिये असासा हो जाता है। हम शास्त्रों में जिस स्त्री-धन के बारे में पढ़ते हैं, उस को मां-बाप ही देते थे, जो कि लकड़ी का असासा होता था और जो एमर्जेंसी में बाद में खानदान का असासा बन

जाता था। उस स्त्री-धन को आनरेबल मिनिस्टर साहब ने अपने आरिजिनल बिल में बचाया। आंध्र प्रदेश और बिहार में जो बिल पास किये गये, उन में भी स्त्री-धन को बचाया गया और इस बिल में भी उस को बचाया गया है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह सारी दुनिया का कायदा रहा है और इस में शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। विलायत में औरतों को पहले हक नहीं था और १८८३ में वहां मैरिड विमेंज प्रापर्टी एक्ट पास किया गया। स्विटजरलैंड में आज तक औरतों को वोट देने का हक नहीं है। हम खुश-किस्मत हैं कि हमारे लीडरान ने औरतों को सब हुकूक दिये और आहिस्ता आहिस्ता हम ने सब मामलों में उन को हुकूक दिये हैं। हम ने अपने मुल्क में औरतों को राइट आफ प्रापर्टी और राइट आफ इनहैरिटेंस दिया है। मेरिज एक्ट में भी हम ने शादी करने के बारे में मर्द और औरत में तमीज नहीं की है और यह मुनासिब भी है, क्योंकि किसी मुल्क की सिविलाइजेशन का अन्दाजा इस बात से लगाया जाता है कि वहां औरतों के साथ क्या सलूक होता है।

डा० श्रीमती सीता परमानन्द : पंजाब में आप औरतों को मां-बाप की प्रापर्टी का हक नहीं देना चाहते हैं। तो फिर यह कैसे कह सकते हैं कि उन का राइट आफ इनहैरिटेंस दिया है ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं डंके की चोट से कहता हूं कि प्रापर्टी का हक उन को है और बाप की जायदाद में राइट आफ इनहैरिटेंस दिया है, लेकिन वह किसी कद्र कम है, यह मैं खुद जानता हूं। मैं चाहता हूं कि यह हट जाये और उन को पूरा हक हो जाये। दायभाग में पूरा हक है और मिताक्षरा की खास हालत की वजह से उस में हक कम है और मैं चाहता हूं कि मिताक्षरा हट जाये। उन को शायद यह मालूम नहीं है।

अब मुझे थोड़ी शिकायत करनी है। मैं ने इस बिल पर दूसरे हाउस की सारी बहस पढ़ी। मैं देखता क्या हूं कि वहां पर एक आनरेबल मेम्बर साहब ने, जिन का नाम मैं बाद में बताऊंगा अगर जरूरत पड़ी, यह शिकायत की कि दोनों लॉ मिनिस्टर साहबान मेरे साथ मिल गये, मैं ने उन पर प्रेशर डाल कर उन को दबा दिया, उन की अपनी इंडिपेंडेंट ओपीनियन नहीं रही और उन्होंने वही अमेंडमेंट दे दिये, जो कि मैं चाहता था। इस बारे में शायद उन को तजुर्बा कम है और वह जानते नहीं हैं कि मैं सारी उम्र मिनिस्टर्ज की अमेंडमेंट्स की मुखालिफत करता रहा हूं और अपनी अमेंडमेंट्स देता रहा हूं। वह आनरेबल मेम्बर मुझे जानते नहीं हैं जो उन्होंने मेरा जिक्र इस तरह किया कि "भार्गव पान्टिफ आफ रीएक्शनरी-इज्म एंड कनजरवेटिज्म", जो हमेशा ही सोशल रिफार्म्ज के खिलाफ रहा है—इसलिये कि वह डाइवोर्स के खिलाफ है। मैं इस लफ्ज पान्टिफ को बुरा समझता हूं और शायद वह नहीं जानते कि मैं ने हमेशा डाइवोर्स को सपोर्ट किया है। मैं ने क्या काम किया है, उन को मालूम नहीं है, लेकिन वह कहते हैं कि दोनों मिनिस्टरों ने मेरे दबाव में आ कर अपनी इंडिविडुऐलिटी को खो दिया और मेरे मातहत हो कर काम किया। मुझे इस का सख्त अफसोस है, लेकिन अपने बारे में मुझे अफसोस नहीं है। मैं ने सारी उम्र इस तरह की बुराई की परवाह नहीं की है। मैं तो उन को मुहब्बत की नजर से देखता हूं और वे जब चाहे, मुझ से पूछ लेते तो अच्छा होता। जिन मिनिस्टर्ज से मेरी बात-चीत नहीं हुई, उन के बारे में यह कहना कि मेरे दबाव में आ कर उन्होंने अपनी इंडिविडुएलिटी खो दी और हम ने मिल कर कान्स्पायर कर के देश के बरखिलाफ यह कानून बना दिया, मैं समझता हूं कि हाइट आफ इनजस्टिस है और उन को यह नहीं कहना चाहिए था। उस हाउस आफ

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

एल्डर्स में ऐसी बातें हुईं, मुझे इस का अफसोस है । मैं बारह तेरह बरस से पेनल आफ चेयरमैन में लोकसभा में रहा हूं। एक मर्तबा भी ऐसी बात नहीं कही गयी है और जो मेम्बर मौजूद नहीं हैं, उस के खिलाफ इस तरह के चार्जिज नहीं लगाये जाते हैं । मैं मिनिस्टर साहबान का वार्ड नहीं हूं और कानूनों के बारे में मैं रोज उन की मुखालिफत करता हूं, लेकिन इस वक्त मैं दोनों मिनिस्टर साहबान की तारीफ करता हूं । उन्होंने जो काम किया है, उस के लिये उन का नाम रहेगा । उन्होंने एक निहायत अच्छा काम किया है। मुझे ताज्जुब है कि यह ला मिनिस्टर साहब की अपनी तसनीफ है और एक्सप्लेनेशन में उन के अपने अलफाज हैं, लेकिन फिर भी वह कहते हैं कि हाउस अपना फ्री वोट दे और वह इस को रखे या न रखे ।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हाउस को इस बारे में अच्छी तरह से और सोच-समझ कर काम करना चाहिए । अगर इस एक्सप्लेनेशन को हटा दिया गया, तो यह बिल देखने के काबिल नहीं है । तब यह इन्साफ पर मबनी नहीं होगा और इस के जरिये हम हजारों लाखों नौजवान लड़कियों के हुकूक के साथ खेलेंगे और उन को जो सम्पति मिलती है, जो स्त्री-धन है, उस से हम उन को महरूम करेंगे । इस से बड़ी बे-इंसाफी मेरे दिमाग में और नहीं हो सकती है । अब तो वह वक्त आ रहा है कि उन को और हुकूक देने चाहिए । हम देख रहे हैं कि सारी दुनिया में लड़के-लड़कियों, नौजवानों, को पूरे हुकूक मिल रहे हैं, लेकिन मेरे कुछ दोस्त दूसरे तरफ चल रहे हैं और उन को अपनी सम्पत्ति से महरूम कर रहे हैं। एक औरत सारी उम्र बच्चों की खिदमत करती है । आप नहीं खाती है, उन को खिलाती है। अपने मां-बाप और खाविन्द की खिदमत करती है । उसके साथ इन्साफ होना चाहिए और उस को ज्यादा हुकूक देने चाहिए, लेकिन यहां पर यह ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि उसके हुकूक को छीन कर मां-बाप को कहा जाये कि तुम को हक नहीं है कि तुम उसको कुछ दो और डावरी की तारीफ यह की जाती है कि अगर एक रुपया भी दिया जायेगा, तो वह जुर्म होगा । इसलिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक स्त्री-धन का सवाल है, उस में और एक्सटेंशन होना चाहिए ।

मैं समझता हूं कि दफा ४ बहुत जरूरी है । एक तरफ हम कहते हैं कि डावरी खराब चीज है, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि जो डावरी डिमांड करे, उस को न छूएं। अगर डावरी लेनी एक जुर्म है, तो कोई शख्स उस को लेने में कामयाब हो, या न हो, वह मुजरिम है । अगर डावरी डिमांड करने वाले को सजा न दी जाएगी, तो उस का मतलब यह होगा कि अगर वह कामयाब हो गया, तो उस को डावरी मिल जायेगी, और अगर कामयाब न हुआ, तो उस का कुछ नुक्सान नहीं होगा, उस को कोई सजा नहीं मिलेगी । मैं खुश हूं कि आनरेबल मिनिस्टर साहब ने एक अमेंडमेंट दी है, जिस का मतलब यह है कि वे दफा ४ के पाबन्द हैं। आरिजिनल एक्ट में दफा ४ मोजूद थी और आज भी वह मौजूद है । उस की अमेंडमेंट के माने ये हैं कि वह दफा ४ के उसूल को मानते हैं। शारदा ऐक्ट में इस बारे में हम ने यह रखा था कि नोटिस जारी करने से पेश्तर तहकीकात की जाये । या तो उस उसूल को रखें, या यह रक्खें कि फिजूल और मेलीशस मुकदमे न चलाये जा सकें।

इन अलफाज के साथ मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूं।

†श्री जगन्नाथ राव (कोरापट) : जहां तक खंड २ में "प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष" शब्दों का प्रश्न है मेरे विचार से इन शब्दों का रखा जाना आवश्यक है। उन्हें अनावश्यक नहीं समझा जा सकता है।

जहां तक परिभाषा का प्रश्न है उसे विधेयक में रखना आवश्यक है, उससे यह नहीं समझना चाहिये कि उसके रखे रहने से दहेज शब्द की परिभाषा का प्रभाव समाप्त हो जायेगा।

जहां तक खंड ४ का प्रश्न है इसकी शब्दावलि उपयुक्त नहीं कही जा सकती है। उसका अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि दहेज के लिये या दिये जाने के प्रयत्न को डण्डनीय करार दिया जाये। आवश्यकता यह है कि इसकी शब्दावलि को उचित बनाया जाय और उचित स्थान पर "प्रत्यन्त करना" शब्द निविष्ट कर दिये जायें। यह कहा गया है कि खंड ४ को विधेयक में शामिल करने से जनता को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तथापि मैं इससे सहमत नहीं हूं।

मुझे विश्वास है कि इस विधेयक से समाज तथा जनता में जाग्रति पैदा हो सकेगी। अतः इस विधेयक का सभी पक्षों को स्वागत करना चाहिये।

श्री जुगल किशोर (पंजाब): आज सुदर्शन कुमारी की कुर्बानी जो दिल्ली के ए० डी० एम० की एक बहादुर बेटी थी, रंग लाई है। मैं अर्ज करूं कि उस बहादुर बेटी ने डावरी की बलि वेदी पर बैठ कर अपने आप को कुर्बान कर दिया। आज उसी का नतीजा है कि इस बिल पर यहां गौर हो रहा है। यह कुर्बानी उसने १९५८ में की। उस वक्त अखबारों में इसकी बहुत चर्चा हुई। उसी चर्चा से मुतासिर होकर मैंने डावरी रेस्ट्रेंट बिल राज्य सभा में रखा। उसी बिल के नतीजे के तौर पर आज हम यहां इकट्ठे हुये हैं और इस डावरी के बारे में सोच विचार कर रहे हैं।

यह डावरी वह चीज है जोकि तमाम बुरी रसमों की जड़ है, तमाम कुरीतियों की जड़ है। यह डावरी ही तमाम बुराइयों की जड़ है। आप पूछ सकते हैं कि यह कैसे है? इसके जवाब में मैं आपकी सेवा में अर्ज करना चाहता हूं कि आज बहुत शोर है कि पुरुषों और स्त्रियों को बराबर के हकूक हासिल हैं। इस इक्वैलिटी की हम दाद देते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जिस वक्त किसी घर में लड़का पैदा होता है, तो आप खुशी मनाते हैं लेकिन जिस वक्त लड़की पैदा होती है, तो आप क्या कहते हैं? हमारी तरफ तो कहा जाता है कि डिग्री आ गई। उस डिग्री को पूरा करने के लिये बेटी का बाप ना मालूम क्या क्या कुकर्म करता है। वह रिश्वत लेने पर, चोर बाजारी करने पर, और तरह तरह के जितने भी पाप हैं सब डिग्री को पूरा करने के लिये करने पर उतारू हो जाता है।

यह कहा जाता है कि बहनों को इक्वैलिटी दे दी गई है, उनको गवर्नर बना दिया जाता है, उनको डिप्टी मिनिस्टर बना दिया गया है, कइयों को मेम्बर पार्लिमैंट भी बना दिया गया है। इस तरह की बातों से हम खुश हो जाते हैं कि हमने औरतों को, देवियों को अपने बराबर कर दिया। लेकिन मैं आपकी सेवा में अर्ज करना चाहता हूं कि आप देहात में जाकर देखें कि जो लड़कियां शादी के काबिल हैं पर जिनके बाप दहेज नहीं दे सकते उन लड़कियों की क्या हालत है। वे लड़कियां आज घरों में बैठीं सर्द आहें ले रही हैं। और वे देख रही हैं आपकी तरफ कि यह जनता के नुमायन्दों का इजलास सेंट्रल हाल में बैठ कर इस दहेज प्रथा को हटाने के लिये क्या करता है। आज देश की सारी जानता आपकी तरफ देख रही है और खास तौर से वे लोग जो कि मिडिल क्लास के और गरीब तबके के हैं। अमीरों को तो डाउरी देने में कोई फर्क नहीं पड़ता। वे तो एक दूसरे से देते लेते रहते हैं

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जुगल किशोर]

लेकिन उनकी देखा देखी मिडिल क्लास के और गरीब आदमियों पर असर पड़ता है और उनसे भी डाउरी मांगी जाती है। मैं आपको हरियाने के देहात के बारे में बताना चाहता हूं, जहां से मैं आता हूं कि आज चार पांच हजार डाउरी दिये बगैर एक गरीब आदमी भी अपनी लड़की की शादी नहीं कर सकता ।

चौ० रणबीर सिंह (रोहतक) : अगरवालों में ऐसा हो सकता है, बाकी सब में ऐसा नहीं है।

श्री जुगल किशोर : अगरवालों में तो होता ही है लेकिन अब माननीय सदस्य की बिरादरी में भी यह सिस्टम चल रहा है। हमारी देखा देखी आप भी ऐसा करने लगे हैं।

चौ० रणबीर सिंह : हमारे यहां यह सिस्टम नहीं है ।

श्री जुगल किशोर : अगर आपके यहां डाउरी नहीं चलती तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन जिन लोगों में यह चलती है उनके बारे में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि, अब तो इस प्रथा ने हौलनाक रूप धारण कर लिया है। मैं क्या अर्ज करूं अब तो डाउरी के लिये टेंडर मांगे जाते हैं। लड़के वाला कहता है कि जो लड़की वाला ज्यादा से ज्यादा रकम देगा उसकी लड़की के साथ मेरे लड़के की शादी होगी। इस हद तक नौबत आ गयी है। क्या इस सूरत में हमारा यह फर्ज नहीं हो जाता कि हम इस प्रथा को नेस्त नाबूद कर दें ।

मुझे खुशी है कि सब भाई इस बात के हक में हैं कि डाउरी नहीं लेनी चाहिये लेकिन कुछ एक्सप्लेनेशन इधर उधर लगा कर उसको किसी तरीके से रखना चाहते हैं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं लिमिट रखने के खिलाफ हूं ।

श्री जुगल किशोर : मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह एक्सप्लेनेशन लगा के तो आप खुली छूट दे देते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं रहती कि कितना जेवर दिया जाये कितना कपड़ा वगैरह दिया जाये ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या आप बिड़ला या टाटा के लिये ५०० की लिमिट रखना चाहते हैं ?

श्री जुगल किशोर : अगर बिड़ला या टाटा के पास ज्यादा रुपया है तो वे उसको किसी अच्छे काम में लगा सकते हैं। इस प्रकार उसका प्रदर्शन करने से क्या फायदा है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या लड़की की सम्पत्ति का दान अजखुद बुरी चीज है ?

श्री जुगल किशोर : तो मैं अर्ज कर रहा था कि इस एक्सप्लेनेशन से तो आज पूरी छूट दे रहे हैं। कानन तोड़ने वाले तो आप कैसा भी सख्त कानून बनायें उसमें कुछ लूपहोल ढूंढ लेते हैं और उसका नाजायज फायदा उठा लेते हैं और उस में सूराख बना लेते हैं। लेकिन यहां तो हमने पहले ही बड़ा सूराख कर दिया है और खुली छूट दे दी है।

कई भाइयों ने कहा कि यह एक्सप्लेनेशन ही तो इस बिल की जान है। लेकिन मैं तो कहता हूं कि यह डाउरी की जान है। और जब हम डाउरी की बुराई को दूर करना चाहते हैं तो हमको उसकी जान को निकालना ही होगा। हम तो इस बिल के अन्दर कोई लूपहोल नहीं रहने देना चाहते।

एक माननीय सदस्य: यह कहा जाता है कि ये एक्सप्लेनेशन बिल की जान है, न कि डाउरी की जान है ।

श्री जुगल किशोर : यह बिल की जान नहीं है बल्कि डाउरी की जान है । यह बिल की जान कैसे हो सकता है क्योंकि यह बिल तो डाउरी को खत्म करने के लिये लाया गया है । इस एक्सप्लेनेशन के रहने से ही डाउरी की जान रहती है । इसी लिये हम इसको नहीं रखना चाहते । मैं अर्ज करूं कि आप यह खयाल करें कि इस डाउरी के कारण आज महिलाओं की क्या दुर्दशा हो रही है । इस चीज को देखते हुये हमारा और आपका यह फर्ज हो जाता है कि इस डाउरी की बुराई को बिल्कुल खत्म कर दें ।

इसके खत्म करने से दो बातें होंगी । एक तो जो लड़कियों के मां बाप हैं वे आराम से रहेंगे और जो वे पैदा करेंगे उसको अपना जीवन स्तर ऊंचा करने में खर्च करेंगे । अभी जो हमारे लोगों का जीवन स्तर ऊंचा नहीं होता उसका कारण यह डाउरी है । हर वक्त लोगों को इसकी चिंता रहती है और इसके लिये रुपया जमा करने के ख्याल के कारण न वह अच्छा खा सकते हैं, न अच्छा पहन सकते हैं और इसी कारण उनका जीवन स्तर ऊंचा नहीं होता । इसलिये मैं आपकी सेवा में अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आपके दिलों में अपनी बहिनों का कुछ भी खयाल है, उनके ऊपर डाउरीके कारण जो अत्याचार हो रहे हैं उनको अगर आप दूर करना चाहते हैं तो इस एक्सप्लेनेशन को उड़ाना निहायत जरूरी है । अगर यह एक्सप्लेनेशन रहता है तो इस बिल को पास करने से कोई फायदा नहीं होगा प्रेजेंटस की शक्ल में वे सब कुछ लेते रहेंगे । तो एक तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस एक्सप्लेनेशन को जरूर उड़ा दिया जाना चाहिये ।

दूसरे जहां तक शब्द –डाइरेक्टली और इंडाइरेक्टली—का सवाल है इनको मैं जरूरी समझता हूं कि रखा जाये ।

जहां तक क्लाज ४ का सवाल है उसके अन्दर लोक सभा ने यह रखा है कि अगर कोई डिमांड करे तो उसको कैद की या जुरमाने की सजा या दोनो सजायें हो सकती हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्लाज २ में एक्सप्लेनेशन रख कर खुली छूट दे दी है कि बतौर तोहफे के चाहे कुछ भी लिया जा सकता है । एक तरफ तो आप इतनी सख्ती बरतते हैं और दूसरी तरफ इतनी नरमी दिखाते हैं, ये दोनों बातें मेरी समझ में नहीं आतीं । अगर सख्ती करना चाहते हैं तो पूरी तरह कीजिये । इसलिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आपको नारियों का ख्याल है तो आपको इस बिल को सख्त बनाना होगा ।

नारी नर की खान

हम सब नारी से पैदा होते हैं । अगर उसकी हालत ठीक होगी तो हमारी हालत भी ठीक होगी । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आप इस बिल को बगैर एक्सप्लेनेशन के पास करें तभी हम इस डाउरी की बुराई को खत्म कर सकेंगे ।

डा० सुशीला नायर (झांसी) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक हमारे सामने आया है, यह आवश्यक है, इस बारे में तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों हाउसेज, लोक सभा और राज्य सभा, ने इसको स्वीकार किया है और दोनों ने इसकी आवश्यकता समझी है ।

[डा० सुशीला नायर]

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

इसलिये मैं समझती हूं कि देश के प्रतिनिधि, देश के नुमायन्दें, दोनों हाउसेज के, दहेज की प्रथा को समाप्त करना चाहते हैं इसके बारे में किसी को अपने मन में शंका करने की आवश्यकता नहीं है। दोनों सदनों ने यह निर्णय लिया है कि यह दहेज की प्रथा विवाह की पवित्र संस्था का, विवाह की पवित्र रस्म का अपमान है। दहेज देना और दहेज लेना दोनों विवाह की प्रथा के लिये अपमान हैं। इसी कारण से राज्य-सभा और लोक-सभा ने अपने-अपने दृष्टिकोण से इस विधेयक को अच्छा बनाने की कोशिश की है। अब उसके लिए किसी का यह कहना कि राज्य-सभा अधिक प्रगतिशील थी या लोक सभा अधिक प्रगतिशील रही और राज्य-सभा कम प्रगतिशील बनी, यह दोनों बातें दुरुस्त नहीं हैं। जहां तक मैं देखती हूं, कुछ सुधार जो राज्य-सभा ने इस बिल में किये वह अधिक प्रगतिशील थे और कुछ सुझाव जो लोक-सभा ने दिये वह अधिक प्रगतिशील थे। इसलिए यह आवश्यक हुआ कि हम सब दोनों हाउसेज के सदस्य इकट्ठा होकर मिलें और इस विधेयक को हम जितना अच्छा बना सकते हों, बनायें। मैं इस चीज को मंजूर करती हूं कि इस कानून के बन जाने से दहेज की कुप्रथा यकायक इस देश से चली जायेगी, ऐसी चीज नहीं है मगर इससे दहेज की कुप्रथा निकालने में मदद जरूर मिलेगी।

कुछ लोग बात कर रहे थे बैठे-बैठे और कुछ लोगों ने बोलने में भी यह बात कहने की कोशिश की कि अरे किसी से पैसा मांगा थोड़े ही जाता है। अपनी इच्छा से दिया जाता है अगर कोई बाप अपनी खुशी से अपनी लड़की को कुछ देता है तो उसमें किसी को क्यों कोई शिकायत होनी चाहिए? जब मेरे बुजुर्ग पंडित ठाकुर दास भार्गव बड़े जोरों से इस चीज की हिमायत कर रहे थे कि लड़की को तो हमने उसके बाप की जायदाद में हक दे दिया है तो अब दहेज को आप क्यों निकालते हैं? वहां भी मिलना चाहिए और यहां भी मिलना चाहिए, इत्यादि, इत्यादि। मुझे तो उनकी यह बात सुन कर थोड़ी हंसी भी आई। मुझे स्मरण है कि जब यहां लोक सभा में हिन्दू सक्सेशन ऐक्ट पास हो रहा था तब और उससे मिलती जुलती कुछ धाराएं रिहब्लिटेशन या अन्य कानूनों में जब-जब हाउस के सामने आई हैं तो पंडित ठाकुर दास भार्गव ने लड़कियों को हक दिये जाने का विरोध किया है...

पंडित ठाकुर दास भार्गव: यह बिल्कुल गलत है बल्कि हकीकत इसके बरखिलाफ है।

डा० सुशीला नायर: पंडित जी ने जमीन लड़कियों को नहीं मिलनी चाहिए, यह बारबार कहा है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: मैंने अनमैरीड लड़कियों को जमीन में हक देने के बारे में कहा है अलबत्ता मैरीड लड़कियों को मैंने कहा है कि उनको बजाय बाप के, वहां ससुराल में हक मिलना चाहिए। मैरीड लड़कियों को मैं उनके पति के घर में उनकी ससुराल में हक दिलवाना चाहता था।

डा० सुशीला नायर: मेरा तो कहना यह है कि जब हिन्दू सक्सेशन ऐक्ट में लड़कियों को अधिकार देने की बात आती है तो कुछ बुजुर्गवार उसका विरोध करते हैं कि लड़कियों को हक नहीं मिलना चाहिए क्योंकि आखिर हमें उन्हें शादी में दहेज देना होता है। उस वक्त यह दलील दी जाती है कि जब उनको दहेज देना है तो उनको जमीन क्यों

देनी चाहिए। अब हम कहते हैं कि भाई दहेज मत दो। हम नहीं चाहते कि लड़कियों को आप दहेज दें। दहेज के नाम से शैल्टर लेकर आप लड़की को उसका अधिक नहीं देना चाहते तो यह दहेज की प्रथा बंद होने से आप फिर यह तो न कह न सकें कि हम इसलिए उनको अधिकार नहीं देना चाहते क्योंकि हमें उन्हें दहेज देनी होती है। लड़कियों को दहेज नहीं चाहिए आप उनको जमीन के और अन्य अधिकार दीजिये। अब दहेज के हक में दलील यह दी जाती है कि वह तो स्त्रीधन है और उसके बारे में तो शास्त्रों में भी कहा गया है। लेकिन क्या हकीकत में आज जो दहेज की प्रथा है या स्त्रीधन है, उसके बारे में आप लोग अपने दिल पर हाथ रख कर यह कह सकते हैं कि यह लड़कियों के हक में है? या फायदे में है? अगर आप अपने दिल को इसके बारे में टटोल कर पूछेंगे तो आपको यह जवाब मिलेगा कि दहेज व स्त्रीधन से लड़की का फायदा नहीं। हम आप सब इस बात से अपरिचित नहीं हैं कि लड़कों की एक तरह से बिक्री होती है। जितना अधिक पढ़ा लिखा लड़का होता है उतने ही उस के दाम ज्यादा लगते हैं। लड़के वाला बिल्कुल सीधे बिना शर्म के कहता है कि भाई अगर आज लड़के से तुम अपनी लड़की की शादी करना चाहते हो तुम्हें २० या २५ हजार नकदी की व्यवस्था करनी होगी। लड़के वाला लड़की के पिता से यह सवाल करता है कि क्या उसके पास २०–२५ हजार कैश है. अगर इतना कैश तुम्हारे पास नहीं हैं तो फिर अपनी लड़की के वास्ते और कोई वर तलाश करो। इस कानून के बन जाने के बाद यह चीज नहीं होगी।

हमारे त्यागी जी ने और शायद कुछ अन्य भाइयों ने यह कहा था कि खाली लड़के बिकते हो, ऐसी बात नहीं है, लड़कियां भी बिकती हैं। लड़के वाले से ब्राइड प्राइस वसूल की जाती है। अब मेरा कहना है कि अगर लड़कियां बिकती हैं तो यह भी अनुचित बात है और उसको भी बंद होना चाहिए। जो भी मां-बाप अपनी लड़की को शादी में देने के ऐवज में पैसा मांगते हैं वह अनुचित बात करते हैं और वह भी बंद होना चाहिए। इसीलिए जो दहेज की यहां पर व्याख्या दी गई है उसमें लड़के और लड़की का फर्क नहीं रक्खा जायेगा शादी तय करने के लिए चाहे लड़के ही की तरफ से पैसा मांगा जाये अथवा लड़की वाले की तरफ से, उन दोनों का ही इसमें विरोध किया गया है और दोनों ही को बंद होना चाहिए।

मैं जानती हूं जहां कि लड़कियां बिकती हैं। लड़की के तो दाम हर जगह मांगे ही जाते हैं लेकिन जैसा कि हमारे त्यागी जी ने बतलाया उत्तरप्रदेश के पर्वतीय भागों में लड़की के दाम मांगे जाते हैं। यह बात सही है। लेकिन मैं यह भी आप से कह दूं कि उस लड़की को फिर छुड़ाया भी जा सकता है। जो पिता ५०० रुपया लेकर अपनी लड़की को बेच देता है वह ५०० रुपया देकर उसको पुनः वापिस ले सकता है और फिर दुबारा किसी अन्य के हाथ अपनी लड़की को बेच सकता है। पति भी बेच सकता है। पर वह एक तरह से गुलामी जैसी बात है। २५०, ३००, ४००, ५००, १००० या २००० रुपये में लड़की ३, ४ या ५ जगह बिकती है, इस तरह के केसेज हमारे पास आये हैं। लेकिन अब यह कहना कि चूंकि ट्राइबल लोगों में कुछ ऐसा रिवाज है उन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए और तब कानून बनाना चाहिए, मुझे तो यह बिलकुल बेकार बात लगती है। मेरी समझ में तो यह सारी चीजें इस बात को बल देती हैं कि शादी के बारे में दाम मांगना और सौदेबाजी करना चाहे वह लड़के वाले की तरफ से हो या लड़की वाले की तरफ से दोनों ही गलत है और उनको सर्वथा समाप्त होना चाहिए। सीधे दाम मांगने और सौदेबाजी करना या किसी बिचौलिये की मार्फत इस तरह की चीज करना अनुचित है और वह समाप्त होनी चाहिए। इसलिए मैं समझती हूं

[डा० सुशीला नायर]

कि इस बिल में यह जो संशोधन राज्य-सभा वालों ने रक्खा है कि डाइरेक्टली और इनडाइरैक्टली शब्द शामिल होने चाहिए, यह शब्द बहुत आवश्यक हैं और इनको रहना ही चाहिए।

इसी प्रकार से एक दूसरी चीज यह कही जाती है कि लड़की की जब शादी होगी तो उस मौके पर क्या हम लड़की के वास्ते कोई छोटा-मोटा उपहार लेकर नहीं जायेंगे? इसके लिए एक ऐक्सप्लेनेशन रक्खा गया है कि जो कैश, जेवर और कपड़े वगैरह उपहार के रूप में दिये जायेंगे उनको डाउरी नहीं माना जायेगा। मैं समझती हूं कि यह सरासर अनावश्यक है। इतना ही नहीं बल्कि ऐसा ऐक्सप्लेनेशन रख कर एक रास्ता बताना है लोगों को कि डाउरी अगर कानूनन बंद भी हो गयी है तो भी जेवर के रूप में कपड़े के रूप में उस वक्त जितना चाहे बतौर उपहार दे सकते हैं और वह डाउरी की डेफनीशन में नहीं आयेगा। इस तरह से तो इस कानून को हम बिल्कुल निकम्मा बना देंगे, डैड लैटर बना देंगे। इस कानून से बचने के लिये किस तरीके से रास्ता निकालेंगे यह चीज आप इस एक्सप्लेनेशन के द्वारा लोगों को सिखा रहे हैं।

आपने यह कह दिया है कि डाउरी वह चीज है जोकि शादी तय करने के लिए कंसिडिरेशन के रूप में दी जाती है। अब शादी के मौके पर जो मित्र आदि प्रेजेंट्स लाते हैं वे तो इस डाउरी की हद में आ ही नहीं सकते। ऐसी हालत में कोई आवश्यकता नहीं है कि इस तरह का ऐक्सप्लेनेशन लगा कर आप लोगों को एक रास्ता बतायें कि इस प्रकार से इस कानून का उल्लंघन किया जा सकता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए राज्य-सभा ने उस ऐक्सप्लेनेशन को निकाल देने की सिफारिश की है। मेरी समझ में राज्य सभा की ऐक्सप्लेनेशन को निकालने की सिफारिश बहुत ही उचित है। मैं चाहती हूं कि हम राज्य-सभा के उस सुझाव को कि एक्सप्लेनेशन निकाल देना चाहिये इस ज्वाइंट सेशन में स्वीकार कर लें। यह ऐक्सप्लेनेशन निकाल दिया जाना चाहिए। इसकी आवश्यकता नहीं है। इसके रहने से कोई फायदा नहीं है। नुकसान ही हो सकता है।

इसके बाद मुख्य प्रश्न है क्लाज ४ का। उसको निकालने की कोशिश इसलिये हुई कि उसमें जो यह व्यवस्था की गई है कि अगर कोई डाउरी डिमांड करता है, तो उसको दंड दिया जा सकता है, वह हैरासमैंट का कारण बन सकती है। यह कहा गया कि यदि किसी के यहां शादी तय नहीं हो पाई—किसी और वजह से तय नहीं हो पाई, तो वह कहेगा कि यह हम से डाउरी, दहेज मांगता था, इसलिये शादी तय नहीं हुई और उस पर मुकदमा चला देगा। मैं कहना चाहती हूं कि जिस लड़की का बाप किसी लड़के वाले पर यह कह कर बेकार मुकदमा चला देगा कि वह मुझ से दहेज मांगता था, क्या उसका दिमाग नहीं घूमा होगा। उसको अपनी लड़की की शादी करनी है। अगर वह एक जगह बेकार झूठा मुकदमा दायर करता है, तो दूसरा कौन उसके यहां शादी करने के लिये तैयार होगा? समाज में उस बात का प्रचार होगा और उसकी लड़की की शादी होना मुश्किल हो जायेगा। इसलिये बिना कारण के कोई मुकदमा नहीं कर सकता।

इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि जो दहेज को समाप्त करने की बात की जाती है, वह ठीक नहीं है, क्योंकि अगर किसी की लड़की सुन्दर नहीं होती है, कुरूप होती है या उसमें और कमी होती है, तो पिता अच्छा दहेज दे कर उसको अच्छे घर में ब्याह सकता है। मैं समझती हूं कि यह दलील भी बिल्कुल पुरानी हो गई है। यह दलील उस जमाने में लग सकती थी, जब हिन्दू मैरिज टूट नहीं सकता था। आज तो वह टूट सकता है। जब हमने डाइवोर्स का विधेयक

पास कर दिया, तो उसके बाद यह सोचने के कोई माने नहीं हैं कि पैसा दे कर हम अच्छे घर में लड़की की शादी कर देंगे, क्योंकि शादी के बाद डाइवोर्स हो कर के लड़की की हालत वैसी की वैसी, या उससे भी खराब हो सकती है। यह बात भी ध्यान में रखना चाहिये और डावरी न तो डायरेक्ट्ली और न इनडायरेक्ट्ली होना चाहिये और एक्सप्लेनेशन के रूप में उसके लिये रास्ता खुला नहीं रखना चाहिये ।

क्लाज़ ४ के सम्बन्ध में जिस हैरासमेंट का ज़िक्र किया गया है, मुकदमें के पहिले स्टेट गवर्नमेंट से इजाज़त लेने के बारे में जो संशोधन आज रखा गया है, उससे उस हैरासमेंट की सम्भावना ही नहीं रह जाती है। मैं समझती हूं कि इजाज़त के लिये जाना पेरेंट्स के लिये बहुत कठिन होगा और इससे इस कानून में बहुत कुछ कमी आ सकती है, लेकिन मैं मानती हूं कि इस कानून की पूर्ति खाली मुकदमेबाजी से नहीं होगी। मैं तो यह समझती हूं कि इस कानून के पास होने से समाज पर इसका बहुत अच्छा असर होगा। जब लोगों को मालूम है कि दहेज मांगने से कानून की हद में आ जाते हैं, तो मांगने वाला डरेगा। जब उन्हें मालूम है कि दहेज लेने देने से कानून की हद में आ जाते हैं, तो लेने वाला डरेगा। कई लड़के प्रगतिशील और प्रोग्रेसिव विचारों वाले होते हैं। वे तो कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं लेना है, लेकिन पिता जी गला दबाते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई पर इतना खर्च किया, तुम्हें विलायत भेजने पर इतना खर्च किया, आदि, वह सब खर्च दहेज में पूरा होना चाहिये। इस कानून से उन लड़कों में मज़बूती आ जायेगी और वे अपने पिता से कहेंगे कि आप ऐसा करते हैं, इस कानून से मुश्किल आ जायेगी। इसलिये मैं समझती हूं कि क्लाज़ ४ का रहना अत्यन्त आवश्यक है। जो प्रोवाइज़ों लगाया गया है, वह मुझे बहुत पसन्द नहीं है, लेकिन इस क्लाज़ को रखने के लिये वह प्रोवाइज़ो भी स्वीकार करें। अगर उसके अमल में दिक्कतें आयेंगी, तो हम फिर पार्लियामेंट के सामने आयेंगे और अगर इसको और सुधारने की आवश्यकता होगी, तो सुधार लेंगे ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने कहा कि कम्यूनिस्ट पार्टी को बहुत चिन्ता है कि यह विधेयक पास होना चाहिये । मैं कहना चाहती हूं कि जो सरकार यह विधेयक लाई है, वह तो कांग्रेस की है। इलैक्शन आने वाला है, इसलिये हर पार्टी इसमें से यश लेने की कोशिश करे, तो इसके कोई खास माने नहीं हैं। मैं समझती हूं कि कांग्रेस सरकार के लिये यह बहुत शोभा की बात है कि अनेक सोशल और प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन्ज़ के साथ यह प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन भी वह लाई है और मैं आशा करती हूं कि इस विधेयक को इन तीनों सुधारों के साथ--"डायरेक्टली और इनडायरेक्ट्ली" को रख कर, क्लाज़ ४ को रख कर और क्लाज़ २ के पहले एक्सप्लेनेशन को निकाल कर--हम पास करेंगे और इस देश की लाखों लड़कियों की इस आशा को पूरा करेंगे कि इस विधेयक के पास होने से, दहेज के रूप में उनका जो अपमान होता है, वह समाप्त होगा ।

†श्री ए० डी० मणि (मध्य-प्रदेश) : चूंकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शब्दों को रखने से विधेयक में कोई परिवर्तन नहीं आता, इसलिये सभा को इस बारे में रखे गये संशोधनों का समर्थन करने का हक है ।

खण्ड ४ के बारे में श्री हजरनवीस का जो संशोधन है वह खंड ४ की अपेक्षा अधिक खतरनाक है क्योंकि इसके द्वारा जो अधिकार सरकार को दिये जाने का इरादा है उन का राजनीतिक प्रयोजनों के लिये दुरुपयोग किया जा सकता है क्योंकि राज्य सरकारें इसे लागू करेंगी। विवाह के समय उपहार के रूप में दी गई वस्तु को उच्च न्यायालयों ने भी प्रथागत माना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ए० डी० मणि]

अतः इस उपबन्ध को निकाल देना चाहिये, क्योंकि इसके दुरुपयोग से कई स्वतंत्रता विरोधी दलों के अभ्यर्थियों को निर्वाचन लड़ने में बाधा पड़ेगी। हमें लोकमत के साथ भी चलना चाहिये।

वुल्फंडन समिति के अनुसार अपराध वह होता है जो कोई घातक या हानिकारक कार्य हो और जिससे लोगों का शोषन हो। हमें दहेज लेने या देने के लिये दंड का विधान बनाते समय लोक मत की प्रतीक्षा करनी चाहिये। अतः खंड ४ हटा दिया जाए और यदि खंड ४ और श्री हजरनवीस के संशोधन में से एक चीज़ रखनी है तो मैं खंड ४ का समर्थन करूंगा श्री हजरनवीस के संशोधन का नहीं।

व्याख्या के सम्बन्ध में मेरा एक संशोधन है। मैं कोई 'भेंट' शब्दों के बाद "समुचित प्रकार की और २००० रुपये से अनधिक मूल्य की" शब्द जोड़ना चाहता हूं। प्रेम या वात्सल्य के कारण माता पिता हार और साड़ियां आदि देना चाहते हैं। अतः इतना उपबंध अवश्य कर दिया जाना चाहिये।

†**श्री च० द० पाण्डे** (नैनीताल) : क्या इस विधेयक के अनुसार कोई पदाधिकारी दहेज की सूची तैयार करेगा?

†**श्री ए० डी० मणि** : यह आशा नहीं की जा सकती कि हर विवाह पर पुलिस के अफसर पहुंचेंगे। इस विधेयक के अनुसार दंड उन्हीं को मिलेगा जो बहुत अधिक दहेज देने का प्रयत्न करेंगे।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : इसमें कोई शक नहीं है कि जो दहेज प्रथा आज देश में प्रचलित है, वह बहुत बुरी प्रथा है। चाहे राज्य-सभा के माननीय सदस्य हों और चाहे लोक-सभा के सभी इस मामले में एक मत हैं कि इस प्रथा का अन्त होना चाहिये। इस प्रथा के दो कारण हैं, एक तो सामाजिक असमानता और दूसरा आर्थिक विषमता। जब तक हम सामाजिक असमानता और आर्थिक विषमता को दूर नहीं करेंगे तब तक केवल इस तरह का अधिनियम बना देने मात्र से यह समस्या हल नहीं हो सकेगी।

सभी जानते हैं कि स्त्री और पुरुष गैर-बराबर हैं। स्त्री तो एक ऐसी वस्तु है जिसको कुछ पैसा दे करके जबर्दस्ती दूसरे के गले मढ़ा जाता है। स्त्री और पुरुष की असमानता का कारण हमारे देश में जाति प्रथा है या कुलीन प्रथा है। अगर इस कुलीन प्रथा का अन्त हो जाए तो बहुत अंशों में और मैं तो यह कहूंगा कि पूरे तौर पर इस दहेज प्रथा की जड़ को ही हमेशा के लिये हम काट सकते हैं, इसको समाप्त कर सकते हैं। लेकिन जब तक कुलीन प्रथा रहेगी तब तक चाहे लड़कों के लिये पैसा लिया जाए या लड़कियों के लिये पैसा लिया जाए दोनों तरह से यह प्रथा चलती रहेगी और इसका निराकरण नहीं हो सकता है।

अभी प्रधान मंत्री जी इस सम्बन्ध में बोले हैं और उन्होंने कहा कि उन्हें बड़ा धक्का लगा जब पांच साल पहले उन्होंने सौराष्ट्र में कुंवारी लड़कियों को आत्म-हत्या करते हुये सुना। मैं समझता हूं कि अगर प्रधान मंत्री जी को धक्का लगा होता तो सही मानों में वह इस समस्या के बारे में जागरूक हुये होते। उन्होंने जब से देश आज़ाद हुआ है कोई न कोई प्रभावशाली कदम इस विषय में उठाया होता जिससे जाति प्रथा का अन्त हो सकता। लेकिन इस विषय में कुछ नहीं किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, इसके दो उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य तो यह है कि दहेज प्रथा का अन्त हो और दूसरे उस उद्देश्य की पूर्ति के लिये कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है कि अव्वल तो दहेज लिया ही न जाए और अगर लिया जाए तो देने और लेने वाले दोनों को दंडित किया जाए। जहां तक दंड का सम्बन्ध है उन्होंने इसके अन्तर्गत यह रखा है कि दहेज देने और लेने वाले पर मुकदमा चलेगा और अगर यह साबित हो जाता है तो उनको छः महीने तक की सजा या पांच हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं।

मैं इस सदन का तथा माननीय सदस्यों का और साथ ही साथ माननीय स्त्री सदस्याओं का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस विधेयक पर बहस तो बड़ी गर्मागर्म चल रही है और यह आशा भी की जाती है कि कोई बड़ा नतीजा निकल जाएगा लेकिन इसके उद्देश्य को देखें या इसकी व्यवस्थाओं को देखें, तो ये दोनों ही उद्देश्य इस विधेयक से पूरे नहीं होते दिखाई देते। और इसलिये पूरी नहीं होते कि जो धारा २ में व्याख्या नं० १ है, उसमें है कि दहेज न दिया जाये, लेकिन उस व्याख्या में क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है :

> "यह घोषणा की जाती है कि नकदी, जेवर और वस्त्रों के रूप में दिए गये उपहार दहेज नहीं समझे जायेंगे जब तक कि उन्हें शादी के खास उद्देश्य के लिए ही न दिया जाये।"

इस व्याख्या के रहते हुये क्या हम यह आशा करें कि दहेज प्रथा का अन्त हो जायेगा? अभी हमारी सदस्या डा० सुशीला नायर ने कहा कि यह बहुत प्रगतिशील विधेयक है। लेकिन मुझे दुख है कि जब-जब इस सरकार ने कोई प्रगतिशील विधेयक संसद् के सामने रक्खा, तब-तब दिखावट की कि जाहिरा तौर पर वह बहुत प्रगतिशील है, लेकिन उस के अधीन कोई ऐसी व्यवस्था कर के उसे ऐसा मोड़ दिया गया कि उसकी सारी प्रगतिशीलता समाप्त हो गई। इस व्याख्या के रहते हुये अगर हम आशा करें कि दहेज प्रथा का अन्त हो जायेगा, तो मैं समझता हूं कि यह बहुत गलत-फहमी की बात होगी और इससे कुछ होने वाला नहीं है।

इसी तरह से इसमें जो धारा ४ है, उस के बदले में जो यह संशोधन रक्खा गया है उस के लिये मंत्री महोदय ने कहा कि इस का मतलब यह नहीं है कि कोई परेशानी वह लोगों के लिये पैदा करेगा, बल्कि उससे लोगों को आसानी ही होगी। किसी भी राज्य सरकार के कर्मचारी को, चाहे वह मैजिस्ट्रेट हो या अन्य अधिकारी हो, उस को वह अधिकार नहीं दिया जायेगा कि वह मुकदमा चलाने की इजाजत दे दे। इस सम्बंध में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मौजूदा स्थिति में जब किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ कोई पब्लिक का आदमी मुकदमा दायर करना चाहता है तो उस को इस के लिये इजाजत लेनी पड़ती है सरकार की, और इससे बड़ी तकलीफ होती है। इस में भी ज्यादातर मिसालें आपको ऐसी मिलेंगी जिनमें मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं मिलती। तो इसमें जो व्यवस्था कर दी गई है उससे यह समस्या हल नहीं होगी और यह और कठिन हो जायेगा कि लोगों को मुकदमा चलाने की इजाजत मिल जाये। धारा ४ का जो खंड है उसके साथ जब यह व्यवस्था आती है तो साफ जाहिर हो जाता है कि इस की मंशा केवल यह है कि डाउरी लेने, द ज लेने की जो बात करते हैं, चाहे परोक्ष में या सीधे, उस को किस तरह से हम दंड से बचाने की व्यवस्था करेंगे। यही इस के अन्तर्गत कहा गया है।

उसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई दहेज लेता है या देता है, कोई दहेज मांगता है तो उसके ऊपर मुकदमा चलाये जाने की इस में व्यवस्था है। धारा ५ में इस विषय में कहा गया है कि यह जो जुर्म होगा वह गैर-दस्तन्दाजी का होगा। दस्तन्दाजी का जुर्म नहीं होगा। मैं आप से निवेदन करूं कि एक आदमी अपनी लड़की की शादी करना चाहता है, और वहां उस से रुपया मांगा जाता है। गरीबी के कारण, आर्थिक कमजोरी के कारण वह दहेज दे नहीं सकता। वह लौट कर किसी दूसरे लड़के की

[श्री राम सेवक यादव]

तलाश में जाता है । अगर उस के पास पैसा होता तो वह दहेज दे कर लड़की की शादी कर देता । अब प्रश्न यह उठेगा कि वह खुद जा कर मुकदमा दायर करे । पहले तो मुकदमा लड़ने के लिये इजाजत ले और इस के लिये वह एक मुकमा दायर करे । उस के बाद जब इजाजत मिल जाये मुकदमा लड़ने की तो दूसरा मुकदमा दायर करे उस पर जो कि दहेज मांगता है। आप सोच लीजिये कि इस का क्या मतलब है । अगर उस की आर्थिक क्षमता इस तरह की होती तो उस को मुकदमा लड़ने की क्या जरूरत होती ? वह पैसा दे कर किसी अच्छे घर में शादी कर देता अपनी लड़की की । इसलिये यह जो व्यवस्था है वह कागज के अन्दर ही रहेगी, इस से कुछ होगा नहीं । इसके मुताबिक कोई मुकदमे नहीं चलेंगे भले ही इस संबंध में आप कानून बना डालें । मिसाल के तौर पर मैं आपको बतलाऊं कि बालकों के विवाहों पर कानूनी प्रतिबन्ध लगा हुआ है, लेकिन मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात बतलाता हूं कि मुझे आज तक कोई ऐसा मामला नहीं मिला जो कि अदालत में गया हो जब कि शादियां रात दिन होती रहती हैं । हां, एक मिसाल जरूर मिली कि एक गांव में एक प्रधान का चुनाव हुआ । बीच में दो पार्टियां पैदा हो गईं और उन दोनों में दलबन्दी हो गई । दलबन्दी के कारण जब एक के यहां शादी हुई तो दूसरी पार्टी ने जा कर शिकायत की, और उस पर मुकदमा चला । इस व्यवस्था से यह जरूर होगा कि जब भी किसी जगह दो पार्टियों में विरोध होगा तो शायद इस तरह की शिकायत आ जाये, लेकिन वास्तविक रूप में इस कानून के रहते हुए इसमें गैरदस्तन्दाजी की धारा जुड़ी हुई है उसके रहते हुए सही मायनों में कोई मुकदमें अदालतों में नहीं जायेंगे । इसलिये मैं सदन से और माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि अगर वे चाहते हैं कि यह विधेयक पास हो, अगर वे चाहते हैं कि इस विधेयक की मंशा दहेज प्रथा को रोकना और दहेज लेने वाले को दंडित करना हो, तो इस एक्सप्लेनेशन को छोड़ दिया जाये। इसमें जो एक्सप्लेनेशन है उस के लिये हमारे पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा कि वह विधेयक की जान है । मैं कहूंगा कि विधेयक का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य के लिये यह एक्सप्लेनेशन मौत है । हमें उसकी जान ले लेते हैं अगर उस को कायम रखते हैं । जब तक यह व्यवस्था रहेगी तब तक यह चीज चलेगी नहीं ।

एक बात मैं और कहूंगा कि केवल कानून बनाने से समस्या हल होने वाली नहीं है । इस समस्या के दो पहलू हैं । कानून भी बने और साथ-साथ जनमत का जागरण रहो । लेकिन इस दिशा में अब तक कुछ नहीं हुआ । मैं समझता हूं कि अगर सरकार इस विधेयक को पारित करती है तो इसका मन्तव्य दूसरा समझ लिया जायेगा और मैं समझता हूं कि जो माननीय सदस्य जरा भी ध्यान लगा कर सोचते होंगे वे जानते होंगे कि इस का कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है । इसलिये जब तक जनमत जागृत नहीं किया जाता तब तक कुछ नहीं होगा । अगर इस विधेयक में कुछ भी जान रखनी है, इस को उद्देश्यपूर्ण रखना है तो इस एक्सप्लेनेशन को निकाल दिया जाये और जो दंड देने की व्यवस्था है वह जुर्म गैर-दस्तन्दाजी न हो, उस को काग्निजेबल बनाया जाये । तभी यह चीज चल सकती है । अगर सही मायनों में इस को कार्यान्वित करना चाहते हैं तो जो लोग राजकीय सेवा में आना चाहते हैं अगर वे दहेज लें तो उन को नौकरी में न रक्खा जाये । दूसरे जो दहेज लेने वाले हैं उन को दंड मिले और इसको एक अनैतिक अपराध घोषित किया जाये । दूसरे जो दहेज देने वाले और लेने वाले लोग हों उन को वोट देने और वोट पाने के अधिकार से तथा चुनाव में खड़े होने के अधिकार से वंचित रक्खा जाये । तभी जा कर इस विधेयक के उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है, वर्ना नहीं ।

इन शब्दों के साथ मैं इस सदन से निवेदन करूंगा कि वह इस की व्यवस्थाओं की ओर ध्यान दे और जो दंड की व्यवस्था है उसमें संशोधन करे, तभी इस के उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है ।

श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, आज इस संयुक्त अधिवेशन के अवसर पर हम दहेज विधेयक की कुछ विवादास्पद धाराओं पर जब निर्णय ले रहे हैं तो हमें यह देखना होगा कि उन धाराओं की अच्छाई और बुराई को नापने के लिये हमें कौनसी कसौटी बनानी है, हम किस आधार पर यह निर्णय करेंगे कि कौनसी धारा अच्छी है और कौनसी बरी हैं, कौनसी उपयोगी है और कौनसी अनुपयोगी है। दोनों सदनों के माननीय सदस्य जो आज इस सभा में उपस्थित हैं, शायद इस बात को मानते है कि इस दहेज विधेयक का लक्ष्य दहेज को समाप्त करना है, लेकिन अगर यह विधेयक अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के अयोग्य हो सके तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि इस विधेयक की एक-एक धरा, और उस धारा की एक-एक पंक्ति और पंक्ति के एक-एक अक्षर से एक ही प्रकार की आवाज़ निकलनी चाहिये और वह दहेज के विरोध में हो। इस दृष्टि से जब हम इस विधेयक की धाराओं की ओर दृष्टिपात करते हैं तो हमें इस विधेयक की सब से बड़ी कमजोरी धारा २ और उसका एक्सप्लेनेशन 'ए' लगती है।

धारा २ में दहेज की व्याख्या की गयी है, लेकिन व्याख्या जो है वह तो अपने आप में इतनी काफी है, इतनी स्पष्ट है, इतनी पर्याप्त है उसका स्पष्टीकरण लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। मंत्री महोदय ने अपने भाषण में स्वयं स्वीकार किया है कि एक्सप्लेनेशन न भी जोड़ा जाये तो भी डेफीनीशन के मानी में कोई फर्क नहीं आयेगा। आखिर डेफीनीशन से भी यह मानी निकलता है कि जो स्वेच्छा से दिया जाये वह उपहार है और जो मजबूरी से दिया जाये वह दहेज है। तो फिर एक्सप्लेनेशन जोड़ने से कोई अन्तर पड़ता नहीं है। अगर एक्सप्लेनेशन न जोड़ा जाये तो काम खराब नहीं होता, लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन रखा जाता है तो सारा खेल ही बिगड़ जाता है। असल में एक्सप्लेनेशन क्या है? इसमें कहा गया है कि उपहार के रूप में कपड़ा भी दिया जा सकता है, जेवर भी दिया जा सकता है और कोई दूसरे उपहार भी दिये जा सकते हैं और उनकी कोई भी सीमा नहीं है। जितना मर्जी चाहे दिया जा सकता है। अगर इस सारी बात की छूट दे दी जाती है तो फिर इस दहेज विधेयक में रह ही क्या गया। एक्सप्लेनेशन से तो विधेयक की जान ही निकल जाती है और यह विधेयक बिल्कुल निकम्मा और बेजान हो जाता है।

किसी विधेयक को लाने से पहले हमें यह भी देखना चाहिये कि हम उसे किस प्रकार की जनता के लिये ला रहे हैं। हमको देखना चाहिये कि हम अपने देश के जिन लोगों के लिये यह विधेयक ला रहे हैं वे कैसे हैं। कहने को तो हर कोई चाहता है कि दहेज बुरा है और नहीं लेना चाहिए लेकिन जब अपनी बारी आती है तो हर एक कहता है कि उसको अपने लड़के की शादी पर ज्यादा से ज्यादा दहेज मिले। अब हमारी इस प्रकार की मनोवृत्ति है तो इस प्रकार की मनोवृत्ति वाले समाज के लिए अगर हम यह एक्सप्लेनेशन रखेंगे तो उसका क्या असर पड़ने वाला है। इसको रखने का मतलब यह होगा कि हम दहेज प्रथा पर प्रतिबन्ध नहीं लगा रहे हैं बल्कि उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं। आज हमको यह फैसला करना है कि हमको दहेज पर प्रतिबन्ध लगाना है या उसको प्रोत्साहन देना है। अगर दहेज पर प्रतिबन्ध लगाना है तो इस एक्सप्लेनेशन को इसमें से उड़ाना ही चाहिए।

इसके अलावा एक और बात है। एक्सप्लेनेशन के हक में एक सब से बड़ी दलील यह दी जाती है कि अगर लड़कियों को विवाह के अवसर पर दहेज नहीं दिया जाएगा तो उनके साथ बड़ा भारी अन्याय होगा क्योंकि इस प्रकार हम उनको उनके स्त्रीधन से वंचित कर देंगे। लेकिन जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है आज दहेज का रूप स्त्रीधन का नहीं रहा है बल्कि वह तो लड़के की कीमत के रूप में लिया जाता है। जैसे-जैसे लड़के की लियाकतें बढ़ती जाती है वैसे-वैसे ही उसका मूल्य भी बढ़ता चला जाता है। तो इस प्रकार से दहेज न रहने से लड़की के लिए कोई अन्तर पड़ने वाला नहीं है। अगर एक्सप्लेनेशन रहता है तो मैं निश्चय के साथ यह कह सकती हूं कि लोगों को

[श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल]

को बनाए रखने के लिये एक बहाना मिल जाएगा, इस से देश के अन्दर एक गलत साइकालाजी पैदा होगी, एक गलत वातावरण बनेगा। इस बिल का असर होना तो यह चाहिए कि जिन के पास धन है वे भी डाउरी या उपहार के रूप में ज्यादा न दें सकें जिससे कि जो गरीब हैं उन के अन्दर स्पर्धा पैदा न हो। तो हर प्रकार से हम देखते हैं कि इस एक्सप्लेनेशन को रखने से सारा बिल बिल्कुल निकम्मा बन जाता है।

दूसरा सवाल इस बिल में शब्द "डाइरेक्टली और इनडाइरेक्टली"—को रखने का है। अगर इन को" निकाल दिया जाता है तो सारे बिल की ताकत ही खत्म हो जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि यह बिल अपने लक्ष्य में सफल हो तो हमको इसे इफेक्टिव बनाना पड़ेगा और जानदार बनाना पड़ेगा और ऐसा करने के लिए यह जरूरी है कि इन शब्दों को रखा जाए, क्योंकि देखने में आता है कि डाइरेक्टली के मुकाबले देश में आज इनडाइरेक्टली बहुत दहेज लिया जाता है। कोई आज इस तरह नहीं कहता कि हमें १० हजार रुपया दहेज के लिए चाहिए, लेकिन इस तरह कहा जाता है कि लड़के को पढ़ने के लिए विलायत भेजना है। इस तरह से इनडाइरेक्टली रुपया मांगा जाता है, या कहा जाता है कि लड़के के लिए कोई फैक्टरी लगवा दीजिए। इसलिए मेरा विचार है कि डाइरेक्टली और इनडाइरेक्टली दोनों को रखना जरूरी है।

तीसरी विवादास्पद धारा वह है, जिसमें दहेज की डिमांड को दंडनीय बनाने की बात है। इस पर काफी बहस हो चुकी है और अभी भी यह चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं कहती हूं कि दहेज की डिमांड के लिए दंड की व्यवस्था होनी चाहिए जैसा कि लोकसभा ने रखा है। दहेज की शुरुआत ही डिमांड से होती है। इसलिए मैं समझती हूं कि शुरुआत में ही बुराई को रोकना बुद्धिमता की बात होगी।

आज कल शादी के मामले में प्रचार करने के लिए ब्रोकरों के आर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं। वे मैरिज मार्केट में प्रचार करते हैं कि फलां व्यक्ति पांच हजार रुपये की या दस हजार की या २५ हजार की मांग करेगा। इस प्रकार के संगठनों द्वारा डिमांड को प्रसारित किया जाता है। तो ऐसे समाज के लिए डिमांड को दंडनीय न बनाना इस बिल को अर्थहीन बना देना होगा। दोनों सदनों के अन्दर डिमांड पर दंड की व्यवस्था करने पर काफी मतभेद था लेकिन मंत्री महोदय ने आज अपनी तरफ से जो इसमें प्रोवाइजो लगाया है उस से काफी समाधान हो जाता है और जो लोगों को यह शिकायत थी कि इसका दुरुपयोग होगा, हैरासमेंट होगा, वह सम्भावना बहुत कम हो जाती है।

इसलिए आज में मैं यह कहती हूं कि जब हम बहुत आग्रह के बाद इस बिल को इस सदन में लाए हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसमें कोई भी कमजोरी न रहने पाए, और जो भी कमजोरियां इसमें हों, उनसे मुक्त कर के ही इसे हम जनता के हाथ में दें जिससे कि समाज की यह बुराई दूर हो सके और समाज में नया वातावरण बन सके।

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां): मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि समाज सुधार का काम कानून से नहीं हो सकता। मुझे इस विधेयक पर यह आपत्ति है कि इससे उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी जिसके लिये यह बनाया जा रहा है। जनता की इच्छा के विरुद्ध इसे लागू नहीं किया जा सकता।

†**उपसभापति महोदय**: माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें।

इस के पश्चात् संसद् के सदनों की संयुक्त बैठक मंगलवार ९ मई, १९६१/१९ बैसाख, १८८३ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में